हदीस और सुन्नत से हिदायतें

संकलन
डॉ॰ मज़हर क़ाज़ी
अनुवाद
कबीर अहमद रिज़वी

विषय-सूची

- दो शब्द 11
- प्रस्तावना 13
- अनुवादक की ओर से 15

1. अन्तिम पैग़म्बर मुहम्मद *(सल्ल.)* के बारे में अल्लाह के आदेश 17

2. हदीस और सुन्नत 21-38

- अर्थ और महत्व 21
- संरक्षण और प्रचार-प्रसार 23
- हिजरी द्वितीय शताब्दी – ताबिईन का काल 28
- हिजरी तृतीय शताब्दी – तब-ए-ताबिईन का काल 30
- हदीसों के मूल्यांकन के सिद्धान्त 33
- असनाद के मूल्यांकन के सिद्धान्त 34
- मत्न का मूल्यांकन 35
- अहादीस का वर्गीकरण 36
- हदीस की पुस्तकों का वर्गीकरण 38

3. ईमान के बुनियादी स्तंभ 40-55

- इस्लाम की कुछ परिभाषाएँ 40
- ईमान (विश्वास) की कुछ परिभाषाएँ 41
- ईमान के तीन स्तर – इस्लाम, ईमान और एहसान 42
- ईमान के कुछ लक्षण 44
- अल्लाह पर ईमान 45
- अल्लाह की दया एवं कृपा 45

- अल्लाह की सहनशीलता 46
- अल्लाह का डर 47
- अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* पर ईमान 47
- प्यारे नबी *(सल्ल.)* से मुहब्बत 48
- प्यारे नबी *(सल्ल.)* और अहले-किताब 49
- अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* की मध्यस्थता (Intercession) 49
- हश्र (क़ियामत) का दिन 50
- वे लोग जिन्हें अल्लाह की कृपा और दया मिलेगी 51
- वे लोग जिन्हें अल्लाह की कृपा और दया नहीं मिलेगी 53
- दोज़ख़ और उसकी सज़ाएँ 53
- जन्नत और उसका इनाम 55

4. इस्लाम का दूसरा स्तंभ—नमाज़ 57-68

- फ़र्ज़ नमाज़ की अहमियत और फ़ायदे 57
- नमाज़ के पहले सफ़ाई 59
- अज़ान : नमाज़ का बुलावा 60
- मस्जिद 61
- नमाज़ पढ़ना 62
- जमाअत से नमाज़ पढ़ना 63
- जमाअत से नमाज़ में इमाम के बारे में 64
- जुमा की नमाज़ 65
- फ़ज्र, अस्र और इशा की नमाज़ें 66
- नफ़्ल नमाज़ 67
- तहज्जुद की नमाज़ 67
- सफ़र में नमाज़ 68

5. तीन अन्य स्तंभ - ज़कात, रोज़ा और हज 69-78

- ज़कात-ग़रीबों का हक़ 69
- रमज़ान के रोज़े या सियाम 70

- रोज़ा कैसे रखें 71
- नफ़्ल रोज़े 73
- लैलतुल-क़द्र (Night of power) 75
- हज (The pilgrimage) 76
- उमरा - छोटा हज 77
- मक्का और मदीना का महत्व 78

6. व्यक्तिगत आचार और व्यवहार 79-86
(Personal manners & conduct)

- व्यक्तिगत स्वच्छता 79
- शौचालय में (In the toilet) 80
- मिस्वाक (दातुन) 80
- पानी पीना 81
- खाने के समय 82
- पहनावे के बारे में 83
- जूतों के बारे में 85
- लेटना और सोना 85
- छींकना और जम्हाई लेना 85
- बालों के बारे में 86

7. दैनिक जीवन 87-91

- आपसी सलामती 87
- गले मिलना और मुसाफ़ा (हाथ मिलाना) 88
- साथ में बैठना 89
- बीमार से मिलना 89
- दोस्त बनाना 90
- बड़ों का एहतिराम 90
- मेहमान नवाज़ी 91
- मुस्कुराकर मिलना 91

8. पारिवारिक जीवन 92-100
- माँ-बाप का सम्मान 92
- शादी 94
- पत्नी के साथ शालीनता और दया 95
- पति का आदर 97
- बच्चों से प्यार और दया 98
- बच्चों के संबंध में 99
- रिश्तेदारों का आदर 100

9. गुनाहे-कबीरा और निषिद्ध कार्य 102-113
- कुछ गुनाहे-कबीरा 102
- हलाल और हराम में फ़र्क समझना 103
- चुग़ली और ग़ीबत अथवा पीठ पीछे किसी की निंदा करना 104
- झूठ 105
- शराब और दूसरे नशे 107
- अनैतिक सम्बन्ध 108
- आत्म हत्या 109
- बिदअत : मज़हब में नई चीज़ शामिल करना 110
- दमन और अन्याय 110
- झूठी क़सम और झूठी गवाही 112
- हत्या 112
- दिखावा 113

10. व्यवहार और आचरण का उत्तम नमूना 114-122
- शालीनता 114
- सावधानी और देख-रेख (Caution and Care) 115
- सन्तोष 115
- हया (लज्जा) 116

- सदाचरण (Good Conduct) 117
- क्षमा (Forgiveness) 117
- उदारता (Generousity) 118
- अल्लाह पर तवक्कुल (भरोसा) 119
- सब्र (Patience) 120
- पछतावा, प्रायश्चित (Repentance) 121
- ज्ञान की चाह 122

11. **व्यक्तिगत चरित्र रक्षा हेतु आवश्यक बातें** 123-131

- नीयत (Intentions) 123
- गुस्सा 124
- जलन, नफ़रत और शत्रुता 125
- कोसना (Cursing) 126
- फिटकारना, गाली देना (Abusing) 126
- अहंकार, गर्व, डींग मारना (Boasting) 127
- दंभ, छल-कपट, मुनाफ़िक़त (Hypocrisy) 127
- कंजूसी (Miserliness) 129
- घमण्ड (Pride) 130
- चापलूसी (Flattery) 131

12. **सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ और श्रेष्ठता** 132-142
(Social Obligations and Excelance)

- भाईचारा 132
- ज़रूरतमन्द की मदद करना 134
- अल्लाह के लिए मुहब्बत करना 135
- सदक़ा (दान) और उसकी फ़ज़ीलत 137
- सदक़े (दान) का महत्व और प्रकार 138
- साम्प्रदायिकता या फ़िरक़ापरस्ती (Sectarianism) 140
- शंका और जासूसी 141

- रिश्तों को तोड़ना 141
- शासकों के बारे में 142

13. अल्लाह की राह में संघर्ष 144-148

- भलाई का आदेश देना और बुराई से रोकना 144
- भलाई का आदेश देने और बुराइ से रोकनेवाले को चेतावनी 146
- जिहादः अल्लाह के लिए संघर्ष 146

14. अवांछित एवं प्रतिबन्धित कार्य 149-155

- भीख माँगना 149
- वादा ख़िलाफ़ी (वचन भंग) 149
- निरर्थक (फ़ालतू) बातें करना 150
- मर्दों और औरतों का साथ-साथ रहना 151
- पराई औरत की ओर देखना 151
- अतिशयोक्ति (Exaggaration) 152
- अपव्ययता (फ़ुज़ूलख़र्ची) 152
- दूसरों को ज़लील करना 153
- मरनेवालों के लिए रोन 153
- रोना (Mourning) 154
- चित्र और मूर्तियाँ 154
- कुत्तां पालना 155
- झूठी क़सम खाना 155

15. ईमान और व्यापार 156-160

(Faith & Finance)

- व्यापार में ईमानदारी 156
- व्यापार में सही व्यवहार 156
- मज़दूरी का भुगतान 158
- जमाख़ोरी (Hoarding) 158

- क़र्ज़ और उधार (Debt & Loan) 158
- तोहफ़ों का लेन-देन 159
- ब्याज (Usury & Ineterest) 159
- उत्तराधिकार, विरासत (Inheritance) 160

16. ज़िक्र और दुआ 162-169

- क़ुरआन पढ़ना 162
- कुछ सूरा और कुछ आयतों की बरकतें 163
- मुहम्मद *(सल्ल.)* पर दुरूद पढ़ना 164
- ज़िक्र की रहमतें और उसका महत्व 165
- ज़िक्र की कुछ आयतें और उसकी बरकतें 167
- दुआ 169

17. मृत्यु और उसके बाद 171-176

- बीमारी और रोग 171
- मौत के लिए तैयार रहना 171
- मरनेवाले से क्या कहना है 172
- जनाज़े की नमाज़ 173
- जो चीज़ें मरनेवाले की मदद करती हैं 174
- मृत व्यक्ति के लिए दुआ 174
- क़ब्र के बारे में 175
- रोना और दुख करना 175
- क़ब्र में रूह 176
- शहीद 177

18. कुछ अन्य निर्देश 179

19. मुहम्मद *(सल्ल.)* के व्यक्तित्व की एक झलक 190-200

- वह्य कैसे शुरू हुई 190
- नबी *(सल्ल.)* की शारीरिक बनावट 190

- नबी *(सल्ल॰)* का पसीना 192
- नबी *(सल्ल॰)* का चलना 192
- हँसना और मुस्कुराना 193
- आप *(सल्ल॰)* का मुसाफ़ा (हाथ मिलाना) 193
- नबी *(सल्ल॰)* के खाने का ढंग 193
- नबी *(सल्ल॰)* के सोने का ढंग 194
- बहादुरी 194
- ज्ञान प्रेम 195
- शर्म व हया 195
- नबी *(सल्ल॰)* की उदारता 196
- नमाज़ से मुहब्बत 196
- रोज़े से मुहब्बत 196
- बीमारी के वक़्त नबी *(सल्ल॰)* 196
- बेटे की मौत पर 197
- नबी *(सल्ल॰)* का जीवन 197
- अल्लाह की राह में आज़माइश 198
- नबी *(सल्ल॰)* के आचरण के कुछ नमूने 199
- मुहम्मद *(सल्ल॰)* के मक़बरे के सम्बन्ध में 200

20. मुहम्मद *(सल्ल॰)* के समय की मुख्य घटनाएँ 202

बिसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

"शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहमवाला है।"

दो शब्द

प्रस्तुत पुस्तक अंग्रेज़ी किताब Guidance from Hadith and Sunnah का हिन्दी अनुवाद है। इस किताब के लेखक डॉ मज़हर क़ाज़ी साहब अमेरिका के हाउस्टन में रहते हैं और दीन इस्लाम की शिक्षाओं को सरल एवं सारगार्भित रूप में लोगों तक पहुँचानें की तड़प दिल में रखते हैं। यही कारण है कि अपने व्यस्त जीवन में से समय निकालकर उन्होंने दिन-प्रतिदिन में काम आनेवाली अत्यन्त सारगर्भित हदीसों को संकलित किया है और कहीं-कहीं उनकी संक्षिप्त रूप में व्याख्या भी की है। पुस्तक की महत्ता को देखते हुए साक्षिप्तिकरण के साथ हिन्दी में प्रकाशित किया जा रहा है।

इस पुस्तक का हिन्दी अनुवाद कबीर अहमद रिज़वी साहब ने किया है। कबीर साहब के दीन से लगाव का ही नतीजा है कि सेवानिवृत आई. एफ़. एस. अधिकारी होने के बावुजूद इस किताब को अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवाद किया। जब इस किताब की हिन्दी में अनूदित पांडुलिपी हमको मिली तो हमने अपने उसूलों के तहत उसे ठीक-ठाक किया और कहीं-कहीं सुधार भी करना पड़ा। भाषा और प्रूफ़ आदि की दृष्टि से भी इसे बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। इस कार्य में हमारे साथी जनाब मुहम्मद शुएब साहब और मसरूर अहमद साहब ने विशेष योगदान दिया। मैंने स्वयं भी इसको पढ़ा और जहाँ कहीं सुधार की आवश्यकता महसूस की उसको सुधारने का प्रयास किया।

इस किताब में हदीसों को मूल अरबी भाषा में नहीं लिखा गया है केवल अनुवाद प्रस्तुत किया है। हमारा प्रयास रहा है कि अनुवाद मूल अरबी भाषा के निकट रहकर ही प्रकाशित किया जाए। फिर भी यदि

अनुवाद, सम्पादन या प्रूफ़ आदि की दृष्टि से कहीं को त्रुटि पाई जाए तो हमें उससे अवगत करें ताकि उसका सुधार किया जा सके।

इस पुस्तक को तैयार करने में डॉ॰ मज़हर क़ाज़ी साहब के बेटों का भी विशेष योगदान रहा है। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि वह इस पुस्तक के लेखक और उनके बेटों के इस प्रयास को स्वीकार करे और उनसे दीन के प्रचार-प्रसार की अधिक से अधिक सेवा ले। साथ ही इस किताब के अनुवादक कबीर अहमद रिज़वी साहब की कोशिशों को भी क़बूल करे।

इस्लामी साहित्य ट्रस्ट (रजि॰) हिन्दी भाषा में इस्लामी पुस्तकों के प्रकाशन के शुभ कार्य में लगा हुआ है। इस पुस्तक को पाठकों की सेवा में प्रस्तुत करते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है। ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारी संस्था की कोशिशों को क़बूल करे और इस पुस्तक को जनसाधारण के लिए लाभकारी बनाए।

नसीम ग़ाज़ी फ़लाही

2/5/2011 *(सेक्रेट्री)*

इस्लामी साहित्य ट्रस्ट *(रजि॰)*

दिल्ली

बिसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

"शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहमवाला है।"

प्रस्तावना

सभी तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए हैं; जो अत्यन्त करुणाशील, दयावान और क्षमा करनेवाला है। ईश्वर की कृपा और दया बनी रहे उसके अन्तिम पैग़म्बर मुहम्मद *(सल्ल.)* पर जो दुनिया के लिए प्रकाश स्तम्भ हैं और मानवता के लिए दया हैं। उनके परिवार के सदस्यों, उनके साथियों और उन के अनुयायियों पर अल्लाह की दया और कृपा बनी रहे।

पैग़म्बर मुहम्मद *(सल्ल.)* की भूमिका क़ुरआन में अल्लाह के द्वारा दर्शाई गई स्थिति पर आधारित है। अल्लाह ने उन्हें न केवल अपना क़ानून लोगों तक पहुँचानेवाला बनाया बल्कि उसकी व्याख्या करने और लागू करनेवाला भी बनाया। क़ुरआन में है–

> "जो तुम्हारा पैग़म्बर कहे वही करो और जिस चीज़ से मना करे उससे रुक जाओ।" (59:7)

मुहम्मद *(सल्ल.)* से अल्लाह कहता है कि यह घोषणा करो–

> "यदि तुम्हें अल्लाह से मुहब्बत है तो मेरा अनुसरण करो, अल्लाह तुमसे मुहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करेगा।" (3:31)

क़ुरआन की उपरोक्त जैसी कई अन्य आयतों के पालन में मुस्लिमों ने हज़रत मुहम्मद *(सल्ल.)* की छोटी-बड़ी शिक्षाओं (हदीसों) और उनके व्यवहार (सुन्नतों) को संग्रहीत करने और सुरक्षित रखने के अथक प्रयास किए।

हदीस और सुन्नत ईमानवालों को अपने ईमान को शुद्ध करने तथा दोषमुक्त करने हेतु प्रेरित करती है। इस पुस्तक में कुछ ऐसी चुनिंदा हदीसों और सुन्नतों का वर्णन किया गया है जो ईमानवालों के बुनियादी ईमान और दैनिक आचार-व्यवहार से सम्बन्धित हैं। यह पुस्तक मूलतः 'गाइडेंस फ्रॉम दि मेसेंजर' शीर्षक से इस्लामिक सर्कल ऑफ़ अमेरिका, न्यूयॉर्क द्वारा सन् 1990 में प्रकाशित की गई थी। अब यह पुस्तक पुनरीक्षित करके नए शीर्षक के साथ छापी जा रही है। पुस्तक के इस संस्करण में काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं और इस किताब को नया नाम भी दिया गया है। इसमें एक विस्तृत अध्याय हदीस और सुन्नत के

विज्ञान के सम्बन्ध में भी जोड़ दिया गया है। यह अध्याय पाठकों को हदीसों की विश्वसनीयता, प्रामाणिकता, अभिलेखन एवं वर्गीकरण तथा मूल्यांकन के मापदण्ड के बारे में काफ़ी जानकारी देगा। इस पुस्तक में पहला अध्याय 'अन्तिम पैग़म्बर मुहम्मद *(सल्ल.)* के बारे में अल्लाह के आदेश' जोड़ा गया है। यह अध्याय हदीसों और सुन्नतों में विश्वास तथा उनके अनुसरण के अनिवार्य होने को स्वीकार करने में पाठकों की मदद करेगा। अन्तिम (20 वाँ) अध्याय भी नया जोड़ा गया है जो मुहम्मद *(सल्ल.)* की जीवनी एवं प्रमुख घटनाओं की वर्षवार जानकारी देता है। यह अध्याय मुहम्मद *(सल्ल.)* के अद्वितीय और महान व्यक्तित्व के प्रति समर्पण एवं श्रद्धा में और अधिक वृद्धिकारक होगा।

इस पुस्तक की हदीसें मुहम्मद *(सल्ल.)* द्वारा कहे गए वाक्यों के शाब्दिक अनुवाद नहीं हैं। बल्कि अंग्रेज़ी में अनूदित हदीसों की विभिन्न पुस्तकों में से सर्वाधिक उपयुक्त शब्दों का चयन किया गया है। फिर इसकी पाण्डुलिपि को विख्यात ब्रिटिश मुस्लिम विद्वान जनाब अब्दुर-रहीम साहब को दिया गया। उन्होंने इसे सारगर्भित और बोधगम्य अंग्रेज़ी में लिखा। फिर मैंने और मेरे छोटे बेटे यासिर ने इसका पुनरावलोकन कर इसे अंतिम रूप दिया। मात्र 14 वर्ष की उम्र में ही यासिर ने इस पुस्तक की अंग्रेज़ी भाषा के सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

अल्लाह को धन्यवाद देना मेरी क्षमता में नहीं है कि उसने अत्यन्त उदारता से मेरी दुआ सुनी और क़बूल की। यासिर अब विख्यात मुस्लिम विद्वान की हैसियत से दीन की ख़िदमत में लगा हुआ है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरा बड़ा बेटा उबैद भी दीन का ख़ादिम है। वह अपने छोटे भाई यासिर के लिए तो एक प्रेरणा है ही, मेरे लिए भी प्रेरणा है। अल्लाह मेरे बेटों के प्रयासों में कामयाबी दे और उनकी हर आज़माइश से रक्षा करे। आमीन!

मैं अत्यन्त नम्रता से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरे प्रयासों को स्वीकार करे और हश्र के दिन मुहम्मद *(सल्ल.)* का साथ और मध्यस्थता मेरे लिए स्वीकृत करे। आमीन!

डॉ. मज़हर क़ाज़ी

हाऊस्टन, यू.एस.ए.

रबीउल-अव्वल, 1428 हि. (अप्रेल, 2007 ई.)

अनुवादक की ओर से

अल्लाह की कृपा से मैंने मुहतरम मज़हर क़ाज़ी साहब की एक किताब 'ईज़ी स्टेप्स टू पैराडाइज़' का हिन्दी अनुवाद किया। इसकी प्रतियाँ रायपुर शहर और आसपास के मुस्लिमों को निःशुल्क दी गईं। इत्तिफ़ाक़ से इसकी एक प्रति मुहतरम मज़हर क़ाज़ी के पास अमेरिका भी पहुँची। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे इस काम को क़ाज़ी साहब ने सराहा।

उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनकी दो और किताबों का हिन्दी अनुवाद करूँ। मैंने उनके आदेश को सिर आँखों पर लिया और उनकी इच्छानुसार उनकी एक पुस्तक 'गाइडेंस फ़्रॉम हदीस एण्ड सुन्नह' का हिन्दी अनुवाद किया। हदीसों की मूल भाषा अरबी है। पहले उसका अंग्रेज़ी अनुवाद किया गया तथा पुस्तक प्रकाशित की गई। अब इस पुस्तक का मेरे द्वारा हिन्दी अनुवाद किया गया। इस कारण हो सकता है कि भाषागत ग़लतियों की वजह से अर्थ निरूपण में कुछ अन्तर हो। फिर भी मेरी ओर से पूरा प्रयास किया गया है कि पुस्तक की मूल भावना के साथ न्याय हो।

भारतीय मुसलमान हिन्दी के अच्छे जानकार हैं। हिन्दी में इस प्रकार की पुस्तकें कम ही हैं जो भारतीय मुसलमानों का इस्लाम, हदीसों और सुन्नतों के बारे में ज्ञानवर्धन करें। इस दिशा में हिन्दी अनुवाद का मेरा यह प्रयास यदि कुछ लोगों के भी दीन का ज्ञान बढ़ाने में सहायक होता है तो मैं अपने प्रयास को सफल मानूँगा।

मेरे हिन्दी अनुवाद को अंजाम देने में मेरे दोनों बेटों फ़ज़्ल महमूद और तलत महमूद ने मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया। फ़ज़्ल ने अपनी

तमाम व्यस्तताओं के बावजूद इस अनुवाद की कम्प्यूटर टाइपिंग की और कई स्थानों पर वाक्य सुधार में मेरी मदद की जिससे प्रूफ़ रीडिंग का मेरा काम बहुत आसान हो गया। मेरी अल्लाह से दुआ है कि वह मेरे इन दोनों बेटों में दीन को जानने, समझने और उस पर अमल करने की प्रेरणा भर दे ताकि वे अल्लाह की राह में अधिक से अधिक कार्य कर सकें। आमीन!

अल्लाह से दुआ है कि वह मेरे इस तुच्छ प्रयास को स्वीकार करे और मुस्लिमों में दीन, अहादीस और सुन्नतों की जानकारी बढ़ाने में यह पुस्तक सहायक हो। आमीन!

मैं डॉ॰ मज़हर क़ाज़ी साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद करने योग्य समझा। उन ही में से एक पुस्तक आपके हाथ में है। अल्लाह मेरी इस कोशिश को कामयाब करे। आमीन!

कबीर अहमद रिज़वी
(सेवा निवृत्त आई.एफ़.एस.)
रायपुर – 492001

अन्तिम पैग़म्बर मुहम्मद *(सल्ल०)* के बारे में अल्लाह के आदेश

1. वे अल्लाह के द्वारा भेजे गए

ऐ नबी! हमने तुम्हें शाहिद (गवाही देनेवाला), मुबश्शिर (ख़ुश ख़बरी देनेवाला) और अल्लाह की तरफ़ से दावत देनेवाला और ख़बरदार करनेवाला बनाकर भेजा है। (क़ुरआन, 33:44-45)

या-सीन! क़सम है हिकमत भरे क़ुरआन की तुम निश्चय ही सही राह पर हो और अल्लाह द्वारा भेजे गए रसूलों में से हो। (क़ुरआन, 36:1-4)

2. वे समस्त मानवता के लिए पैग़म्बर बनाकर भेजे गए

ऐ नबी! हमने तुम्हें समस्त मानवता के लिए खुशख़बरी देनेवाला और ख़बरदार करनेवाला बनाकर भेजा है लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं जानते। (क़ुरआन, 34:28)

3. वे सभी संसारवालों के लिए रहमत हैं

ऐ नबी! हमने तुम्हें दुनियावालों के लिए सरासर रहमत बनाकर भेजा है। (क़ुरआन, 21:107)

4. वे अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलते सिवाय उसके कि अल्लाह जो उन्हें बताए

और वह अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलता। वह तो बस एक वह्य है जो की जाती है। (क़ुरआन, 53 : 3-4)

5. वे चरित्र और शील का बेहतरीन नमूना हैं

ऐ मुहम्मद! तुम नैतिकता के शिखर पर हो। (क़ुरआन, 68:4)

तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में एक उत्तम आदर्श है। (क़ुरआन, 33:21)

6. उन्हें अल्लाह ने असीम ज्ञान और विद्वता देकर भेजा है

अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत नाज़िल की है और तुम्हें वह सब सिखाया जो तुम्हें मालूम न था। अल्लाह की तुम पर असीम कृपा है। (क़ुरआन, 4:113)

7. उनका महान उद्देश्य

अल्लाह ने ईमानवालों पर बड़ा एहसान किया है कि उनमें से ही उसने एक ऐसा रसूल पैदा किया जो उन्हें अल्लाह की आयतें सुनाता है। उनको पाक करता है और उनको किताब और हिकमत की तालीम देता है। वरना इससे पहले वे लोग खुली गुमराही में थे। (क़ुरआन, 3:164)

वह (पैग़म्बर) उन्हें भलाई का हुक्म देता है और बुराई से रोकता है, उनके लिए पाक चीज़ें हलाल और नापाक चीज़ें हराम ठहराता है और उन पर से वे बन्धन और बोझ हटाता है जो पहले उन पर पड़े हुए थे। (क़ुरआन, 7:157)

और वही (अल्लाह) है जिसने रसूल को हिदायत और सत्यधर्म (सही जीवन-शैली इस्लाम) के साथ भेजा ताकि सभी अन्य धर्मों (जीवन-शैलियों) पर सत्यधर्म को प्रभावी कर दे और इस पर अल्लाह का गवाह होना काफ़ी है। (क़ुरआन, 48 : 28-29)

8. पैग़म्बर का आज्ञापालन करने हेतु अल्लाह का आदेश

और रसूल जो तुम्हें दे उसे लो और जिससे रोक दे उससे रुक जाओ और अल्लाह से डरो। निस्सन्देह अल्लाह कठोर दण्ड देनेवाला है। (क़ुरआन, 59:7)

नहीं (ऐ नबी!), तुम्हारे रब की क़सम, वे लोग मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि वे तुम्हें विवादित मामलों में अपना फ़ैसला करने वाला न मान लें। फिर जब तुम फ़ैसला करो तो उसके ख़िलाफ़ अपने दिलों में कोई तंगी महसूस न करें बल्कि उसे सिर आँखों पर रखें। (क़ुरआन, 4:65)

9. पैग़म्बर का आज्ञापालन अल्लाह का आज्ञापालन है

जो रसूल का आज्ञापालन करता है वह दरअसल अल्लाह का आज्ञा पालन करता है (क़ुरआन, 4:80)

जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करेंगे वे निश्चय ही उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह के इनाम होंगे। (क़ुरआन, 4:69)

जिसने अल्लाह और उसके रसूल का आज्ञापालन किया उसने निश्चय ही बड़ी सफलता पाई। (क़ुरआन, 33:71)

10. अवमानना के विरुद्ध अल्लाह की चेतावनी

जो व्यक्ति हिदायत के स्पष्ट हो जाने के बाद भी उसका विरोध करेगा और ईमानवालों की राह छोड़ कर किसी अन्य राह को अपनाएगा हम (अल्लाह) उसे उसी राह पर डाल देंगे जिस राह की तरफ़ वह फिरा और उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे जो बहुत बुरी जगह है। (क़ुरआन, 4:115)

किसी मोमिन मर्द या मोमिन औरत को यह हक़ नहीं कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले में कोई फ़ैसला कर दें तो उसके बारे में उन्हें कोई इख़्तियार रहे। और जो भी अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी करे वह खुली गुमराही में पड़ गया।

(क़ुरआन, 33:36)

11. पैग़म्बर की बेइज़्ज़ती के विरुद्ध चेतावनी

ऐ लोगो जो ईमान लाए हो! अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो और अल्लाह से डरो। अल्लाह सब कुछ सुनने और जानने वाला है। ऐ ईमानवालो! अपनी आवाज़ नबी की आवाज़ से बुलन्द न करो और न उससे ऊँची आवाज़ में बोलो जिस तरह तुम आपस में बोलते हो। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे कर्म अकारथ हो जाएँ और तुम्हें ख़बर भी न हो। (क़ुरआन, 49:1-2)

12. सुन्नतों का पालन करने पर इनाम

ऐ नबी! ईमानवालों से कहो, अगर तुम अल्लाह से मुहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो। अल्लाह भी तुमसे मुहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दयावान है। (क़ुरआन, 3:31)

13. पैग़म्बर से मुहब्बत करने के लिए अल्लाह का आदेश

अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमानवालो, तुम भी उनपर दुरूद और सलाम भेजो। (क़ुरआन, 33:56)

14. ईमानवालों पर पैग़म्बर की मेहरबानियाँ

तुम्हारें पास एक रसूल आ गया है जो तुम ही में से है। तुम्हारा दुख में पड़ना उसे सहन नहीं है, वह तुम्हारी भलाई का इच्छुक है, जो ईमान लाए उनके लिए वह बड़ा ममतामय और दयावान है। (क़ुरआन, 9:128)

हदीस और सुन्नत

अर्थ और महत्व

अल्लाह ने अपनी वह्य उतारने और अपना सन्देश समस्त मानव जाति तक पहुँचाने के लिए मुहम्मद *(सल्ल.)* को चुना। सन्देश और सन्देशवाहक दोनों ही अल्लाह के पवित्र दैवीय चुनाव हैं। वह सन्देश क़ुरआन है जो हमें यह बताता है कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है। मुहम्मद *(सल्ल.)* वे सन्देशवाहक हैं जिन्होंने हमें यह बताया कि उपरोक्त सन्देश का पालन कैसे करना है। क़ुरआन और मुहम्मद *(सल्ल.)* एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं कि हम इनमें से किसी के भी अलग अस्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते। क़ुरआन की कई आयतें मुहम्मद *(सल्ल.)* की इस स्थिति को बताती हैं। नीचे दिए गए वर्णन में इनमें से कुछ आयतों को प्रस्तुत किया गया है।

हमें यह भी बताया गया है कि मुहम्मद *(सल्ल.)* अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कहते। जो कुछ उन्होंने कहा वह सब उनपर नाज़िल हुई अल्लाह की वह्य है। क़ुरआन कहता है—

> "क़सम है तारे की जब वह डूब जाए! तुम्हारा साथी (मुहम्मद) न बहका है न गुमराह हुआ है। वह अपनी इच्छा से नहीं बोलता। यह तो एक वह्य है जो उस पर भेजी जाती है।" (क़ुरआन, 53:1-4)

मुहम्मद *(सल्ल.)* के सभी कथन, उपदेश आदि अल्लाह के द्वारा दिया गया ज्ञान है जो अरबी भाषा में हदीस (बहुवचन-अहादीस) कहलाता है।

हमारे दिमाग़ में केवल शब्द— चाहे वे कितने ही मधुर, शक्तिशाली अथवा अलंकृत हों— प्रभाव नहीं डालते जब तक कि उनका आशय स्पष्ट न हो। और कोई भी धारणा (Concept) तब तक अच्छी तरह नहीं समझी जा सकती जब तक कि उसे सजीव उदाहरण से न समझाया जाए। यह सारी मानवता पर अल्लाह की महान कृपा है कि उसने हमें अपने सन्देश के साथ-साथ एक सन्देशवाहक भी दिया जो कि क़ुरआन का सजीव और मूर्त रूप (Embodiment) है। अल्लाह कहता है—

> "तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना (उत्तम आदर्श) है, उनके लिए जो अल्लाह और आख़िरत के उम्मीदवार हों और अल्लाह को अधिकता के साथ याद करें।"—
>
> (क़ुरआन, 33:21)

मुहम्मद *(सल्ल.)* की सभी गतिविधियाँ अल्लाह द्वारा निर्देशित थीं। इन गतिविधियों को अरबी भाषा में 'सुन्नत' कहते हैं। मुहम्मद *(सल्ल.)* चूँकि अल्लाह के अन्तिम पैग़म्बर थे इसलिए वे किसी भी ग़लत कार्य (गतिविधि) को स्वीकार अथवा माफ़ नहीं कर सकते थे। इस प्रकार मुहम्मद *(सल्ल.)* का किसी अन्य के व्यवहार/कार्य को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना भी सुन्नत कहलाएगा। सुन्नत और हदीस दोनों पर्यायवाची शब्द हैं और दोनों को रिवायत कहा जाता है।

हमें यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि मुहम्मद *(सल्ल.)* के कथन और कार्य अल्लाह की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमें इनका पालन और अनुसरण अपने जीवन में करना है। क़ुरआन की कई आयतें भी जो इस पुस्तक में ऊपर प्रस्तुत की जा चुकी हैं इसकी पुष्टि करती हैं। मुहम्मद *(सल्ल.)* ने भी इस सम्बन्ध में स्पष्ट कहा है—

"मैं कभी यह नहीं चाहता कि जब मेरी आज्ञा और आदेश या मनाही आप में से किसी के पास पहुँचे तो वह कहे कि मैं नहीं जानता। मैं तो अल्लाह की किताब में जो लिखा है उसे मानूँगा।"

(हदीस : अबू-दाऊद, मुस्नद अहमद, इब्ने-माजा, तिर्मिज़ी)

इसलिए मुस्लिमों ने हदीसों को सुरक्षित रखने और उसके प्रचार-प्रसार के लिए बहुत काम किया है। जो विद्वान हदीसों और सुन्नतों का गहन अध्ययन किए हुए हैं उन्हें अरबी भाषा में मुहद्दिस (बहुवचन-मुहद्दिसीन) कहा जाता है। मुहम्मद *(सल्ल.)* के बाद के लोगों की तीन पीढ़ियों ने हदीसों के संग्रहण और प्रचार-प्रसार में अत्यधिक योगदान दिया है। इन तीन पीढ़ियों में 'सहाबा', 'ताबिईन' और 'तब-ए-ताबिईन' हैं। 'सहाबा' वे हैं जो मुहम्मद *(सल्ल.)* के साथी और सहयोगी थे तथा 'ताबिईन' वे हैं जो सहाबा के बाद हुए और जिन्होंने सहाबा का अनुसरण किया और 'तब-ए-ताबिईन' वे हैं जिन्होंने ताबिईन का अनुसरण किया।

संरक्षण और प्रचार-प्रसार

सहाबा का काल (अवधि), हिजरी प्रथम शताब्दी

सहाबा के काल में अहादीस और सुन्नत के संरक्षण और प्रसार में कई कारकों का योगदान था। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं—

1. **सहाबा का मुहम्मद *(सल्ल.)* के प्रति गहन प्रेम और समर्पण**

   सहाबा अपने स्वयं के जीवन से ज़्यादा मुहम्मद *(सल्ल.)* से प्रेम करते थे। यह क़ुरआन की आज्ञा के कारण था। "पैग़म्बर ईमान वालों के उनके स्वयं से भी ज़्यादा क़रीब है।"— (क़ुरआन, 33:6)

   क़ुरआन यह भी कहता है—

"ऐ नबी! कहो अगर तुम अल्लाह से मुहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो। अल्लाह तुम्हारे साथ मुहब्बत करेगा और तुम्हारे सभी गुनाह माफ़ करेगा। अल्लाह अत्यन्त क्षमाशील और दयावान है।"

(क़ुरआन, 3:31)

अतः मुहम्मद *(सल्ल.)* जो कुछ कहते, करते और पसन्द करते या किसी बात की पुष्टि कर देते थे उसको सहाबा निरन्तर देखते रहते थे और उसका अनुसरण करते थे। अतः मुहम्मद *(सल्ल.)* के प्रत्येक कथन एवं कार्य को वे अपने दिलों और दिमाग़ों में बिठा लेते थे।

असंख्य सहाबा का मुहम्मद *(सल्ल.)* के प्रति गहन प्रेम और समर्पण, हदीसों और सुन्नतों को प्रमाणित और सुनिश्चित करता है। सहाबा का मुहम्मद *(सल्ल.)* के प्रति लगाव तथा समर्पण इतना गहरा था और वे इतने उत्साह से उनका अनुसरण करते थे कि यदि कोई इसमें लापरवाही या कोताही करता तो उसे कड़ाई से पालन करने के लिए बाध्य करते थे। हदीस के बड़े आलिम इमाम बुख़ारी एक ऐसी ही घटना का वर्णन करते हैं–

अब्दुल्लाह इब्ने-मुफ़ज़्ज़ल ने किसी आदमी को पत्थर से चिड़ियों का शिकार करते देखा तो उसे रोका कि मुहम्मद *(सल्ल.)* ने ऐसा करने से मना किया है। उन्होंने उस आदमी को फिर वही काम करते देखा तो कहा कि तुम मुहम्मद *(सल्ल.)* के आदेश के ख़िलाफ़ काम कर रहे हो, मैं आगे तुमसे बात नहीं करूँगा।

2. सहाबा द्वारा हदीसों का पालन

सहाबा द्वारा हदीसों का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य उनका पालन करना था। वे अपने जीवन के हर काम में हदीसों से हिदायत लेते थे इसलिए उनका यह अतिरिक्त प्रयास भी होता था कि वे हदीसों की प्रामाणिकता को सुनिश्चित करें। अबू-बक्र *(रज़ि)* और उस्मान *(रज़ि)* जैसे सहाबा हदीस के ज्ञान को प्रमाणित और सुनिश्चित करने के लिए आइशा *(रज़ि)* तथा बिलाल *(रज़ि)* से भी चर्चा करने में

नहीं हिचकते थे। इतिहास गवाह है कि किसी विशेष हदीस की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए सहाबा लम्बी और कठिन यात्राएँ करके हदीस के मूल वाचक के पास पहुँचते थे। यह बताया गया है कि अबू-अय्यूब अंसारी ने निम्नलिखित हदीस को उसके मूल वाचक अक़्बा इब्ने-अम्र से सुनने के लिए मदीना से इजिप्ट (मिस्र) तक की यात्रा की थी—

"जो भी ईमानवाले की ग़लतियों को छुपा लेगा, अल्लाह हश्र के दिन उसकी ग़लतियों को छुपा लेगा।" (बुखारी, मुस्लिम)

यह भी बताया गया है कि उपरोक्त हदीस को सुनने के तुरन्त बाद वे इजिप्ट से मदीना वापस रवाना हो गए। उन्होंने अपने ऊँट की काठी तक को नहीं बदला। इसी प्रकार ज़ुबैर इब्ने-अब्दुल्लाह ने इब्ने-अम्र से मात्र एक हदीस का मूल पाठ सुनने के लिए मदीना से सीरिया तक की एक माह की यात्रा की थी ताकि उक्त हदीस की प्रामाणिकता सिद्ध हो सके। सईद इब्ने-मुसय्यिब बताते हैं कि वे कई दिन तथा रातें; केवल एक हदीस को मूल वाचक से प्रामाणिक कराने के लिए यात्राएँ करते थे।

इसी सावधानी और सतर्कता के कारण सहाबा को हदीसों के मूल रूप के जैसी मान्यता प्राप्त है। सहाबा के कार्य, उनका समर्पण भाव, दैनिक इबादतें, व्यक्तिगत आचार, सामाजिक कार्य आदि हदीसों और सुन्नत के संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार के लिए प्रभावी माध्यम के रूप में मान्य हैं।

3. क़ुरआन समझने में सहाबा की गहरी रुचि

सहाबा क़ुरआन की कुछ आयतों अथवा शब्दों के अर्थ के बारे में प्रायः प्रश्न करते थे। वे ऐसे प्रश्नों के उत्तर हदीसों में ढूँढते थे। क़ुरआन को समझने और उसकी व्याख्या करने में सहाबा का एक दल हमेशा लगा रहता था। इसके कारण ही हज़ारों की संख्या में हदीसें ढूँढना और संकलित करना सम्भव हुआ। इसी प्रकार सहाबा का एक दल हमेशा

क़ानूनी पहलुओं को समझने और उनकी व्याख्या करने में लगा रहता था जिसे आज 'फ़िक़्ह' कहा जाता है। इन सहाबा के ही अथक प्रयासों के कारण हदीसों का विशाल संग्रह सम्भव हो सका जो इस्लाम की रिवायतों के बारे में विस्तृत जानकारी देता है।

4. अस्हाबे-सुफ़्फ़ा

ये ऐसे लोगों का समूह था जो मदीना में मस्जिदे-नबवी में रहते थे और मुहम्मद *(सल्ल.)* से दीन सीखने और समझने के लिए इन्होंने स्वयं को समर्पित कर रखा था। मदीना में मस्जिदे-नबवी इस्लाम का पहला खुला विश्वविद्यालय था और ये लोग वहाँ के निवासी छात्र (Resident Students) थे। बाद में यही लोग हदीसों के सबसे विश्वसनीय और आदरणीय स्रोत बन गए। ये लोग अध्ययन के बाद जब विभिन्न स्थानों में रहने लगे तो वे अपने साथ हादीसों की विस्तृत और प्रामाणिक जानकारी का ख़ज़ाना भी ले गए। इस तरह विभिन्न स्थानों में हदीसें सीखने और पढ़ने-पढ़ाने के कई विश्वविद्यालय वुजूद में आए। अबू-हुरैरा *(रज़ि)* इन्हीं असहाबुस- सुफ़्फ़ा में से एक मशहूर नाम है।

5. मुहम्मद *(सल्ल.)* के आख़िरी ख़ुतबे में दिए गए आदेश

मुहम्मद *(सल्ल.)* ने अपने अन्तिम ख़ुतबे में कहा था कि मेरे द्वारा बयान की गई प्रत्येक आयत को लोगों को बताओ। सहाबा इस कारण से हदीस के ज्ञान को अमूल्य धरोहर समझते थे और इसे सबको बताना अपना कर्तव्य जानते थे। साथ ही साथ किसी हदीस को बयान करने में वे बहुत सावधानी भी बरतते थे क्योंकि मुहम्मद *(सल्ल.)* ने यह भी कहा था कि यदि किसी ने मुझसे जोड़कर कोई ऐसी बात किसी को बताई जो मैंने नहीं कही तो उसका ठिकाना जहन्नम होगा। इसलिए वे इसे प्राथमिकता देते थे कि कोई अन्य ही, जिसे वे जानते हैं, हदीस बयान करे। अक्सर यह भी हुआ है कि सहाबी हदीस को जानते थे पर वाचक की मृत्यु तक चुप रहते थे और मृत्यु के समय उस हदीस को बताते।

मृत्यु-शैया पर पड़े सहाबी यह हदीस बताते और कहते कि यह अमूल्य धरोहर है जो मैं मृत्यु-शैया से बता रहा हूँ। इतिहास ऐसी कई घटनाओं का गवाह है। प्रारम्भिक समय में किसी सहाबी की मौत एक बड़ी घटना होती थी। सहाबी की मौत का समाचार तथा उनके द्वारा मृत्यु-शैया पर बताई गई हदीस दोनों ही दूर-दूर तक पहुँच जाते थे।

6. सहाबा का हदीसों के प्रति समर्पण (Devotion)

जहाँ अनगिनत सहाबा हैं, जिन्होंने सैकड़ों हदीसों का उल्लेख किया वहीं उनमें से कुछ सहाबा ने इन हदीसों के संकलन एवं प्रचार-प्रसार का बीड़ा उठाया। नीचे उन सहाबा के नाम दिए जा रहे हैं जिन्होंने एक हज़ार से अधिक हदीसों को बयान किया –

क्र.सं.	सहाबी का नाम	मृत्यु वर्ष	बयान की गई हदीसों की संख्या
1	अबू-हुरैरा	59 हिजरी	5374
2	आइशा सिद्दीक़ा	58 हिजरी	2286
3	अब्दुल्लाह इब्ने-अब्बास	68 हिजरी	1660
4	अब्दुल्लाह इब्ने-उमर	73 हिजरी	1630
5	ज़ुबेर इब्ने-अब्दुल्लाह	78 हिजरी	1560
6	अनस इब्ने-मालिक	93 हिजरी	1286
7	अबू-सईद ख़ुदरी	73 हिजरी	1170

इसी समय में सहाबा के एक समूह ने हदीसों को लिखने का काम किया। कुछ हदीसों का संकलन प्रथम शताब्दी हिजरी में हुआ। वे निम्नलिखित हैं–

1. अली इब्ने-अबी-तालिब के सहीफ़े
2. साद इब्ने-उबादा अंसारी के सहीफ़े
3. अब्दुल्लाह इब्ने-अबी-औफ़ी के सहीफ़े
4. समरा इब्ने-जुन्दुब के नुस्ख़े

5. अबी-रफ़ी मौला अल-रसूज़ की किताब
6. अबू-हुरैरा की किताब
7. ज़ुबैर इब्ने-अब्दुल्लाह अंसारी के सहीफ़े
8. अब्दुल्लाह इब्ने-उमर इब्ने-आस के सहीफ़े

इस चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि सहाबा के विभिन्न समूहों ने अपने-अपने स्तर पर किए गए प्रयासों से हदीसों और सुन्नत के शुरूआती संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार में अमूल्य योगदान दिया। दूसरी तथा तीसरी शताब्दी हिजरी में इन हदीसों के प्रचार-प्रसार में जो कुछ भी किया गया वह सहाबा द्वारा किए गए कार्यों पर ही आधारित था।

हिजरी द्वितीय शताब्दी – ताबिईन का काल

ताबिईन में हदीसों का ज्ञान और उनसे प्रेम सहाबा से विरासत में आया। बहरहाल सहाबा का ज्ञान बिखरे रूप में था– जैसे लोगों की याददाश्त में या फिर छोटे-छोटे लेखों के रूप में। तब कई लोग इस बिखरी जानकारी को इकट्ठा करने और संकलित करने में लग गए। इससे हदीसों की औपचारिक शिक्षा एवं लेखन कार्य प्रारम्भ हुआ। यह उपलब्ध हदीसों का केवल अभिलेखन ही नहीं था बल्कि ज्ञान की नई शाख़ा की नीव तैयार की गई, जिसे 'इल्मुल-हदीस' कहा गया। प्रत्येक हदीस की बारीकी से छानबीन की जाती, उसकी विश्वसनीयता परखी जाती। जब कोई हदीस प्रमाणित हो जाती तभी उसे लिखा जाता।

ख़लीफ़ा उमर इब्ने-अब्दुल अज़ीज़ (मृत्यु 101 हिजरी) ने अपने गवर्नरों को आदेश भेजा कि हदीसों का संकलन किया जाए। इस आदेश से अनेक विद्वानों को अपने द्वारा संकलित हदीसों को लिखने की प्रेरणा मिली। साथ ही साथ ख़लीफ़ा ने इस कार्य की देख-भाल के लिए मदीना के क़ाज़ी अबू-बक्र इब्ने-हाज़म को नियुक्त किया। क़ाज़ी अबू-बक्र ख़ुद हदीसों के ज्ञाता थे। इन्हें उनकी चाची अमरा बिन्ते-अब्दुर्रहमान ने व्यक्तिगत रूप से पढ़ाया था। अमरा आइशा सिद्दीक़ा *(रज़ि॰)* की

शागिर्द रह चुकी थीं। एक अन्य महान विद्वान मुहम्मद इब्ने-मुस्लिम इब्ने-शिहाब-अल-ज़ुहरी (51-124 हिजरी) ने हदीसों का विस्तृत संकलन प्रस्तुत किया। कई अन्य विद्वानों ने भी अपने स्तर पर इस काम को हाथ में लिया और अपने संकलन प्रस्तुत किए। इस शताब्दी के कुछ मुख्य संकलनकर्ता निम्नलिखित हैं—

क्र॰ सं॰	विद्वान का नाम	मृत्यु वर्ष	मृत्यु स्थान
1	अबू मु॰ अब्दुल-मलिक इब्ने-अब्दुल-अज़ीज़	150 हिजरी	मक्का
2	मुहम्मद इब्ने-इस्हाक़	151 हिजरी	मदीना
3	मुअम्मर इब्ने-रशीद	153 हिजरी	यमन
4	अबू-अम्र अब्दुर्रहमान औज़ाई	156 हिजरी	सीरिया
5	शोबा इब्ने-हज्जाज	160 हिजरी	इराक़
6	अबू-अब्दुल्लाह सुफ़ियान तावरी	168 हिजरी	इराक़
7	अल-लायत इब्ने-साद	175 हिजरी	मिस्र
8	इमाम मालिक इब्ने-अनस	179 हिजरी	मदीना

कई विद्वानों ने मुस्लिम दुनिया में हदीसों की शिक्षा के लिए विभिन्न स्थानों में अध्ययन केन्द्र खोले। इनमें से कुछ प्रमुख केंद्र निम्नलिखित हैं—

क्र॰सं॰	विद्वानों के नाम	केंद्र का स्थान
1	इब्ने-जुरई	मक्का
2	इमाम मालिक	मदीना
3	सुफ़ियान तावरी	सीरिया
4	हम्माद इब्ने-सलामा	इराक़
5	अब्दुल्लाह इब्ने-मुबारक	खुरासान
6	इमाम औज़ाई	सीरिया

इन विद्वानों ने 'इल्मुल-हदीस' में महत्वपूर्ण योगदान दिया और हदीसों के मूल्यांकन की नींव रखी। परिणामस्वरूप कई अप्रमाणित हदीसें जो आ गई थीं उन्हें हटाया गया तथा विश्वसनीय और प्रामाणिक हदीसों को प्रचारित किया गया।

इसी अवधि में 4 महान 'फ़क़ीह' (Jurists) भी हुए – इमाम अबू-हनीफ़ा (80-150 हिजरी), इमाम मालिक (95-179 हिजरी), इमाम शाफ़ई (150-204 हिजरी) और इमाम अहमद इब्ने-हंबल (164-241 हिजरी)। इनके कार्यों ने 4 इस्लामिक 'फ़िक़्ह' विकसित किए – हनफ़ी, मालिकी, शाफ़िई और हंबली। इनमें से प्रत्येक ने हदीसों से ही अपने-अपने विधिशास्त्र तैयार किए और हदीसों की अपने-अपने ढंग से व्याख्या की तथा प्रत्येक ने जीवन का इस्लामिक कोड (Islamic Code) अलग-अलग बनाया। इनके काम ने उपलब्ध हदीसों को उल्लेखनीय स्वरूप दिया। इमाम अहमद इब्ने-हंबल ने हदीसों का एक बड़ा ख़ज़ाना संकलित भी किया जिसे 'मुसनद-अहमद' कहा जाता है। इसमें 30000 हदीसें हैं। यह संकलन उनकी मौत के बाद उनके बेटे ने प्रकाशित किया।

हिजरी तृतीय शताब्दी – तब-ए-ताबिईन का काल

दूसरी शताब्दी में अनेक विद्वानों एवं विद्यार्थियों ने इस्लाम के विधि शास्त्र को पढ़ने और पढ़ाने के लिए स्वयं को समर्पित किया। वे हदीसों के अध्ययन की ओर उन्मुख हुए। हदीसों का मूल्यांकन, वर्गीकरण एवं संकलन का अधिकांश कार्य तीसरी शताब्दी के अन्त तक पूरा हो चुका था। इस अवधि के कुछ प्रमुख योगदान नीचे दिए जा रहे हैं–

(1) 'इल्मुल-हदीस' पर अधिक ध्यान दिया गया। इसे कई शाख़ाओं में बाँटा गया और प्रत्येक शाख़ा को अलग-अलग कार्य दिया गया। हदीसों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए सख़्त मापदण्ड निर्धारित करने के पूर्ण प्रयास किए गए। प्रत्येक हदीस के इन मापदण्डों

की कड़ी परख की गई और इन्हें इनकी विश्वसनीयता के आधार पर वर्गीकरण कर विशेष नाम दिए गए। सहीह, हसन और ज़ईफ़ जैसे शब्द हदीसों की विश्वसनीयता के आधार पर प्रयुक्त किए गए। अब ये नाम हदीस शास्त्र के अभिन्न अंग बन गए हैं और प्रत्येक हदीस के साथ इन शब्दों को उपसर्ग के रूप में लगाया जाता है। यह एक उल्लेखनीय योगदान था जिससे प्रत्येक हदीस को पुस्तकों में उचित स्थान देने में मदद मिली।

(2) इस अवधि का एक उल्लेखनीय योगदान यह भी रहा कि प्रत्येक हदीस के साथ उसके उल्लेखकर्ता का नाम भी लिखा जाने लगा जिसे तकनीकी रूप से 'असनाद' कहा गया। प्रत्येक हदीस के शुरू में ही उल्लेखकर्ताओं की श्रृंखला का उल्लेख किया जाने लगा, जो मुख्य स्रोत मुहम्मद *(सल्ल.)* तक जाता है। 'इल्मुल-हदीस' की नई शाख़ा 'अस्मा-उर-रिजाल' (उल्लेखकर्ताओं के नाम) बनाई गई, जिसमें उल्लेखकर्ताओं की विश्वसनीयता का अध्ययन किया जाता था। हर एक उल्लेखकर्ता की वंशावली एवं जीवनी के विवरण एकत्र करके लिख लिए गए। इसमें उनकी धर्मपरायणता, विद्वता, याददाश्त, कारोबार, उम्र, जन्म-स्थान एवं मृत्यु आदि का पूरा ब्योरा रखा गया। प्रत्येक उल्लेखकर्ता की विश्वसनीयता को कठोर मापदण्डों पर परखा गया। यदि कोई इन मापदण्डों पर खरा नहीं उतरता तो उसके द्वारा बताई गई सारी हदीसों को निरस्त कर दिया जाता था। जो उल्लेखकर्ता इन मापदण्डों पर खरे उतरते थे उनके द्वारा बताई गई हदीसों को स्वीकार कर श्रेणीबद्ध किया जाता था। यह विश्वसनीयता के स्तर पर आधारित होती थीं। 'असनाद' के आने के बाद हदीसों की विश्वसनीयता को नया आयाम मिला और उन्हें तुलनात्मक श्रेणी भी मिली।

(3) जहाँ तक हदीसों के संकलन एवं संग्रहण का सवाल है, द्वितीय शताब्दी में किए गए कार्य विस्तृत नहीं थे। उदाहरणार्थ इमाम मालिक के संकलन 'मुवत्ता' में केवल 1700 हदीसें हैं जो मुख्यतः धर्म के प्रति

समर्पण के विषय पर आधारित हैं। इस तरह हदीस में और अधिक कार्य की आवश्यकता थी जो व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में बताए। कई विद्वानों ने इस कार्य को अपने हाथों में लिया। इनमें से प्रमुख रूप से उल्लेखनीय निम्नलिखित हैं जिन्हें 'सिहाहे-सित्तह' कहा जाता है—

1. मुहम्मद इब्ने-इस्माईल-अल-बुखारी (194-156 हि॰)
2. अबू-हुसैन मुस्लिम-अल-हज्जाज (204-261 हि॰)
3. अबू-अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्ने-मजीद इब्ने-माजा(209-295 हि॰)
4. अबू-दाऊद सुलैमान इब्ने-अशात (202-275 हि॰)
5. अबू-ईसा मुहम्मद अत्-तिरमिज़ी (209-279 हि॰)
6. अबू-अब्दुर्रहमान नसई (214-303 हि॰)

(4) कई अन्य विद्वानों ने भी हदीसों के संकलन में योगदान दिया। इमाम अहमद इब्ने-हंबल (164-241 हिजरी) और इमाम अब्दुल्लाह-अद-दारिमी (181-225 हिजरी) भी बहुत विश्वसनीय माने जाते हैं। इनमें से पहली 'मुसनद-अहमद' में 30000 से अधिक हदीसें हैं तथा दूसरी 'सुनन-अद्-दारिमी' में 3550 हदीसें हैं। ये दोनों 'सुनन' शीर्षक के अन्तर्गत सर्वप्रथम संकलन में से मानी जाती हैं।

(5) इस सदी का एक अन्य योगदान यह है कि हदीस की पुस्तकों का भी वर्गीकरण किया गया। यह वर्गीकरण पुस्तकों के संकलन की विधियों और उनकी विश्वसनीयता के आधार पर किया गया। उपरोक्त 6 विद्वानों की हदीसों की पुस्तकों को सबसे विश्वसनीय माना गया और इन्हें 'सिहाहे-सित्तह' कहा गया। इनमें से भी इमाम बुख़ारी और मुस्लिम की पुस्तकों को सबसे विश्वसनीय माना गया और इन्हें 'सहीह' कहा गया। जामेअ, मुसनद, सुनन और मुस्तदरक आदि नाम भी पुस्तकों को वर्गीकृत रूप से दिए गए।

मानवीय रूप से हदीसों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु अधिकतम प्रयास करके पुस्तकों को पूरा करने का काम तीसरी शताब्दी

हिजरी में हुआ। यह कार्य मुहम्मद *(सल्ल.)* के सहाबा से प्रारम्भ होकर ताबिईन तथा तब-ए-ताबिईन द्वारा तीन शताब्दियों तक चला।

असंख्य विद्वानों ने— जो इतिहास, भाषा, विधि, हदीस और क़ुरआन का परम ज्ञान रखते थे— अपना जीवन लगा दिया ताकि मुहम्मद *(सल्ल.)* द्वारा किए गए कार्य एवं कथनों की एक-एक शब्द की विश्वसनीयता को पुस्तक के रूप में लिखे जाने से पूर्व जाँचा जा सके। मुहम्मद *(सल्ल.)* के कथन, उनकी चर्चाएँ, प्रवचन, पत्रों, आदतों, गतिविधियों और यहाँ तक की किसी अन्य द्वारा किए गए कार्य को स्वीकृत करने या अस्वीकार करने आदि को अक्षरशः सुरक्षित करके ईमानदारी से आगामी पीढ़ियों तक पहुँचाया गया। प्रत्येक हदीस का अलग-अलग मूल्यांकन किया गया तथा उसके आगे उसकी विश्वसनीयता दर्शाते हुए विशेष नाम भी दिए गए। हदीसों की पुस्तकों का भी उनकी विश्वसनीयता के आधार पर नामकरण किया गया। प्रत्येक हदीस के उल्लेख करनेवालों की शृंखला, जो मुहम्मद *(सल्ल.)* तक जाती थी, के नाम भी हदीस से पहले लिखे गए। आज भी कोई मुहद्दिस किसी हदीस के बयान करने से पूर्व उस हदीस का नाम, उसकी विश्वसनीयता का स्तर, पुस्तक का नाम, कब लिखी गई और फिर बयान करनेवालों की शृंखला का वर्णन जो मुहम्मद *(सल्ल.)* तक जाता है, बताते हैं, उसके पश्चात् ही हदीस का उल्लेख करते हैं। हदीसों और सुन्नतों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए तत्कालीन मुस्लिमों ने जो काम किए उसकी मिसाल किसी अन्य धर्म, राष्ट्र, दल अथवा लोगों के किसी छोटे समूह तक में नहीं मिलती।

हदीसों के मूल्यांकन के सिद्धान्त

हदीस के दो भाग होते हैं — पहला हदीस का मूल पाठ जिसे 'मत्न' कहा जाता है और दूसरा उल्लेखकर्ताओं की शृंखला जिसे 'असनाद' कहा जाता है। मत्न और असनाद के मूल्यांकन के लिए

अलग-अलग विस्तृत एवं कठोर मापदण्ड बनाए गए थे। मत्न के परखने को आन्तरिक तथा असनाद के परखने को बाहरी मापदण्ड माना गया। हदीस को लिखने के लिए तभी योग्य माना जाता था जब वह इन दोनों मापदण्डों पर खरी उतरती थी।

असनाद के मूल्यांकन के सिद्धान्त

रावी (उल्लेखकर्ता) का निर्विवाद एवं साफ़-सुथरा चरित्र, किसी हदीस को स्वीकार करने के लिए सबसे प्रमुख मापदण्ड था। जैसा कि पहले बताया गया है। 'इल्मुल-हदीस' द्वारा 'असमा-उर-रिजाल' नाम की कमेटी बनाई गई जो रावियों की विश्वसनीयता की जाँच करती थी। इस के लिए बनाए गए कुछ मापदण्ड निम्नलिखित हैं—

1. रावी का नाम, उपनाम, उपाधि, माँ-बाप के नाम और उनके व्यवसाय की जानकारी।
2. मूल रावी ने यह बताया हो कि उसने मुहम्मद *(सल्ल.)* के मुख से अमुक हदीस स्वयं सुनी है।
3. यदि एक रावी किसी अन्य रावी का हवाला देता है तो दोनों एक ही काल के होने चाहिएँ तथा उनका आपस में मिलना सिद्ध होना चाहिए।
4. हदीस के सुनने और उसे बताने के समय रावी का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए ताकि वह ठीक से सुन, समझ और याद रख सके।
5. वह अल्लाह से डरनेवाला और परहेज़गार व्यक्ति होना चाहिए।
6. वह झूठ बोलने, झूठी गवाही देने या किसी अपराध का आरोपी नहीं होना चाहिए।
7. किसी विश्वसनीय व्यक्ति के विरोध में उसने कभी कुछ न कहा हो।
8. उसका धार्मिक विश्वास और कर्म सर्वविदित और आदरणीय होना चाहिए।

9. उसने कोई अजीब अथवा स्वनिर्मित धार्मिक कृत्य न किया हो।

मत्न का मूल्यांकन

1. मत्न सीधी और सरल भाषा में होना चाहिए।
2. प्रचलित अरबी भाषा के अनुसार होना चाहिए। अशोभनीय शब्दावली को स्वीकार नहीं किया जाता था।
3. जो मत्न छोटे गुनाहों के लिए बड़ी सज़ा तथा छोटी नेकी के लिए बड़े इनाम दर्शाते थे वे अस्वीकृत कर दिए जाते थे।
4. वे मत्न जो दूसरों के रिवाजों के बारे में होते थे परन्तु मुस्लिमों में न वे प्रचलित थे न वे जाने जाते थे, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाता था।
5. जो मत्न क़ुरआन की बुनियादी शिक्षा के विरुद्ध होते उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता था।
6. स्वीकृत हदीसों के विरोधाभासी मत्न भी स्वीकार नहीं किए जाते थे।
7. मानव-समाज के मूल सिद्धान्तों, कारणों और तर्कों के विरोधी मत्न भी स्वीकार नहीं किए जाते थे।
8. ऐतिहासिक सत्यता के विरोधी मत्न अस्वीकृत होते थे।
9. मत्न हूबहू मुहम्मद *(सल्ल.)* का ही कथन हो न कि रावी की अपनी भाषा में, इसके लिए अत्यधिक सावधानी बरती जाती थी।
10. मुहम्मद *(सल्ल.)* तथा उनके परिवार के सदस्यों के सम्मान को कम करनेवाले मत्न अस्वीकृत कर दिए जाते थे।
11. जो रावी सहाबा अथवा ताबिईन के काल (Period) में अनजाना या अज्ञात हो उसके कथन को स्वीकृत नहीं किया जाता था।

उपरोक्त सर्वमान्य मापदण्डों के अतिरिक्त प्रत्येक विद्वान ने हदीसों की विश्वसनीयता को और अधिक परखने के लिए अपने अलग-अलग मापदण्ड बना रखे थे। उदाहरण के लिए इमाम बुख़ारी तब तक किसी

हदीस को स्वीकार नहीं करते थे जब तक कि रावी 'अ' यह न कहे कि उसने वह हदीस रावी 'ब' से सुनी है। इस आधार पर उन्होंने अली *(रज़ि.)* द्वारा बताई गई हसन बसरी की एक भी हदीस को स्वीकार नहीं किया बल्कि उस्मान द्वारा उनकी कही गई हदीसों को स्वीकार किया। जबकि हसन बसरी हमेशा अली के काफ़ी नज़दीक रहे। इमाम अहमद इब्ने-हंबल के बारे में कहा गया है कि वे अपनी पुस्तक 'मुसनद-अहमद' में किसी हदीस को लिखने से पहले ख़ुद उस हदीस पर अमल करते थे।

अहादीस का वर्गीकरण

विभिन्न मापदण्डों के आधार पर हदीसों को कई समूहों और श्रेणियों में बाँटा जा सकता है। विश्वसनीयता की विभिन्न श्रेणियों तथा स्तर के आधार पर किसी हदीस के एक से अधिक नाम भी हो सकते हैं।

1) सभी हदीसों को दो मुख्य वर्गों में बाँटा जा सकता है – पहला, अल्लाह के कथन दूसरा मुहम्मद *(सल्ल.)* के कथन।

(अ) हदीसे-क़ुदसी : ऐसा कथन जिसे मुहम्मद *(सल्ल.)* अल्लाह का बताया हुआ कहते हैं। उदाहरण के लिए –अल्लाह कहता है कि मैं अपने बन्दे के साथ हूँ जब वह मुझे याद करता है और मेरी याद में अपने होंठ चलाता है। (बुख़ारी) हदीसे-क़ुदसी और क़ुरआन में यह फ़र्क़ है कि क़ुरआन अल्लाह का वास्तविक कथन है और हदीसे-क़ुदसी अल्लाह का मुहम्मद *(सल्ल.)* के द्वारा भेजा गया सन्देश है जो क़ुरआन में सम्मिलित नहीं है।

(ब) हदीसे-नबवी : मुहम्मद *(सल्ल.)* का कथन या कार्य अथवा किसी अन्य के द्वारा किए गए कार्य की मुहम्मद *(सल्ल.)* द्वारा स्वीकृति या अस्वीकार किया जाना।

2) हदीसों को उनके असनाद के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है।

(अ) मुतवातिर : ऐसी हदीस जो कई रावियों द्वारा हर समय बताई गई हो, जिससे उसमें किसी शंका की गुंजाइश ही न रहे। मुहम्मद *(सल्ल.)* के बाद रावियों की तीन लगातार पीढ़ियों के चार अलग-अलग रावियों द्वारा कही गई बात अत्यधिक विश्वसनीय हदीस की श्रेणी में आती है।

(ब) अहद (व्यक्तिगत) : मुहम्मद *(सल्ल.)* के बाद चार से कम पीढ़ियों द्वारा वर्णित कथन या जिस कथन के रावियों की शृंखला टूटी हुई हो अहद हदीस कहलाती है।

(स) ग़रीब (Rare) : एक ही व्यक्ति द्वारा विशेष अवधि में कही गई बात ग़रीब हदीस है। यदि यह हदीस ऐसे रावी द्वारा कही गई हो जिसकी धार्मिकता एवं निष्ठा में कोई शंका न हो तो उसे विश्वसनीय एवं प्रामाणिक हदीस माना जाता है। उदाहरण के लिए सहीह बुख़ारी की पहली हदीस – 'आपका काम आपकी नीयत से परखा जाएगा' – एक ग़रीब हदीस है। लेकिन इसे विश्वसनीय और प्रामाणिक माना गया है क्योंकि यह उमर बिन-ख़त्ताब *(रज़ि.)* के द्वारा कही गई थी।

३) हदीसों को उनकी विश्वसनीयता के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है।

(अ) सहीह (Correct) हदीस : जो हदीस ऐसे व्यक्तियों की शृंखला द्वारा कही गई हो जिनकी सत्यनिष्ठा, चरित्र अध्ययन, याददाश्त शंकाहीन हो सहीह कहलाती। यह सर्वाधिक विश्वसनीय हदीस मानी गई है। सहीह बुख़ारी और सहीह मुस्लिम दोनों में उल्लिखित हदीसों को सबसे विश्वसनीय होने की मान्यता प्राप्त है।

(ब) हसन (Approved) हदीस : यह सहीह हदीस जैसी ही है परन्तु इसके रावियों की सत्यनिष्ठा, चरित्र, अध्ययन

तथा याददाश्त कुछ कम दर्जे की मानी गई है। यह भी विश्वसनीय हदीस ही है परन्तु सहीह हदीस के बाद।

(स) ज़ईफ़ (Weak) हदीस : ऐसे रावियों द्वारा वर्णित हदीस जिनका चरित्र अज्ञात है और जिनकी असनाद में कुछ त्रुटियाँ हैं। यह हसन हदीस के बाद की हदीस है।

जो लोग 'इल्मुल-हदीस' को नहीं जानते वे ज़ईफ़ हदीस को पूरी तरह नकार देते हैं। विद्वान यह मानते हैं कि यह हदीस यदि इबादत में समर्पण और जीवन के कार्यों में सात्विकता से सम्बन्धित है तो इसे स्वीकृत हदीस माना जाए। इसके विपरीत यदि यह हदीस बुनियादी अक़ीदे से सम्बन्धित हो तो इसे स्वीकार किया भी जा सकता है और नहीं भी। बहरहाल दैनिक जीवन में यह मुहम्मद *(सल्ल.)* द्वारा वर्णित है केवल इसी कारण से सभी विद्वानों ने इन हदीसों का अपनी पुस्तकों में उल्लेख किया है।

रावियों की शृंखला पर आधारित कुछ अन्य छोटे वर्गीकरण भी हैं। इनमें से अधिकांश ज़ईफ़ हदीस के उपवर्ग माने जाते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई ज़ईफ़ हदीस अलग-अलग रावियों (असनाद) की शृंखला द्वारा बताई गई हो तो उसे हसन हदीस माना जाता है। सहीह बुख़ारी और सहीह मुस्लिम में ऐसी अनेक हदीसें शामिल हैं।

हदीस की पुस्तकों का वर्गीकरण

हदीस की पुस्तकों का उनकी विषयवस्तु और उनकी विश्वसनीयता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है।

(अ) सहीह : इमाम बुख़ारी और इमाम मुस्लिम की पुस्तकें। विद्वान यह मानते हैं कि इन दोनों ने हदीसों की जाँच और संकलन में सबसे कड़े एवं विस्तृत मापदण्ड अपनाए। अतः इन्हें सबसे विश्वसनीय स्रोत माना जाता है।

(ब) सिहाह-सित्तह : हदीसों के 6 मूल संकलन जो उनके लेखकों के नाम से जाने जाते हैं। ये हैं बुख़ारी, मुस्लिम, नसई, अबू-दाऊद, इब्ने-माजा और तिर्मिज़ी। इनमें से बुख़ारी और मुस्लिम पहले और दूसरे स्थान पर हैं।
शेष चार का कोई क्रम नहीं है।

(स) जामेअ् : हदीसों का विस्तृत संकलन जो जीवन के हर एक पहलू के बारे में बताता हो। उदाहरणार्थ जामेअ् तिर्मिज़ी।

(द) सुनन : केवल धर्मादेशों से सम्बन्धित हदीसों के संग्रह को सुनन कहा जाता है। जैसे सुनन अबू-दाऊद।

(इ) मुसनद : जिन्होंने हदीसों को बयान किया उन सहाबा के नामों के अनुसार किए गए संग्रह को मुसनद कहा जाता है। जैसे मुसनद अहमद।

(ई) मुस्तख़रज : किसी अन्य मुहद्दिस के हवाले से प्रस्तुत हदीसों को मुस्तख़रज कहा जाता है। जैसे इमाम बुख़ारी द्वारा वर्णित मुस्तख़रजे-इस्माईली।

(उ) मुस्तदरक : इमाम बुख़ारी तथा इमाम मुस्लिम के मापदण्डों को आधार मानकर संग्रह की गई हदीसों को मुस्तदरक कहते हैं। जैसे इमाम हाकिम की मुस्तदरक।

ईमान के बुनियादी स्तंभ

इस्लाम की कुछ परिभाषाएँ

(1) इब्ने-उमर (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल॰)* ने कहा—

> इस्लाम के पाँच स्तंभ हैं — अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं और मुहम्मद *(सल्ल॰)* अल्लाह के रसूल हैं, नमाज़ क़ायम करना, रमज़ान के रोज़े रखना, जक़ात देना और अल्लाह के घर का हज करना।
>
> (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(2) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि॰)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल॰)* ने कहा—

> यदि कोई हमारे जैसी नमाज़ पढ़ता है, क़िबले की तरफ़ मुँह करता है और हमारे द्वारा हलाल की गई चीज़ों को खाता है, वह मुस्लिम है। उसे अल्लाह और मुहम्मद *(सल्ल॰)* के द्वारा सुरक्षा दी जाएगी। अतः अल्लाह की सुरक्षा का आदर करो। (हदीस : बुख़ारी)

(3) अबू-हुरैरा *(रज़ि॰)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल॰)* ने कहा—

मुस्लिम वह है जिसकी ज़बान और हाथ से अन्य मुस्लिम सुरक्षित रहते हैं और ईमानवाला वह है जिस पर लोग अपने जीवन तथा सम्पत्ति सहित विश्वास करते हैं। (हदीस : नसई)

(4) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि नबी *(सल्ल.)* ने कहा—

इस्लाम की ख़ूबसूरती का यह एक हिस्सा है कि एक व्यक्ति उस चीज़ को छोड़ देता है जिसका उससे सम्बन्ध नहीं होता।

(हदीस : इब्ने-माजा, तिर्मिज़ी)

ईमान (विश्वास) की कुछ परिभाषाएँ

(5) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

ईमान के 70 से 80 दर्जे हैं, इनमें से सर्वोच्च यह है कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं तथा सबसे नीचे है रास्ते से ऐसी वस्तु हटाना जो नुक़सान पहुँचा सकती है। शालीनता भी ईमान का एक दर्जा है। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(6) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने शायद ही कभी निम्नलिखित वाक्य कहे बिना हमें सम्बोधित किया हो—

जो विश्वसनीय नहीं है उसका ईमान नहीं है और जो अपने वचन पूरे नहीं करता उसका कोई धर्म नहीं। (हदीस : बैहक़ी)

(7) अबू-इमामा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

यदि कोई अल्लाह के लिए मुहब्बत करता है, अल्लाह के लिए नफ़रत करता है, अल्लाह के लिए देता है और अल्लाह के लिए रोकता है तो उसका ईमान पक्का है।

(हदीस : अबू-दाऊद, तिर्मिज़ी)

(8) मुआज़ बिन-जबल *(रज़ि.)* ने कहा कि उन्होंने नबी *(सल्ल.)* से पूछा—

ईमान का सबसे अच्छा पहलू क्या है? मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा कि आप अल्लाह के लिए मुहब्बत करें और अल्लाह के लिए नफ़रत करें, अपनी ज़बान को अल्लाह की याद में लगाएँ और जो अपने लिए पसन्द करते हैं वही दूसरों के लिए भी पसन्द करें तथा जो अपने लिए नापसन्द करते हैं उसे दूसरों के लिए भी नापसन्द करें। (हदीस : मुस्नद अहमद)

(9) अबू-उस्मान (रज़ि.) से रिवायत है कि किसी ने एक बार मुहम्मद *(सल्ल.)* से पूछा ईमान क्या है?

मुहम्मद *(सल्ल.)* ने जवाब दिया कि जब आपके अच्छे काम आपको सुकून देते हैं और ख़राब काम आपको दुखी करते हैं तों आपमें ईमान है।

फिर उस व्यक्ति ने पूछा कि गुनाह क्या है? मुहम्मद *(सल्ल.)* ने जवाब दिया कि जब कोई चीज़ आपकी अन्तरात्मा को कचोकती है तो उसे छोड़ दो और उससे बचो। (हदीस : मुस्नद अहमद)

(यह एक उपयोगी नियम है। यदि किसी चीज़ के बारे में हमें नहीं मालूम कि इस्लाम क्या कहता है तो उस काम को मत करो कि जिसे करने से तुम्हें दुख हो। निश्चय ही वह ग़लत काम होगा।)

ईमान के तीन स्तर – इस्लाम, ईमान और एहसान

(10) उमर बिन-ख़त्ताब *(रज़ि.)* से रिवायत है कि एक दिन जब वे मुहम्मद *(सल्ल.)* के साथ बैठे थे वहाँ एक आदमी बहुत सफ़ेद कपड़ों में आया। उसके बाल एक-दम काले थे। उसको कोई नहीं पहचानता था और उसके चेहरे पर थकान के कोई चिह्न नहीं थे। वह मुहम्मद *(सल्ल.)* के बाज़ू में आकर बैठा। उसके घुटने मुहम्मद *(सल्ल.)* के घुटनों से छू रहे थे। उसने अपने हाथ मुहम्मद *(सल्ल.)* की जाँघों पर रखा और कहा, "ऐ मुहम्मद *(सल्ल.)* मुझे इस्लाम के बारे में बताओ।" मुहम्मद *(सल्ल.)* ने जवाब दिया, "आप गवाही दें कि

अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है और मुहम्मद उसके रसूल हैं, नमाज़ क़ायम करें, ज़कात दें, रमज़ान के रोज़े रखें और अगर आपमें शारीरिक और आर्थिक क्षमता है तो हज करें।" उस व्यक्ति ने कहा, "तुम सच कहते हो।" हम सब चकित थे कि यह कौन है जो मुहम्मद *(सल्ल.)* से सवाल कर रहा है और स्वयं ही प्रमाणित भी कर रहा है कि तुम सच कहते हो।

उस व्यक्ति ने फिर पूछा, "अब ईमान के बारे में बताओ।" मुहम्मद *(सल्ल.)* ने जवाब दिया, "अल्लाह पर विश्वास करो, उसके फ़रिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों और आख़िरत के दिन पर यक़ीन करो तथा अल्लाह के द्वारा बताए गए अच्छे और बुरे कामों के निर्णय पर यक़ीन करो।" उस व्यक्ति ने कहा "तुम सच कहते हो।" फिर पूछा, "मुझे एहसान के बारे में बताओ।" मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा, "अल्लाह की इबादत ऐसे करो मानो तुम उसे देख रहे हो, क्योंकि अगर उसे नहीं देख रहे हो फिर भी वह तुम्हें अवश्य देख रहा है।"

उस व्यक्ति ने फिर पूछा, "मुझे हश्र के दिन के बारे में बताओ।" मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा, "जिससे यह प्रश्न पूछा गया है वह पूछनेवाले से अधिक इस बारे में नहीं जानता।" तब उसने कहा, "अच्छा मुझे उसके लक्षणों के बारे में बताओ।" मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा, "जब कनीज़ें अपनी मालकिनों को जन्म देंगी तथा नंगे, नंगे पाँव, ग़रीब लोग और चरवाहे ऊँची-ऊँची इमारतों के मालिक बन जाएँगे।"

उस व्यक्ति के जाने के कुछ देर बाद मुहम्मद *(सल्ल.)* ने हम लोगों से पूछा, "तुम जानते हो कि वह व्यक्ति कौन था?" उमर *(रज़ि.)* ने कहा, "अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं।" मुहम्मद *(सल्ल.)* ने बताया कि वे जिबरील (फ़रिश्ता) थे और तुम्हें तुम्हारा मज़हब सिखाने आए थे। (हदीस : मुस्लिम)

ईमान के कुछ लक्षण

(11) अब्दुल्लाह इब्ने-मसऊद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने एक बार यह आयत पढ़ी—

"अल्लाह जिसे हिदायत देना चाहता है उसके दिल को इस्लाम के लिए खोल देता है।" (क़ुरआन, 6:125)

फिर उन्होंने समझाया कि जब दिलों में ईमान प्रवेश करता है तो दिल खुल जाते हैं।

उनसे पूछा गया कि क्या कोई ऐसा लक्षण है जिससे यह चीज़ पहचानी जा सके? मुहम्मद *(सल्ल.)* ने जवाब दिया। हाँ! छल-कपट से रुचि समाप्त होना, हमेशा रहने की जगह (आख़िरत) के बारे में फ़िक्र होना तथा मौत आने से पहले उसके लिए तैयार रहना।

(हदीस : बैहक़ी)

(यदि हमारा इस्लाम पर विश्वास दृढ़ है तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं क्षणिक है और दूसरी दुनिया जिसमें हमेशा रहना है वह इससे बेहतर है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यह दुनिया छल-कपट से भरी है और हमें इसी दुनिया में लिप्त रहने के लिए उकसाती है तथा आख़िरत की दुनिया को भुलाने के लिए प्रेरित करती है। इस दुनिया में कुछ दशकों से ज़्यादा कोई नहीं रहता। किन्तु आख़िरत की दुनिया और उसकी जन्नत की नेमतें या दोज़ख़ का अज़ाब हमेशा के लिए हैं।)

(12) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि नबी *(सल्ल.)* ने कहा—

जिसके पास भी 3 चीज़ें हैं वह ईमानवाला है—

अल्लाह और इसके पैग़म्बर *(सल्ल.)* से किसी भी अन्य से अधिक प्रेम करना, अल्लाह के लिए मुहब्बत करना और अविश्वास की तरफ़ लौटने से ऐसे नफ़रत करना जैसे जहन्नम की आग से।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

अल्लाह पर ईमान

(13) इब्ने-अब्बास *(रज़ि.)* से रिवायत है कि वे एक दिन अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* के पीछे सवारी कर रहे थे तब आप *(सल्ल.)* ने कहा— मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। अल्लाह की आज्ञा मानो वह तुम्हारी सुनेगा, उसकी आज्ञा का पालन करो वह तुम्हारी तरफ़ होगा। जब भी कुछ माँगो तो अल्लाह से माँगो और जब भी कोई मदद माँगो तो अल्लाह से ही माँगो। याद रखो यदि सब लोग मिलकर भी तुम्हारी मदद करना चाहें तो वे उसी तरह मदद कर पाएँगे जैसे अल्लाह चाहेगा। और अगर सब मिलकर तुम्हें नुक़सान पहुँचाना चाहें तो उसी तरह नुक़सान पहुँचा पाएँगे जैसे अल्लाह चाहेगा। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(14) मुआज़ *(रज़ि.)* से रिवायत है कि नबी *(सल्ल.)* ने कहा—
वह व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा जिसके अन्तिम शब्द ये हों—
"अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं।" (हदीस : अबू-दाऊद)

अल्लाह की दया एवं कृपा

(15) अबू-ज़र ग़िफ़ारी *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

अल्लाह कहता है कि जो व्यक्ति एक नेकी करता है उसको 10 गुना या उससे ज़्यादा भी इनाम दिया जाएगा। जो व्यक्ति एक बदी (पाप) करता है उसको केवल एक ही सज़ा दी जाएगी या उसे माफ़ी दी जाएगी। जो व्यक्ति एक हाथ मेरे नज़दीक आएगा उसके मैं एक बाँह नज़दीक आऊँगा और जो एक बाँह मेरे नज़दीक आएगा तो मैं उसके दो बाँह नज़दीक आऊँगा। जब कोई व्यक्ति मेरी ओर पैदल आएगा तो मैं उसकी तरफ़ दौड़ता हुआ आऊँगा।

जब कोई मेरी ओर पूरी दुनिया के बराबर गुनाह अपने साथ लेकर आता है तो मैं उतनी ही क्षमा के साथ उसकी ओर आता हूँ।

(हदीस : मुस्लिम)

(जब अल्लाह कहता है कि वह हमारे नज़दीक आता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह वास्तव में हमसे पास या दूर होता है। इसका अर्थ केवल यह है कि वह हमें और अच्छी तरह से उस चीज़ को याद करने में हमारी मदद करता है, जो दुनिया में सर्वोत्तम है। अल्लाह किसी दुराग्रही और विद्रोही गुनहगार को कभी माफ़ नहीं करता। वह उन्हें माफ़ करता है जो अपने गुनाहों पर पछताते हैं, सही राह पर चलने की कोशिश करते हैं और अल्लाह से माफ़ी माँगते रहते हैं।)

(16) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा –

अल्लाह के पास एक सौ कृपाएँ हैं। उनमें से केवल एक उसने धरती पर भेजी है जिसके ज़रिए सभी जीव एक दूसरे के प्रति कृपाशील एवं दयावान हैं। अभी 99 कृपाएँ उसके पास हैं जो हश्र के दिन (सदाचारी) लोगों पर बरसाएगा। (हदीस : बुख़ारी)

अल्लाह की सहनशीलता

(17) अबू-मूसा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा–

अल्लाह से अधिक सहनशील और कोई नहीं। लोग उसके पुत्र होने और साथी (Partners) होने की बात करते हैं फिर भी वह उनकी रक्षा करता है और उन्हें आजीविका प्रदान करता है।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(18) उमर इब्ने-ख़त्ताब *(रज़ि)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा–

यदि तुम अल्लाह पर पूरा यक़ीन रखते हो तो वह तुम्हें वैसे ही देगा जैसे परिन्दों को देता है। वे सुबह को भूखे अपने घोंसलों से निकलते हैं परन्तु शाम को भरे पेट लौटते हैं। (हदीस : तिर्मिज़ी)

अल्लाह का डर

(19) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो अल्लाह के डर से रोता है वह दोज़ख़ में नहीं जाएगा, जब तक कि थन में दूध वापस नहीं आता। जिसके पैर अल्लाह के काम में धूल से सने हों उसे दोज़ख़ की आग कभी छू नहीं पाएगी। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(जब तक दूध थन में वापस नहीं आता का अर्थ है जो कभी नहीं हो सकता। यह मुहम्मद *(सल्ल.)* के कहने का तरीक़ा है कि अगर कोई अल्लाह के डर से रोता है तो वह कभी दोज़ख़ में नहीं जाएगा। दूसरा वाक्य यह बताता है कि यदि हम अल्लाह के काम के लिए कठिन यात्राएँ (या मेहनत) करते हैं तो हमें अल्लाह की सज़ा से नजात मिलेगी।)

अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* पर ईमान

(20) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो मेरी आज्ञा मानता है वह अल्लाह की आज्ञा मानता है और जो मेरी अवमानना करता है वह अल्लाह की अवमानना करता है। (हदीस : बुख़ारी)

(21) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

मेरे सब लोग जन्नत में जाएँगे सिवाए इनकार करनेवालों के। यह पूछने पर कि इनकार करनेवाले कौन हैं उन्होंने कहा कि वह जो मेरी आज्ञा माने जन्नत में जाएगा और जो मेरी आज्ञा न माने वही इनकार करनेवाला है। (हदीस : बुख़ारी)

(22) अबू-रफ़ी से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा —

मुझे ऐसा कोई न मिले जो मेरी किसी आज्ञा अथवा मनाही को सुनकर यह कहे कि 'मैं नहीं जानता। मैं तो जो अल्लाह की किताब में है उसे ही मानता हूँ।'

(हदीस : अबू-दाऊद, मुस्नद अहमद, बैहक़ी, इब्ने-माजा, तिर्मिज़ी)

(इस हदीस से दो बातें स्पष्ट हैं— पहली यह कि जब कोई हदीस हम तक पहुँचे तो हमें उसे हल्के से नहीं लेना चाहिए और दूसरी यह कि केवल क़ुरआन का पालन करने से ही हम मुस्लिम नहीं हो पाएँगे। हमें हदीसों का भी पालन करना होगा।)

प्यारे नबी *(सल्ल.)* से मुहब्बत

(23) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

आपमें से कोई भी व्यक्ति सही ईमानवाला नहीं है जब तक कि वह अपने माँ-बाप, अपने परिवार और हर एक अन्य से भी अधिक मुझसे मुहब्बत न रखे। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(24) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो मेरी सुन्नतों से मुहब्बत करता है वह मुझसे मुहब्बत करता है और जो मुझसे मुहब्बत करता है वह जन्नत में मेरे साथ होगा।

(हदीस : तिर्मिज़ी)

(कई लोग मुहम्मद *(सल्ल.)* से मुहब्बत का दावा करते हैं लेकिन केवल उनकी तारीफ़ में नअतें पढ़ते हैं। यदि हम वास्तव में मुहम्मद

(सल्ल.) से मुहब्बत करते हैं तो हमें उनकी सुन्नतों का पालन करना चाहिए और उनके सदाचार पर अमल करना चाहिए तथा उस सन्देश के प्रसार-प्रचार के लिए काम करना चाहिए जिसके लिए वे आए थे।)

प्यारे नबी *(सल्ल.)* और अहले-किताब

(25) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

> क़सम है उसकी जिसके हाथों में मुहम्मद *(सल्ल.)* की जान है, इस काल का हर यहूदी और ईसाई जो मेरी आवाज़ (आह्वान) को सुनता है और मुझपर बिना विश्वास किए मर जाता है, वह जहन्नम के लोगों में होगा। (मुस्लिम)

(26) अबू-मूसा अशअरी *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

> तीन क़िस्म के लोगों को दुगुना इनाम दिया जाएगा। उनमें से एक वे अहले-किताब हैं जिन्होंने मेरे पैग़ाम को सुना और अपने पैग़म्बर के साथ-साथ मुझे अन्तिम पैग़म्बर माना।
>
> (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* की मध्यस्थता (Intercession)

(27) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

> हर पैग़म्बर की एक दुआ होती है जिसका अल्लाह अवश्य उत्तर देगा, और मैंने अपनी दुआ को सुरक्षित रखा है ताकि मैं हश्र के दिन अपनी उम्मत के लिए सिफ़ारिश हेतु उसका उपयोग करूँ।
>
> (हदीस : बुख़ारी)

(मुहम्मद *(सल्ल.)* की मध्यस्थता का अर्थ है कि अपनी उम्मत के लिए बड़े गुनाहों से क्षमा हेतु अल्लाह से याचना करना।)

हश्र (क़ियामत) का दिन

(28) अदी इब्ने-हातिम *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

आपमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिससे अल्लाह बिना किसी मध्यस्थ या परदे के बात न करे। वह अपने दाएँ देखेगा जो उसने पूर्व में कर्म किए, बाएँ देखेगा कि उसने पूर्व में जो कर्म किए। वह सामने देखेगा और उसे दोज़ख़ के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अतः दोज़ख़ से दूर रहो चाहे वह आधे खजूर के ज़रीए से ही क्यों न हो। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(आधे खजूर का मतलब है एक छोटी-सी चीज़ जो दान की गई।)

(29) आइशा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि मैं एक बार दोज़ख़ के डर से रोने लगी तो मुहम्मद *(सल्ल.)* ने पूछा क्यों रोती हो तो मैंने कहा कि दोज़ख़ के विचार और उसके डर के कारण मैं रोई। क्या आप हश्र के दिन अपने परिवार को याद रखेंगे? मुहम्मद *(सल्ल.)* ने फ़रमाया, क़सम है उसकी जिसके हाथों में मेरी जान है तीन मौक़े ऐसे होंगे कि जब कोई किसी अन्य को याद नहीं करेगा। पहला वह कि जब भलाई और बुराई का तराज़ू उठाया जाएगा और यह न मालूम हो जाए कि उसकी भलाई का पलड़ा बुराई से भारी है। दूसरा वह कि जब किसी के कर्मों की किताब उसके सामने लाई जाएगी और कहा जाएगा कि इसे पढ़ो। वह यह नहीं जानता कि यह किताब उसके दाँए हाथ, बाँए हाथ अथवा पीठ-पीछे से दी जाएगी। तीसरा वह कि जब जहन्नम के अथाह गहराईवाले गढ़े पर पतला पुल डालकर उसे पार करने का हर एक को आदेश दिया जाएगा। (हदीस : अबू-दाऊद)

(हम सब हश्र के दिन क़ब्रों से उठेंगे और अल्लाह का सामना होगा। वह फ़रिश्ते को आदेश देगा कि हमारी भलाई और बुराई को तौला जाए। हम सबको अपने कर्मों की किताब दी जाएगी। नेक लोग इस किताब को दाहिने हाथ में लेंगे और बुरे लोग इसे अपने बाएँ हाथ में लेंगे। फिर हमें दोज़ख़ के ऊपर बने एक संकरे पुल को पार करना होगा। नेक लोग इस पुल को सुरक्षित पार करेंगे और जन्नत में दाख़िल होंगे तथा गुनाहगार लोग पुल से नीचे दोज़ख़ में गिर जाएँगे।)

(30) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

तुम जानते हो ग़रीब कौन है?" साथियों ने कहा, "हमारे विचार से जिसके पास पैसे नहीं हैं वह ग़रीब है।" मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा, "मेरी उम्मत में सबसे ग़रीब आदमी वह है जिसने नमाज़ पढ़ी, ज़कात दी और रोज़े रखे मगर (साथ ही) उसने किसी की बेइज़्ज़ती की, किसी की झूठी निन्दा की, किसी के पैसे का दुरुपयोग किया, किसी का ख़ून बहाया और किसी को मारा। इन सभी पीड़ितों को उसकी नेकियाँ बाँट दी जाएँगी। यदि उसके पास पर्याप्त नेकियाँ नहीं होंगी तो पीड़ितों के गुनाह उसे दिए जाएँगे। तब उसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा।"

(हदीस : मुस्लिम)

(31) अबू-सईद ख़ुदरी *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने किसी के पूछे जाने पर कि हश्र का दिन, जो पचास हज़ार साल का होगा (सूरा 70:4), मोमिन के लिए कैसा होगा, कहा—

उसकी क़सम जिसके हाथ में मेरी जान है ईमानवालों के लिए यह उतना छोटा होगा जितना कि वे इस दुनिया में नमाज़ पढ़ते हैं।

वे लोग जिन्हें अल्लाह की कृपा और दया मिलेगी

(32) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

सात लोग हश्र के दिन अल्लाह के अर्श की छाँव में होंगे जबकि उस समय कोई छाया नहीं होगी। पहला न्यायी और ईमानदार शासक, दूसरा जवान आदमी जिसने अल्लाह क़ो ही पूज्य माना, तीसरा वह जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता था, चौथे वे दो लोग जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मुहब्बत करते थे और अल्लाह के लिए ही जुदा होते थे, पाँचवाँ वह जिसे अच्छे परिवार की सुन्दर स्त्री द्वारा बुलाया गया और उसने कहा नहीं मैं अल्लाह से डरता हूँ, छठा वह व्यक्ति जो इस तरह दान करता है कि दाहिने हाथ से किए गए दान का बाएँ हाथ को पता नहीं चलता और वह व्यक्ति जो अल्लाह को अकेले में याद करके आँसू बहाता है। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(33) इब्ने-उमर *(रज़ि॰)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल॰)* ने कहा—

अल्लाह ईमानवाले को अपने पास बुलाएगा जब तक कि वह उसकी छत्रछाया में नहीं आता, और पूछेगा, "क्या तुम अमुक गुनाह के बारे में जानते हो?" ईमानवाला कहेगा हाँ मेरे अल्लाह मैं जानता हूँ। अल्लाह तब तक उससे पूछता रहेगा जब तक कि वह व्यक्ति अपने सभी गुनाहों को स्वीकार नहीं कर लेता और यह महसूस नहीं कर लेता कि अब तो वह नष्ट हो चुका। तब अल्लाह कहेगा कि मैंने दुनिया में तेरे गुनाहों को छुपाए रखा और अब माफ़ करता हूँ। तब उसे उसकी नेकियों की किताब दे दी जाएगी। परन्तु मुनाफ़िक़ (कपटाचारी) और क़ाफ़िर (इनकार करनेवाले) के बारे में सभी के सामने यह घोषित किया जाएगा कि—

"ये वे लोग हैं जो अल्लाह क़े ख़िलाफ़ झूठ बोले। गुनाहगारों पर अल्लाह की लानत हो"

—क़ुरआन, 11:18 (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

वे लोग जिन्हें अल्लाह की कृपा और दया नहीं मिलेगी

(34) अबू-ज़र *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

हश्र के दिन तीन प्रकार के ऐसे लोग होंगे जिनसे अल्लाह बोलेगा नहीं, उनकी ओर देखेगा भी नहीं। और न ही उनका शुद्धिकरण करेगा। अबू-ज़र बोले, 'वे लोग तो बरबाद हो गए। ऐ अल्लाह के रसूल वे कौन लोग हैं?' मुहम्मद *(सल्ल.)* ने जवाब दिया, "वह जो घमण्ड से अपने कपड़ों को ज़मीन पर घिसटने देता है, वह जो यह दावा करता है कि उसने दूसरों का बहुत भला किया और वह जो झूठी क़सम खाकर अपना सामान बेचता है।

(हदीस : मुस्लिम)

(35) अबू-बुरदा (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

हश्र के दिन अल्लाह का हर बन्दा उसके सामने खड़ा रहेगा जब तक कि उससे पाँच चीज़ों के बारे में पूछ नहीं लिया जाता। अपनी ज़िन्दगी उसने कैसे बिताई, उसको जो ज्ञान था उस पर वह कितना चला, दौलत उसने कैसे कमाई और कैसे ख़र्च की तथा अपनी सेहत (जिस्म) का उसने कैसे उपयोग किया।" (हदीस : मुस्लिम)

(जो कुछ हमारे पास है वह अल्लाह की अमानत है। अन्ततः अल्लाह हमसे यह पूछेगा कि हमने उसकी अमानत का नेक कामों में उपयोग किया या उसे ऐसे ही नष्ट कर दिया अथवा उसका दुरुपयोग किया।)

दोज़ख़ और उसकी सज़ाएँ

(36) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

दोज़ख़ की आग को एक हज़ार साल तक जलाया गया कि वह लाल हो गई। फिर एक हज़ार साल तक जलाया गया तो वह सफ़ेद हो गई। उसके बाद उसे तब तक जलाया गया कि काली हो गई। अब वह काली है। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(37) नुअमान इब्ने-बशीर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

दोज़ख़ में सबसे हल्की सज़ा के तौर पर व्यक्ति को आग के जूते पहनाए जाएँगे जिसके असर से उसका दिमाग़ ऐसे खौलने लगेगा जैसे कोई चीज़ चूल्हे पर उबल रही हो। वह व्यक्ति सोचेगा कि इतनी सख़्त सज़ा शायद किसी को भी नहीं मिलेगी जबकि उसकी यह सज़ा दोज़ख़ की सबसे हल्की सज़ा होगी।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(38) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

आपके पास जो आग है उसकी गर्मी दोज़ख़ की आग की गर्मी का 70 वाँ भाग ही है। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(जिन्हें इन हदीसों पर यक़ीन है उन्हें चाहिए कि वे सीधा-सच्चा जीवन जिएँ और निरन्तर अल्लाह से माफ़ी माँगते रहें, ताकि अल्लाह उन्हें दोज़ख़ से बचा ले।)

(39) अनस *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

अल्लाह जहन्नम के एक व्यक्ति से पूछेगा जो सबसे हल्की सज़ा भुगत रहा होगा, अगर तुम्हारे पास वह सब कुछ हो जो धरती पर है तो क्या तुम उसके बदले ख़ुद को छुड़ाना चाहोगे? उसके हाँ कहने पर अल्लाह कहेगा कि मैंने तो इससे बहुत कम तुमसे चाहा था कि तुम मेरे साथ किसी को शरीक मत करना। पर तुमने लगातार मेरे साथ दूसरों को शरीक करने पर ज़ोर दिया।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(अल्लाह के साथ अन्य को शरीक करने का मतलब सिर्फ़ यह नहीं होता कि दूसरों की भी पूजा की जाए। बल्कि यदि कोई अपने मन की इच्छा से कार्य करता है और अल्लाह की अवज्ञा करता है, या वह अल्लाह के सिवा दूसरों को प्रसन्न करना चाहता है तो यह भी अल्लाह के साथ शरीक करने के बराबर है।)

जन्नत और उसका इनाम

(40) सहल इब्ने-सअद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

> जन्नत में वह सब कुछ है जिसे न किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी दिमाग़ ने इसकी कल्पना ही की। फिर कहा—
>
> 'जो रात के आख़िरी हिस्से में इबादत के लिए बिस्तर छोड़ देते हैं, अल्लाह को डर और उम्मीद से पुकारते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से हमारी राह में ख़र्च करते हैं। इनमें से कोई यह नहीं जानता कि हमें उन्होंने जो कुछ दिया उसके लिए हमने क्या इनामात छिपा रखे हैं।' —क़ुरआन, 32:17-18

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(41) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

> जन्नत में एक बाज़ार है जिसमें वहाँ के रहनेवाले हर जुमे को जाएँगे। उत्तर दिशा से हवा बहेगी जो उनके चेहरों और कपड़ों पर इत्र छिड़केगी और इन लोगों की सुन्दरता को और बढ़ा देगी। उसके बाद वे अपने परिवारों की तरफ़ वापस लौट आएँगे। तब उनका परिवार उनसे कहेगा कि जबसे आप बाज़ार जाकर आए हैं तो अधिक सुन्दर हो गए हैं। वे जवाब देंगे कि अल्लाह की क़सम

जबसे हम बाज़ार गए हैं उसके बाद से तुम्हारी सुन्दरता भी बढ़ गई है। (हदीस : मुस्लिम)

(42) अबू-सईद ख़ुदरी *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

अल्लाह जन्नत के निवासियों को बुलाकर पूछेगा कि क्या तुम सुखी हो? वे कहेंगे, "हम क्यों ख़ुश नहीं होंगे, जबकि आपने हमें वह सब कुछ दिया है जो किसी भी प्राणी को नहीं दिया।" अल्लाह उनसे पूछेगा कि क्या तुम्हें इससे भी बेहतर कुछ चाहिए? वे कहेंगे, इससे बेहतर और क्या होगा।" तब अल्लाह कहेगा कि मैं तुम्हें अपनी ख़ुशी देता हूँ और तुमसे कभी नाराज़ नहीं रहूँगा। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(43) शुऐबी (रज़ि.) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जब लोग जन्नत में प्रवेश कर लेंगे तो अल्लाह उनसे पूछेगा जो मैं तुमको देनेवाला हूँ क्या तुम उससे ज़्यादा कुछ और चाहोगे? वे जवाब देंगे, "अपनी ख़ुशी से क्या हमारे चेहरे रौशन नहीं किए, क्या आपने हमें जन्नत में दाख़िला नहीं दिया और दोज़ख़ की आग से नहीं बचाया?" तब अल्लाह चेहरे से परदा हटाएगा। जन्नत के निवासी अपने प्रिय अल्लाह के दीदार (दर्शन) से झूमकर कहेंगे, "हमने इससे प्यारी चीज़ की कभी कल्पना नहीं की और न ही कभी जाना कि हमें अल्लाह का दीदार नसीब होगा।" (हदीस : मुस्लिम)

इस्लाम का दूसरा स्तंभ—नमाज़

फ़र्ज़ नमाज़ की अहमियत और फ़ायदे

(44) जाबिर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

नमाज़ को छोड़ना कुफ़्र के बराबर है। (हदीस : मुस्लिम)

(45) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

हश्र के दिन व्यक्ति से हिसाब माँगते हुए पहला सवाल नमाज़ के बारे में किया जाएगा। यदि वह हिसाब सही पाया गया तो वह कामयाब होगा और सही नहीं पाए जाने पर वह बरबाद हो जाएगा। अल्लाह आदेश देगा कि इसकी नेकियों को देखो। क्या इसकी नेकियाँ इसके फ़र्ज़ कामों में कमी को पूरा कर सकती हैं? उसके सभी फ़र्ज़ काम इसी तरह जाँचे जाएँगे।

(हदीस : तिर्मिज़ी)

(46) इब्ने-मसऊद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* से पूछा गया कि अल्लाह को कौन सा काम सबसे अधिक पसन्द है? मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा—

समय पर नमाज़ पढ़ना। उसके बाद क्या है पूछे जाने पर मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा— माँ बाप से मुहब्बत और उनपर अत्यन्त

दया-भाव। उसके बाद क्या है पूछे जाने पर मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा कि अल्लाह की राह में जिहाद। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(47) अम्र इब्ने-शुऐब से रिवायत है कि उन्होंने अपने बाप के हवाले से कहा कि उनके दादा ने मुहम्मद *(सल्ल.)* को कहते सुना— आपके बच्चे जब 7 साल के हो जाएँ तो उन्हें नमाज़ पढ़ने को कहो और जब वे 10 साल के हो जाएँ तो नमाज़ पढ़ने के लिए उन्हें तंबीह करो, उन्हें इस उम्र में एक ही बिस्तर पर मत सोने दो।

(हदीस : अबू-दाऊद)

(48) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जब तक बड़े गुनाह न किए गए हों तो व्यक्ति द्वारा रोज़ाना पाँच वक़्त की नमाज़, दो जुमा के बीच की नमाज़ और दो रमज़ान के बीच के रोज़े रखने पर इस बीच जो भी छोटे गुनाह हुए हैं उन्हें ख़त्म कर देती है। (हदीस : मुस्लिम)

(49) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

मुझे बताओ, यदि किसी के दरवाज़े पर नदी हो और वह पाँच बार उसमें प्रतिदिन हाथ-पैर धोता हो तो कोई गन्दगी बाक़ी रहेगी? जवाब मिला कि कुछ भी बाक़ी नहीं रहेगी। तब मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा कि इसी तरह पाँच वक़्त की नमाज़ है जिससे अल्लाह गुनाहों को धो देता है। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(50) अबू-ज़र *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* एक बार सर्दियों में बाहर निकले, जब कि पेड़ों से पत्ते झड़ रहे थे। उन्होंने पेड़ की दो शाख़ाओं को हिलाया जिससे पत्ते झड़ने शुरू हो गए। मुहम्मद *(सल्ल.)* ने अबू-ज़र से कहा कि जब कोई मुस्लिम अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ता है तो उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं। (हदीस : मुस्नद अहमद)

नमाज़ के पहले सफ़ाई

(51) जाबिर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

नमाज़ जन्नत की कुंजी है और नमाज़ की कुंजी सफ़ाई है।

(हदीस : मुस्नद अहमद)

(52) अब्दुल्लाह सुनाबीही *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जब ईमानवाला वुज़ू करता है और कुल्ली करता है तो उसके मुँह से गुनाह बाहर निकल जाते हैं। जब वह नाक में पानी लेता है तो उसकी नाक से गुनाह निकल जाते हैं। जब वह चेहरा धोता है तो उसके चेहरे और पलकों से गुनाह निकल जाते हैं। जब वह हाथ धोता है तो उसके हाथ और नाख़ुनों के ज़रीए से गुनाह निकलते हैं। जब वह सिर पर पानी फेरता है तो उसके सिर और कान से गुनाह निकलते हैं। जब वह पैर धोता है तो उसके पैरों और नाख़ुनों से गुनाह निकल जाते हैं। इसके बाद जब वह नमाज़ के लिए मस्जिद जाता है तो उसे अल्लाह के इनामों से नवाज़ा जाता है। (हदीस : मुवत्ता इमाम मालिक, नसई)

(वुज़ू के कई फ़ायदे हैं। वुज़ू से हम साफ़ और जागृत अवस्था में रहते हैं, ताकि हमारा ध्यान पूरी तरह नमाज़ में लगे। यह हदीस हमें बताती है कि वुज़ू से हमारे शरीर के अंगों द्वारा किए गए गुनाहों को भी धो दिया जाता है। नमाज़ पढ़ने से पहले, वुज़ू करना चाहिए।)

(53) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

हश्र के दिन मेरे बन्दों की पहचान उनके चेहरों की चमक से होगी और यह चमक वुज़ू की वजह से होगी। अतः बन्दों को अपने चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए वुज़ू करने को कहो।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(54) अब्बाद इब्ने-तमीम (रज़ि॰) से रिवायत है कि उनके चचा ने बताया कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल॰)* से पूछा गया कि नमाज़ के बीच किसी को कुछ महसूस हुआ तो क्या वह नमाज़ बीच में छोड़ दे? मुहम्मद *(सल्ल॰)* ने कहा—

आप अपनी नमाज़ न तोड़ें जब तक कि आवाज़ या बू महसूस न हो। (हदीस : बुख़ारी)

(55) अबू-सईद ख़ुदरी *(रज़ि॰)* ने कहा— दो लोग सफ़र पर थे। नमाज़ के वक़्त पानी न होने के कारण साफ़ मिट्टी से तयम्मुम किया फिर नमाज़ पढ़ी। नमाज़ के बाद उन्हें पानी दिखाई दिया। उनमें से एक ने वुज़ू किया और दोबारा नमाज़ पढ़ी जबकि दूसरे ने ऐसा नहीं किया। जब वे मुहम्मद *(सल्ल॰)* के पास आए तो उन्हें पूरी बात बताई। मुहम्मद *(सल्ल॰)* ने वुज़ू न करनेवाले शख़्स से कहा—

तुमने सुन्नत का पालन किया और तुम्हारी नमाज़ सही है। जिसने वुज़ू करके दोबारा नमाज़ पढ़ी उसको दुगना इनाम मिलेगा।

(हदीस : सुनन अबू-दाऊद, दारमी)

(56) अबू-सईद ख़ुदरी *(रज़ि॰)* से रिवायत है कि नबी *(सल्ल॰)* ने कहा—

वीर्य निकलने के बाद ग़ुस्ल करना फ़र्ज़ है। (हदीस : मुस्लिम)

अज़ान : नमाज़ का बुलावा

(57) अब्दुल्लाह इब्ने-अम्र इब्ने-आस *(रज़ि॰)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल॰)* ने कहा—

जब तुम मुअज़्ज़िन से अज़ान सुनो तो उसे दोहराओ और मुझ पर दुरूद भेजो, जो मुझपर एक दुरूद भेजे अल्लाह उसे दस इनाम देगा। (हदीस : मुस्लिम)

(58) अबू-हुरैरा *(रज़ि॰)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल॰)* ने कहा—

जब अज़ान होती है तो शैतान अपनी पीठ करके हवा को रोकता है, ताकि अज़ान सुनाई न दे। जब इक़ामत की जाती है तब भी वह ऐसा ही करता है। इसके बाद वह लोगों को बहकाता है, इधर-उधर की चीज़ें याद कराता है जब तक कि व्यक्ति यह भूल न जाए कि वह कितनी नमाज़ पढ़ चुका। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(59) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

अज़ान और इक़ामत के बीच की गई दुआ कभी अस्वीकृत नहीं होती। (हदीस : अबू-दाऊद, तिर्मिज़ी)

(यहाँ यह बात याद रहनी चाहिए कि दुआ का जवाब हम जैसा चाहें वैसा ही हमेशा नहीं मिलता। अक्सर अल्लाह हमें उससे बेहतर चीज़ से नवाज़ता है या किसी ऐसी आफ़त से बचाता है जो आनेवाली थी।)

मस्जिद

(60) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

यदि कोई व्यक्ति घर से वुज़ू करके नमाज़ पढ़ने की नीयत से मस्जिद की तरफ़ जाता है तो उसका एक क़दम एक गुनाह को ख़त्म करता है और दूसरा क़दम नेकी बढ़ाता है।

(हदीस : मुस्लिम)

(61) अबू-मूसा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जिसका घर मस्जिद से दूर है और दूर से नमाज़ पढ़ने आता है उसे हश्र में सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(62) अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

घर में नमाज़ पढ़ना एक नमाज़ के बराबर है जबकि मस्जिद में नमाज़ पढ़ना पच्चीस (25) नमाज़ों के बराबर।

(हदीस : इब्ने-माजा)

मेरी मस्जिद में पढ़ी गई नमाज़ किसी अन्य मस्जिद में पढ़ी गई नमाज़ से एक हज़ार (1000) गुना अफ़ज़ल है।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

काबा में पढ़ी गई नमाज़, मेरी मस्जिद में पढ़ी गई नमाज़ से सौ (100) गुना ज़्यादा अफ़ज़ल है। (हदीस : मुस्नद अहमद)

(63) उस्मान इब्ने-अफ़्फ़ान *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो (ईमानवाला) मस्जिद बनवाता है अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(64) अबू-उसैद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जब कोई व्यक्ति मस्जिद में प्रवेश करे तो दुआ करे कि "ऐ अल्लाह! तू मुझ पर अपनी मेहरबानियों के दरवाज़े खोल दे।" जब बाहर निकले तो कहे कि "ऐ अल्लाह मैं तेरी मेहरबानियों और दया की दुआ करता हूँ।" (हदीस : मुस्लिम)

(मस्जिद में दाहिने पैर से दाख़िल होना और बाएँ पैर से बाहर निकलना सुन्नत है।)

(65) अम्र इब्ने-शुऐब अपने वालिद और दादा के हवाले से बताते हैं कि मुहम्मद *(सल्ल.)* ने मस्जिद में क्रिय-विक्रय, गुमशुदा सम्पत्ति की तलाश तथा गीत वग़ैरा गाने से मना किया है।

(हदीस : इब्ने-माजा)

नमाज़ पढ़ना

(66) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

अगर लोग यह जान जाएँ कि अज़ान में और पहली सफ़ में क्या सवाब है तो वे उसके लिए कुछ भी देने को तैयार हो जाएँ। यदि वे यह जान जाएँ कि नमाज़ के लिए जल्दी जाने का क्या सवाब है तो वे दौड़कर पहुँचें। यदि उन्हें यह मालूम हो जाए कि फ़ज्र और इशा की नमाज़ के क्या सवाब हैं तो वे घिसटते हुए भी पहुँच जाएँ। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(67) अली इब्ने-अबी-तालिब *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

तीन काम ऐसे हैं जिनमें कभी देर नहीं करनी चाहिए— पहला समय पर नमाज़ पढ़ना, दूसरा मय्यत को दफ़नाना और तीसरा किसी अविवाहित लड़की या महिला की शादी करना, यदि सुयोग्य वर ढूँढ लिया है। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(68) आइशा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जब दस्तरख़ान पर खाना रखा हो या किसी को शौच आदि जाने की आवश्यकता हो तो उस समय नमाज़ न पढ़ी जाए, जब तक कि दोनों से फ़ारिग़ न हो जाएँ। (हदीस : मुस्लिम)

जमाअत से नमाज़ पढ़ना

(69) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

उसकी क़सम जिसके हाथों में मेरी जान है, मैंने अक्सर यह सोचा है कि मैं कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करूँ, अज़ान के बाद किसी और को इमामत के लिए कहूँ, उसके बाद उनके घरों में जाकर आग लगा दूँ जिन्होंने जमाअत से नमाज़ पढ़ने में कोताही की है।

(हदीस : बुखारी, मुस्लिम)

(70) अबू-दरदा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

किसी गाँव या रेगिस्तान में यदि तीन आदमी हैं और वे जमाअत से नमाज़ नहीं पढ़ते तो यह निश्चित है कि शैतान उनके आगे आएगा। हमेशा जमाअत से नमाज़ पढ़ो क्योंकि भेड़िया हमेशा अकेली भेड़ पर ही हमला करता है। (हदीस : अबू-दाऊद)

(71) इब्ने-अब्बास *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

यदि कोई अज़ान सुनता है और उसका जवाब नहीं देता तो उसने नमाज़ नहीं पढ़ी जब तक कि उसके पास पर्याप्त कारण न हो।

(हदीस : दार-क़ुत्नी)

(72) इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जमाअत से नमाज़ पढ़ना अकेले नमाज़ पढ़ने से सत्ताइस (27) गुना ज़्यादा अफ़ज़ल है। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(73) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

यदि कोई वुज़ू करता है, फिर मस्जिद जाकर यह पाता है कि नमाज़ हो चुकी है तो अल्लाह उसे उतना ही सवाब देगा जितना उन नमाज़ पढ़नेवालों को देगा जिन्होंने जमाअत से नमाज़ पढ़ी।

(हदीस : अबू-दाऊद, नसई)

जमाअत से नमाज़ में इमाम के बारे में

(74) अबू-मसऊद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जिसे अल्लाह की किताब का ज़्यादा ज्ञान है उसे इमामत करनी चाहिए। यदि कई लोगों को यह ज्ञान है तो उसे इमाम बनाएँ जिसे सुन्नत का अधिक ज्ञान है। (हदीस : मुस्लिम)

(75) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

इमाम को चाहिए कि वह मुख़्तसर नमाज़ पढ़ाए क्योंकि पीछे नमाज़ पढ़नेवालों में बीमार, कमज़ोर और बूढ़े भी होते हैं। परन्तु जब कोई अकेला नमाज़ पढ़े तो वह चाहे जितनी लम्बी नमाज़ पढ़े। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

जुमा की नमाज़

(76) तारिक़ इब्ने-शिहाब *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

ग़ुलाम, औरत, छोटे बच्चे और अपंग को छोड़कर जुमा की नमाज़ पढ़ना हर मुस्लिम का कर्तव्य है। (हदीस : अबू-दाऊद)

(77) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो व्यक्ति जुमा के दिन नहाए, अच्छे कपड़े पहने, अगर हो सके तो ख़ुशबू लगाए, मस्जिद जाए और वहाँ बैठे लोगों को बिना तकलीफ़ पहुँचाए सफ़ में नमाज़ पढ़े— जैसा कि अल्लाह ने बताया है— जब तक इमाम सुनाए तब तक शान्तिपूर्वक ख़ुतबा सुने तो उसके पिछले जुमा से इस जुमा तक के गुनाह माफ़ कर दिए जाएँगे। (हदीस : अबू-दाऊद)

(इसे गुनाह करने का बहाना न समझा जाए। क़ुरआन कहता है कि जो नेकी में विश्वास रखते हैं उनमें से हम सारी बुराइयाँ निकाल देते हैं। (क़ुरआन, 29:7) इस तरह यदि हममें ईमान है तो सही काम करने

की भरसक कोशिश करते रहें। अल्लाह हमारे गुनाहों और कोताहियों को ज़रूर माफ़ करेगा। आमीन!)

(78) अम्मार *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

> नमाज़ का लम्बा होना और ख़ुतबे का छोटा होना तुम्हारी समझदारी की पहचान है। अतः नमाज़ लम्बी और ख़ुतबा छोटा करो। (हदीस : मुस्लिम)

(79) इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

> जब कोई जुमा की नमाज़ के लिए तैयार होता है तो उसे नहाने दो। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

फ़ज्र, अस्र और इशा की नमाज़ें

(80) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

> मुनाफ़िक़ लोग फ़ज्र और इशा की नमाज़ों को दूसरी नमाज़ों के मुक़ाबले बोझ समझते हैं। यदि उन्हें यह मालूम हो जाए कि इन नमाज़ों में क्या फ़ज़ीलतें हैं तो वे चारों जोड़ों पर घिसटते हुए नमाज़ पढ़ने आ जाएँ। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(81) उस्मान बिन-अफ़्फ़ान *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

> जो व्यक्ति इशा की नमाज़ जमाअत से पढ़ता है वह ऐसा है जैसे उसने आधी रात तक नफ़्ल नमाज़ पढ़ी और यदि उसने फ़ज्र की नमाज़ भी जमाअत से पढ़ी तो मानो उसने सारी रात नफ़्ल नमाज़ पढ़ी। (हदीस : बुख़ारी)

(82) बुरैदह *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो व्यक्ति अस्र की नमाज़ से चूक जाता है उसके सारे काम निरर्थक हो जाते हैं। (हदीस : बुख़ारी)

नफ़्ल नमाज़

(83) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

अल्लाह कहता है कि मेरा कोई बन्दा मेरी नज़दीकी तब तक हासिल नहीं कर सकता जब तक कि वह मेरे द्वारा फ़र्ज़ किए गए कामों को नहीं करता। उसके बाद मेरा बन्दा निरन्तर नफ़्ल नमाज़ें पढ़ना शुरू करता है ताकि वह मेरी नज़दीकी पा सके यहाँ तक कि मैं उसे पसन्द करना शुरू कर देता हूँ। जब मैं उसे पसन्द करता हूँ तो मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वह देखता है, उसके कान बन जाता हूँ जिससे वह सुनता है, उसके हाथ बन जाता हूँ जिनसे वह पकड़ता है और उसके पैर बन जाता हूँ जिनसे वह चलता है। जब वह किसी चीज़ के लिए दुआ करता है तो मैं उसे देता हूँ और अगर वह मुझसे पनाह चाहता है तो मैं उसे देता हूँ। (हदीस : बुख़ारी)

(इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि अल्लाह हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाता है। यह हदीस हमें बताती है कि जब हम नफ़्ल नमाज़ों के ज़रीए से अल्लाह की नज़दीकी चाहते हैं तो वह हमारे जीवन के हर काम में हमारा संरक्षक हो जाता है चाहे वह सुनना, देखना, चलना या जीवन में कोई भी काम करना हो।)

तहज्जुद की नमाज़

(84) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

फ़र्ज़ नमाज़ों के अलावा सबसे अच्छी नमाज़ तहज्जुद की नमाज़ है। (हदीस : मुस्नद अहमद)

(85) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जब रात का आख़िरी पहर होता है तब अल्लाह बहुत नज़दीक आता है और कहता है कि कौन है जो मेरे लिए नमाज़ पढ़ता है, मुझे पुकारता है ताकि मैं उसकी दुआ को क़बूल कर सकूँ? कौन है जो मुझसे कुछ माँग रहा है और मैं उसे दे सकूँ? कौन है जो मुझसे क्षमा माँग रहा है ताकि मैं उसें क्षमा दान कर सकूँ?

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

सफ़र में नमाज़

(86) इब्ने-अब्बास *(रज़ि.)* ने कहा कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* सफ़र में ज़ुहर और अस्र की नमाज़ को एक साथ तथा मग़रिब और इशा की नमाज़ को एक साथ मिलाकर पढ़ते थे। (हदीस : बुख़ारी)

(अगर हम चालीस (40) मील से अधिक की दूरी का सफ़र करते हैं तो हम नमाज़ों को उपरोक्त हदीस के अनुसार मिलाकर पढ़ सकते हैं। हम ज़ुहर, अस्र और इशा की फ़र्ज़ नमाज़ों को कम करके दो-दो रकअत भी पढ़ सकते हैं।)

तीन अन्य स्तंभ - ज़कात, रोज़ा और हज

ज़कात-ग़रीबों का हक़

(87) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

> यदि कोई धनवान हो और वह ज़कात न देता हो तो हश्र (क़ियामत) के दिन उसकी दौलत ज़हरीले साँप में बदल जाएगी, जिसके सिर पर दो काले धब्बे होंगे। यह साँप उसकी गरदन से लिपटा होगा और उसके गालों पर काटेगा और कहेगा, 'मैं तेरी दौलत हूँ, मैं तेरा ख़ज़ाना हूँ।' फिर मुहम्मद *(सल्ल.)* ने क़ुरआन की यह आयत पढ़ी—

'जिन लोगों को अल्लाह ने अपने फ़ज़्ल से नवाज़ा है और वे कंजूसी करते हैं, यह न समझें कि ऐसा करना उनके लिए अच्छा है। नहीं! वह उनके लिए बहुत बुरा है। यह माल, जिसके लिए वे कंजूसी करते हैं, तौक़ (पट्टा) बनाकर क़ियामत के दिन उनके गले में पहनाया जाएगा। ज़मीन और आसमानों की सम्पत्ति अल्लाह ही की है और अल्लाह को तुम्हारे हर किए की ख़बर है।' (क़ुरआन, 3:180)

(यह सब जो हमारे पास है अल्लाह की देन है। वह जब चाहे इसे वापस ले सकता है। इसलिए हमें उसकी दी हुई दौलत को अपने

रिश्तेदारों और ज़रूरतमंद लोगों में अल्लाह के निर्देशानुसार ख़र्च करना चाहिए ताकि अल्लाह की मेहरबानियाँ हम पर बनी रहें।)

(88) अब्बास *(रज़ि.)* से रिवायत है कि एक व्यक्ति ने अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* से पूछा—

> कृपया मुझे बताइए कि मैं जन्नत में जाने के लिए क्या करूँ?
> मुहम्मद *(सल्ल.)* ने जवाब दिया, बिना किसी अन्य को शरीक किए अल्लाह की इबादत करो, नमाज़ पढ़ो, ज़कात दो और अपनी रिश्तेदारी के सम्बन्धों को मज़बूत करो।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(89) इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

> यदि कोई व्यक्ति सम्पत्ति पाता है तो उसे ज़कात देने की ज़रूरत नहीं जब तक कि उस सम्पत्ति पर एक साल पूरा न बीत जाए।

(हदीस : मुस्लिम)

(90) अली इब्ने-अबी-तालिब *(रज़ि.)* ने बताया कि अब्बास *(रज़ि.)* ने अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* से ज़कात अग्रिम रूप से देने के बारे में पूछा तो मुहम्मद *(सल्ल.)* ने अनुमति दे दी।

(हदीस : अबू-दाऊद, दारमी, इब्ने-माजा, तिर्मिज़ी)

(91) ज़ाकिर इब्ने-अब्दुल्लाह *(रज़ि.)* ने बताया कि उन्होंने अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* को एक प्रतिज्ञा पत्र दिया कि वे हमेशा नमाज़ पढ़ेंगे, ज़कात देंगे तथा अपने दिल में हर मुस्लिम की भलाई का जज़्बा रखेंगे। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

रमज़ान के रोज़े या सियाम

(92) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो व्यक्ति रमज़ान में अक़ीदत के साथ अल्लाह से इनाम की उम्मीद में रोज़े रखता है उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जो भी रमज़ान की रातों में अक़ीदत के साथ अल्लाह से इनाम की उम्मीद में इबादत करता है उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएँगे। और जो लैलतुलक़द्र में पूरी रात अल्लाह से इनाम की उम्मीद में इबादत करता है उसके भी पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएँगे। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(93) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा–

यदि कोई व्यक्ति बिना किसी पर्याप्त कारण के या बिना बीमारी के रमज़ान के रोज़े छोड़ता है तो वह पूरी ज़िन्दगी रोज़े रखे फिर भी उसकी भरपाई नहीं कर सकता। (हदीस : बुख़ारी)

(94) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा–
जब रमज़ान शुरू होता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दिए जाते हैं और शैतान को ज़ंजीरों से जकड़ दिया जाता है। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(95) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा–
अल्लाह ने कहा कि व्यक्ति की हर नेकी का दस से सात सौ गुना तक इनाम दिया जाएगा, रोज़े को छोड़कर; क्योंकि रोज़ा मेरे लिए है और उसका मैं जैसा चाहूँ इनाम दूँगा। रोज़ेदार के लिए ख़ुशी के दो मौक़े हैं– पहला जब वह इफ़्तार करता है और दूसरा जब वह अल्लाह से मुलाक़ात करेगा।
(हदीस : मुस्लिम)

रोज़ा कैसे रखें

(96) अम्मार इब्ने-यासिर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा–

जिसने सन्दिग्ध दिन में रोज़ा रखा उसने अबुल-क़ासिम की नाफ़रमानी की। (हदीस : अबू-दाऊद, तिर्मिज़ी)

(अबुल-क़ासिम मुहम्मद *(सल्ल.)* के कई नामों में से एक नाम है। क़ासिम उनके एक बेटे का नाम है जिसकी मृत्यु हो गई थी । सन्दिग्ध दिन का अर्थ है वह दिन जिसमें यह पक्का नहीं हुआ कि चाँद दिखा या नहीं।)

(97) इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जब तक चाँद न दीख जाए रोज़ा मत रखो और जब तक चाँद न दीख जाए रोज़ा रखना बन्द न करो। अगर बादल का मौसम हो तो गणना करो कि चाँद किस दिन दिखेगा।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(98) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

सहरी ज़रूर करो क्योंकि इसमें बरकत है।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(99) सलमान इब्ने-आमिर धाबी (रज़ि.) से रिवायत है कि प्यारे नबी *(सल्ल.)* ने कहा—

खजूर या पानी से इफ़्तार करो क्योंकि यह शुद्ध है।

(हदीस : अबू-दाऊद, तिर्मिज़ी)

सहरी का अर्थ है फ़ज्र की अज़ान के पहले का खाना। यह कहा गया है कि सहरी जितनी देर से हो सके करो और इफ़्तार जितनी जल्द हो सके करो।

(100) आइशा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* से यह पूछे जाने पर कि क्या सफ़र में भी रोज़ा रखा जाए? उन्होंने कहा— चाहो तो रख लो, न चाहो तो स्थगित कर दो।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(101) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

यदि कोई रोज़े के दौरान दुराचार और झूठ बोलने से परहेज़ नहीं करता तो अल्लाह को उसके भूखे-प्यासे रहने से कोई मतलब नहीं है। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

क़ुरआन कहता है—

ऐ ईमानवालो! तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, जिस प्रकार तुम से पहले के लोगों पर किए गए थे, ताकि तुममें तक़वा पैदा हो।

(क़ुरआन, 2:183)

(अतः रोज़े का उद्देश्य केवल भूखा प्यासा रहना नहीं है बल्कि अपना आचरण सुधारना और आत्मसंयम की आदत सीखना है।)

(102) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

कई लोग जो रोज़ा रखते हैं उन्हें भूखा-प्यासा रहने के सिवाय कुछ नहीं मिलता और कई लोग जो रातों में इबादत करते हैं उन्हें रात को जागने के सिवाय कुछ नहीं मिलता। (हदीस : दारमी)

(103) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

यदि कोई रोज़ेदार भूल से कुछ खा या पी लेता है तो उसे अपना रोज़ा जारी रखना चाहिए क्योंकि उसे अल्लाह ने खिलाया पिलाया। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

नफ़्ल रोज़े

(104) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

बन्दों का आमालनामा हर सोमवार और जुमेरात को अल्लाह के समक्ष प्रस्तुत होता है अतः मैं चाहूँगा कि इन दिनों में मैं रोज़ा रखूँ। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(105) अबू-ज़र *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

यदि कोई व्यक्ति महीने में तीन दिन रोज़े रखता है तो वह चाँद की 13, 14 और 15 वीं तारीख़ को रखे। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(106) अबू-अय्यूब अंसारी *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जिसने रमज़ान के पूरे रोज़े रखे और उसे शव्वाल माह के छः दिनों तक जारी रखा वह ऐसा है मानो उसने पूरे वर्ष रोज़े रखे।

(हदीस : मुस्लिम)

(शव्वाल की दो से सात तारीख़ तक अथवा शव्वाल महीने में कोई भी छः दिन रोज़े रखे जा सकते हैं।)

(107) इब्ने-अब्बास *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* आशूरा का रोज़ा रखते थे और हमें भी इसे नफ़्ल रोज़े की तरह रखने के निर्देश दिए। उन्हें बताया गया कि यहूदी भी इस दिन रोज़ा रखते हैं तब उन्होंने कहा कि यदि मैं अगले वर्ष जीवित रहा तो मैं एक अतिरिक्त रोज़ा रखूँगा। (हदीस : मुस्लिम)

(मुहर्रम की दस तारीख़ को आशूरा कहते हैं। यह वह दिन है जिसमें अल्लाह ने मूसा *(अलै.)* और उनके लोगों को फ़िरऔन से बचाया। यही वह दिन है जिसमें करबला के मैदान में मुहम्मद *(सल्ल.)* के नवासे हुसैन-इब्ने-अली को शहीद कर दिया गया था।)

(108) अबू-सईद ख़ुदरी *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

अल्लाह का बन्दा अल्लाह की ख़ुशनूदी के लिए यदि एक दिन का रोज़ा रखता है तो वह दोज़ख़ की आग को ख़ुद से सत्तर साल में की गई यात्रा की दूरी के बराबर दूर कर देता है।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(यह रोज़े का एक मात्र इनाम नहीं है। यह अल्लाह के इनामों में से एक इनाम है। अल्लाह ने इसे स्वयं के लिए सुरक्षित रखा है कि वह हश्र (क़ियामत) के दिन रोज़े का इनाम बन्दों को क्या देगा।)

(109) ज़ैद इब्ने-ख़ालिद जुहनी *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो किसी रोज़ेदार को इफ़्तार कराता है उसे उसके रोज़े के इनाम के अलावा एक रोज़े का सवाब (इनाम) और मिलेगा।

(हदीस : तिर्मिज़ी)

लैलतुल-क़द्र (Night of power)

(110) अनस इब्ने-मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

लैलतुल-क़द्र जब आती है तो जिबरील *(अलै.)* अपने साथी फ़रिश्तों के साथ आते हैं और उन सभी लोगों के लिए दुआएँ करते हैं जो इस रात में बैठे या खड़े हुए अल्लाह की इबादत करते हैं। (हदीस : बैहक़ी)

(लैलतुल-क़द्र वह रात है, जिसमें क़ुरआन मजीद उतारा गया। (क़ुरआन, 44:3) और बाद में जिबरील *(अलै.)* इसे थोड़ा-थोड़ा करके मुहम्मद *(सल्ल.)* तक लाते रहे।)

(111) आइशा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

लैलतुल-क़द्र को रमज़ान के आख़िरी अशरे (दशक) में विषम संख्या की रातों में तलाश करो। (हदीस : बुख़ारी)

(क़ुरआन के अनुसार इस रात की बरकतें एक हज़ार महीनों की बरकतों से बढ़कर हैं। हमें रमज़ान में इस रात को उपरोक्त अनुसार ढूँढना चाहिए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए।

हज (The pilgrimage)

(112) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* से पूछा गया कि कौन सी इबादत सबसे अफ़ज़ल (श्रेष्ठ) है? मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा, "अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान।" उसके बाद क्या, पूछे जाने पर कहा, "अल्लाह की राह में जिहाद।" उसके बाद क्या, पूछे जाने पर फिर कहा, "हज जो मक़बूल हो।"
(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(113) अली इब्ने-अबी-तालिब *(रज़ि.)* से रिवायत है कि प्यारे नबी *(सल्ल.)* ने कहा—

यदि किसी के पास पर्याप्त धन और ज़रीआ है और वह हज नहीं करता तो वह यहूदी या ईसाई की हैसियत से मरे इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। इसलिए अल्लाह कहता है कि यदि कोई सक्षम है तो उस पर अल्लाह के घर का हज फ़र्ज़ है। (क़ुरआन, 3:97)
(हदीस : तिर्मिज़ी)

(114) अबू-रज़ीन *(रज़ि.)* से रिवायत है कि उन्होंने एक बार अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* के पास जाकर पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे वालिद बहुत बूढ़े हैं और हज या उमरा करने में असमर्थ हैं। तो मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा, "उनके बदले में तुम हज करो।"
(हदीस : नसई, तिर्मिज़ी)

(यदि कोई हज करने का ज़रीआ रखता है परन्तु शारीरिक रूप से अक्षम है तो वह अपने बदले किसी अन्य को हज करने भेज सकता है।

इसी तरह यदि किसी के माँ-बाप की मौत हो चुकी है और उन पर हज फ़र्ज़ था तो उनके बच्चों का यह काम है कि उनके बदले में ख़ुद हज करें।)

(115) इब्ने-अब्बास *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

> जिसके पास हज करने की क्षमता और ज़रीआ है तो उसे हज में देर नहीं करनी चाहिए। (हदीस : अबू-दाऊद)

(116) आइशा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

> अरफ़ा के दिन अल्लाह किसी अन्य दिन की अपेक्षा सबसे ज़्यादा लोगों को जहन्नम से नजात देता है। (हदीस : मुस्लिम)

(ज़िलहिज्जा की नौ तारीख़ को अरफ़ा का दिन कहते हैं जब सारे हाजी अरफ़ात के मैदान में इकट्ठा होते हैं। यह हज का एक मुख्य कर्म है। जिसने इसे पूरा नहीं किया उसका हज नहीं होगा।)

(117) आइशा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* से पूछा—

> ऐ अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* हम यह मानते हैं कि अल्लाह की राह में जिहाद सबसे अच्छा कर्म है तो क्या हमें (औरतों को) जिहाद के लिए नहीं जाना चाहिए? मुहम्मद *(सल्ल.)* ने जवाब दिया कि तुम्हारे लिए अल्लाह की राह में सबसे अच्छा जिहाद हज है।
>
> (हदीस : बुख़ारी)

उमरा - छोटा हज

(118) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

उमरा के तत्काल बाद दूसरा उमरा करने पर दोनों के बीच की अवधि की क्षति पूर्ति होती है और मक़बूल हज करने का एक मात्र इनाम जन्नत है। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(119) इब्ने-अब्बास *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

रमज़ान में उमरा करना हज करने के बराबर है।

(हदीस : बुख़ारी)

(इस्लाम के 12वें महीने की निश्चित तारीख़ों में हज किया जाता है। उमरा पूरे साल में कभी भी किया जा सकता है। इसमें काबा का तवाफ़ करना और सई करना शामिल होता है।)

मक्का और मदीना का महत्व

(120) अबू-सईद ख़ुदरी *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

इबराहीम *(अलै.)* ने मक्का को पवित्र घोषित किया, और मैंने मदीना के दो पहाड़ों के बीच के क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित किया। इस क्षेत्र में कोई ख़ून नहीं बहाना चाहिए, लड़ाई का कोई हथियार नहीं रखना चाहिए तथा चारे के लिए छोड़कर पेड़ों से कोई पत्ती नहीं तोड़नी चाहिए। (हदीस : मुस्लिम)

(121) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ दज्जाल की पहुँच नहीं होगी, सिर्फ़ मक्का और मदीना को छोड़कर। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(क़ियामत से कुछ ही दिन पहले दज्जाल नाम का व्यक्ति आएगा जो पैग़म्बर होने का झूठा दावा करेगा और स्वयं को ईसा *(अलै.)* बताएगा।)

व्यक्तिगत आचार और व्यवहार
(Personal manners & conduct)

व्यक्तिगत स्वच्छता

(122) अबू-मालिक *(रज़ि॰)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल॰)* ने कहा—

सफ़ाई आधा ईमान है। (हदीस : मुस्लिम)

(123) अल्लाह के रसूल *(सल्ल॰)* ने कहा—

सही दिमाग़वाले व्यक्ति की निम्नलिखित पाँच चीज़ें स्वाभाविक आवश्यकताएँ हैं जो इस्लाम में वर्णित हैं— ख़तना, नाभि के नीचे के बाल काटते रहना, मूछों को कतरना, नाखुन काटना और बग़ल के बाल साफ़ करना।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(124) ज़ुबैर *(रज़ि॰)* से रिवायत है कि एक बार अल्लाह के रसूल *(सल्ल॰)* उनके घर आए और एक आदमी को देखा जिसके बाल बहुत गन्दे थे। उन्होंने कहा कि क्या उसके पास अपने बाल ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं है? फिर उन्होंने एक व्यक्ति को गन्दे कपड़ों में देखा और कहा कि क्या उसके पास ऐसा कुछ नहीं जिससे वह कपड़े धो सके? (हदीस : मुस्नद अहमद, नसई)

(125) अबू-सईद ख़ुदरी *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

मनी (वीर्य) निकलने के बाद नहाना आवश्यक है।

(हदीस : मुस्लिम)

(126) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

यौन-सम्बन्ध के बाद नहाना आवश्यक है। (हदीस : मुस्लिम)

शौचालय में (In the toilet)

(127) अबू-क़तादा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जब कोई शौच आदि के लिए जाए तो अपने अंगों को बाएँ हाथ से साफ़ करे। उसके बाद अपने हाथ आदि दाहिने हाथ से साफ़ कर ले। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(128) सलमान *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

पेशाब और शौच आदि के लिए क़िबले (काबा) की तरफ़ मुँह करके न बैठो और अपने अंगों को केवल बाएँ हाथ से ही साफ़ करो। (हदीस : मुस्लिम)

(129) उमर इब्ने-ख़त्ताब *(रज़ि.)* ने बताया कि एक बार अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने मुझे खड़े होकर पेशाब करते देखा तो मुझे ऐसा न करने को कहा। उसके बाद मैंने कभी खड़े होकर पेशाब नहीं किया।

(हदीस : इब्ने-माजा, तिर्मिज़ी)

मिस्वाक (दातुन)

(130) आइशा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

मिस्वाक मुँह को शुद्ध और अल्लाह को ख़ुश करती है।

(हदीस : बुख़ारी)

(131) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

यदि मैं अपनी उम्मत के लिए इसे कठिन न समझता तो मैं हर नमाज़ से पहले मिस्वाक करने का आदेश देता।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(मिस्वाक एक पेड़ की शाख़ा है जिसमें ख़ुशबू और रेशे हैं। यह टूथब्रश और टूथपेस्ट दोनों का मक़सद हल करती है।)

पानी पीना

(132) इब्ने-अब्बास *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

ऊँट की तरह एक ही बार में पानी मत पियो। दो या तीन साँसों में पानी पियो और हर साँस के बाद अल्लाह का नाम लो तथा आख़िर में भी अल्लाह का नाम लो। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(हर साँस में बिस्मिल्लाह से पीना शुरू करो तथा अल-हम्दु-लिल्लाह पर ख़त्म करो।)

(133) अबू-सईद ख़ुदरी *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

गिलास के टूटे किनारे से पानी न पिया करो।

(हदीस : अबू-दाऊद)

(134) अबू-क़तादा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो व्यक्ति दूसरों को पानी पिलाने का काम कर रहा है वह सबसे अन्त में पानी पिए। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(135) अब्दुल्लाह इब्ने-अब्बास *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जब तुम दूध पियो तो कहो, "ऐ अल्लाह इसमें हमारे लिए बरकत दे", क्योंकि यह भोजन और पानी दोनों है।

(हदीस : अबू-दाऊद, तिर्मिज़ी)

खाने के समय

(136) अबू-सईद ख़ुदरी *(रज़ि.)* से रिवायत है कि जब अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* अपना खाना ख़त्म करते थे तो कहते थे कि सभी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, जिसने हमें खाने और पीने को दिया और ईमानवाला बनाया। (हदीस : अबू-दाऊद, इब्ने-माजा, तिर्मिज़ी)

(137) उमर इब्ने-अबू-सलमा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि वे जब छोटे थे तो अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* की सरपरस्ती में थे। खाते वक़्त उनका हाथ पूरी थाली में घूमता था। मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा—

बिस्मिल्लाह कहो और अपने दाहिने हाथ से तथा अपने सामने से ही खाओ। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(138) इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो भी खाए या पिए वह अपने दाहिने हाथ से ही खाए और पिए। (हदीस : मुस्लिम)

(139) जाबिर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

हर एक के साथ शैतान हर वक़्त रहता है। खाने के वक़्त भी। यदि हाथ से कोई निवाला गिर जाए तो उसे उठाकर खा लो। उसे शैतान के लिए मत छोड़ो। जब खाना खा चुको तो अपनी उँगलियों को चाट लो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे खाने के किस हिस्से में बरकत है। (हदीस : मुस्लिम)

(140) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जब कोई व्यक्ति खाने या पीने के बाद 'अल-हम्दु-लिल्लाह' (अल्लाह का शुक्र है) कहता है तो अल्लाह ख़ुश होता है।

(हदीस : मुस्लिम)

(141) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

दो आदमियों का खाना तीन के लिए और तीन आदमियों का खाना चार के लिए काफ़ी है। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(142) उमर इब्ने-ख़त्ताब *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

सब साथ में मिलकर खाना खाओ, साथ खाने में बड़ी बरकत है।

(हदीस : इब्ने-माजा)

(यदि हम उपरोक्त हदीसों का संजीदगी से पालन करें तो कई अविकसित देशों की खाने की समस्या हल हो सकती है।)

(143) नुबैसाह (रज़ि.) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

यदि कोई व्यक्ति खाने के बाद बरतन को चाटकर साफ़ करे कि उसमें कुछ भी न छूटे तो बरतन उसके गुनाहों की माफ़ी के लिए अल्लाह से दुआ करता है।

(हदीस : मुस्नद अहमद, दारिमी, इब्ने-माजा, तिर्मिज़ी)

(144) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कभी भी किसी भी खाने को नापसन्द नहीं किया।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

पहनावे के बारे में

(145) उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने रेशम के कपड़े को दो या तीन अंगुल की किनारी के अलावा पहनने से मना किया है। (हदीस : मुस्लिम)

(यह सिद्धान्त केवल मर्दों के लिए है। औरतें चाहें तो रेशम पहन सकती हैं।)

(146) अबू-मूसा अशअरी *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

सोना और रेशम केवल औरतों के लिए हैं। मर्दों को यह नहीं पहनना है। (हदीस : नसई, तिर्मिज़ी)

(147) अबू-उमामा इब्ने-तलबा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

सुनो, पुराने कपड़े पहनना ईमान का हिस्सा है।

(हदीस : अबू-दाऊद)

(आजकल बहुत से लोग पुराने कपड़ों को फेंक देते हैं जबकि वे थोड़े घिस जाते हैं। यह आदत बरबादी की निशानी है। इस दुनिया में लोगों की बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिनके पास ख़ुद को गर्म रखने के लिए भी कपड़े नहीं हैं। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उन ग़रीबों में कपड़े बाँटना चाहिए।)

(148) आइशा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि असमा, (हज़रत अबू-बक्र की बेटी) अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* से मिलने आईं। वे बारीक कपड़ों में थीं। मुहम्मद *(सल्ल.)* ने अपना मुँह फेर लिया और कहा कि जब कोई लड़की उम्र पर आती है तो उसके चेहरे और हाथ के पंजों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। (हदीस : अबू-दाऊद)

(149) अम्र इब्ने-शुऐब ने अपने वालिद के कथनानुसार बताया कि उनके दादा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

खाएँ, पिएँ, दान करें या कपड़े पहनें तो उसमें दिखावा और घमण्ड की मिलावट नहीं होनी चाहिए।

(हदीस : इब्ने-माजा, नसई)

(150) इब्ने-अब्बास *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

मर्दों के औरतों की नक़्ल करने और औरतों के मर्दों की नक़्ल करने पर लानत है। (हदीस : बुख़ारी)

जूतों के बारे में

(151) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जब कोई जूते पहने तो दाहिने पैर से शुरू करे और उतारे तो बाएँ पैर से शुरू करे। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(152) आइशा *(रज़ि.)* बताती हैं कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* हमेशा हर काम दाहिने से ही शुरू करते थे जैसे कंघी करना, जूते पहनना आदि। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

लेटना और सोना

(153) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने एक व्यक्ति को पेट के बल लेटे देखा तो कहा—

इस तरह लेटना अल्लाह को पसन्द नहीं है। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(पेट के बल लेटना हाज़िमे को ख़राब करता है और पीठ के लिए भी नुक़सानदायक है।)

(154) अबू-क़तादा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि जब अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* आराम करते थे या रात में सोते थे तो दाहिनी करवट सोते थे। (हदीस : शरहुस-सुन्नह)

छींकना और जम्हाई लेना

(155) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

अल्लाह (आदमी का) छींकना पसन्द करता है और जम्हाई को नापसन्द। अतः जब कोई छींकता है तो वह अल्लाह की तारीफ़ करते हुए कहे– 'अल-हम्दु-लिल्लाह'। हर मुस्लिम जो सुने तो कहे– 'यरहमुकल्लाह' (अल्लाह की तुम पर कृपा हो)। परन्तु जम्हाई शैतान से आती है जब कोई जम्हाई लेता है तो शैतान ख़ुश होता है। अतः जब कोई जम्हाई ले तो उसे यथासम्भव रोकना चाहिए। (हदीस : बुख़ारी)

(156) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* जब भी छींकते थे तो अपने चेहरे को हाथ अथवा कपड़े से ढक लेते थे।
(हदीस : अबू-दाऊद, तिर्मिज़ी)

बालों के बारे में

(157) इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा– यहूदियों के विपरीत अमल करो। दाढ़ी बढ़ाओ और मूँछें कतर दो। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(158) इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* को कहते सुना कि उस औरत पर लानत है जो नक़ली बाल लगाती है, अपने जिस्म पर टैटू (गुदवाती) कराती है।
(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(159) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा–

व्यक्ति को अपने बालों पर गर्व होना चाहिए।
(हदीस : अबू-दाऊद)

(160) कअब इब्ने-मुर्रह से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा–

जिसके बाल सफ़ेद हैं वे बाल हश्र के दिन उसे प्रकाश पहुँचाने का ज़रीआ बनेंगे। (हदीस : अबू-दाऊद)

दैनिक जीवन

आपसी सलामती

(161) अब्दुल्लाह इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* से किसी ने पूछा कि इस्लाम का कौन सा पहलू सबसे अच्छा है? मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा—

> जिन्हें आप जानते हैं और जिन्हें नहीं जानते दोनों का स्वागत करना और उन्हें खाना खिलाना। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(162) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

> तुम तब तक जन्नत में नहीं जाओगे जब तक कि तुम में ईमान न हो। तुममें ईमान तब तक नहीं होगा जब तक कि तुम एक दूसरे से मुहब्बत नहीं करोगे। एक दूसरे से मुहब्बत करने का सबसे अच्छा तरीक़ा यह है कि सलाम करो। (हदीस : मुस्लिम)

(163) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

> छोटा अपने से बड़े को सलाम करे, पैदल चलनेवाला बैठे हुए को सलाम करे, छोटा समूह बड़े समूह को सलाम करे।
>
> (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(164) अबू-उसामा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो सलाम करने में पहल करते हैं वही लोग अल्लाह के नज़दीक हैं। (हदीस : अबू-दाऊद, तिर्मिज़ी)

(165) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा–

जब अहले-किताब आपको अस्सलामु-अलैकुम कहें तो आप उन्हें वअलैकुमस्सलाम कहो। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(अहले-किताब अर्थात् ईसाई और यहूदी। जब ये लोग अस्सलामु अलैकुम कहें तो आप उन्हें वअलैकुमस्सलाम कहें।

(166) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा–

जब तुम अपने घर में आओ तो अपने परिवारवालों को सलाम करो। यह तुम्हारे परिवार और स्वयं तुम्हारे लिए बरकतवाली चीज़ है। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(167) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा–

जब तुम अपने भाई से मिलो तो सलाम करो। जब आप अस्थायी रूप से पेड़ या दीवार की आड़ से अलग हो जाओ तो फिर सलाम करो। (हदीस : अबू-दाऊद)

गले मिलना और मुसाफ़ा (हाथ मिलाना)

(168) अता ख़ुरासानी *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा–

जब आप मुसाफ़ा करेंगे (अर्थात हाथ मिलाएँगे) तो नाराज़गी समाप्त हो जाएगी और जब एक दूसरे को तोहफ़ा देंगे तो दुर्भावना ख़त्म होगी। (हदीस : मुवत्ता इमाम मालिक)

(169) अल-शाबी से रिवायत है कि प्यारे नबी *(सल्ल.)* एक बार जाफ़र इब्ने-अबी-तालिब से मिले तो उनसे गले मिले और उनके माथे को चूमा। (हदीस : अबू-दाऊद, बैहक़ी)

साथ में बैठना

(170) अम्र इब्ने-शुऐब ने अपने वालिद के हवाले से बताया कि उनके दादा ने बताया कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

दो लोगों के बीच में जब तक उनकी इजाज़त न हो मत बैठो।

(हदीस : अबू-दाऊद)

(171) अब्दुल्लाह इब्ने-मसऊद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जब तीन व्यक्ति बैठे हों तो कोई दो व्यक्ति तीसरे को छोड़कर आपस में बातें न करें इससे उसे तकलीफ़ होगी।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(172) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

यदि किसी महफ़िल में अल्लाह का जिक्र और मुहम्मद *(सल्ल.)* पर दुरूद न हो वह घटिया शोक सभा के जैसी होगी। अल्लाह चाहे तो उन्हें सज़ा दे या उन्हें माफ़ करे। (हदीस : तिर्मिज़ी)

बीमार से मिलना

(173) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जब किसी बीमार से मिलने कोई जाता है तो जन्नत में यह आवाज़ गूँजती है, "आप सदा सुखी रहें। आपका चलकर आना ख़ुशी भरा हो, आपको जन्नत में एक घर मिले।"

(हदीस : इब्ने-माजा)

(174) अबू-उमामा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

किसी बीमार से मिलने का सबसे अच्छा तरीक़ा यह है कि आप बीमार के माथे या सिर पर हाथ रखकर कहें कि आप कैसे हैं?

(हदीस : अहमद, तिर्मिज़ी)

दोस्त बनाना

(175) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

व्यक्ति अपने दोस्त की आदतों और अक़ीदों से प्रभावित होता है अतः दोस्त बनाने में सावधान रहें।

(हदीस : अबू-दाऊद, तिर्मिज़ी)

(176) मुआज़ इब्ने-जबल (रज़ि.) ने बताया कि उन्होंने अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* से सुना—

अल्लाह कहता है— मेरी मुहब्बत उन लोगों के लिए है जो मेरे लिए साथ बैठते हैं, मेरे लिए एक दूसरे से मुहब्बत करते हैं, मेरे लिए एक दूसरे से मिलते हैं और मेरे लिए एक दूसरे के लिए क़ुरबानी देते हैं। (हदीस : मुवत्ता इमाम मालिक)

(177) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

हश्र के दिन अल्लाह घोषित करेगा कि वे लोग कहाँ हैं जो मेरी बड़ाई की ख़ातिर एक दूसरे से मुहब्बत करते हैं? आज मैं उन्हें अपनी छत्रछाया में रखूँगा जहाँ मेरे सिवा कोई छाया नहीं है।

(हदीस : मुस्लिम)

बड़ों का एहतिराम

(178) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जिसने अपने से बड़ों का आदर किया उसके बूढ़े होने पर अल्लाह आदर करने के लिए किसी को नियुक्त करेगा। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(179) अबू-मूसा अशअरी *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

किसी सफ़ेद बालवाले मुस्लिम का आदर करना अल्लाह की तारीफ़ का हिस्सा है। जो व्यक्ति क़ुरआन पढ़ाता है उसका आदर करना भी अल्लाह की तारीफ़ का हिस्सा है।(हदीस : अबू-दाऊद)

मेहमान नवाज़ी

(180) ख़ालिद इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* को यह कहते सुना—

जिसका अल्लाह पर और हश्र के दिन पर ईमान है उसे अपने मेहमान का पात्रतानुसार आदर करना चाहिए। पूछा गया कि पात्र होने का क्या अर्थ है? मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा कि एक दिन, एक रात का मेहमान है। तीन दिन की मेहमान नवाज़ी है उसके बाद परोपकार है। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(181) ख़ालिद इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

किसी मुस्लिम के लिए यह उचित नहीं कि वह मेज़बान के यहाँ इतने दिनों तक ठहरे कि उसे गुनाह में मुब्तला कर दे। पूछा गया कि गुनाह में कैसे मुब्तला होगा? मुहम्मद *(सल्ल.)* ने जवाब दिया, "मेहमान इतने ज़्यादा दिनों तक रुक जाए कि उसके पास मेहमान नवाज़ी के लिए कुछ न बचे।" (हदीस : मुस्लिम)

मुस्कुराकर मिलना

(182) जाबिर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

मुस्लिम का हर अच्छा काम परोपकार है। यह भी एक अच्छा काम है कि तुम मुस्लिम भाई से मुस्कुराकर मिलो और अपनी बाल्टी में से उसकी बाल्टी में पानी डालो।

(हदीस : अबू-दाऊद, तिर्मिज़ी)

पारिवारिक जीवन

माँ-बाप का सम्मान

(183) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—उसकी नाक धूल-धूसरित हो, उसकी नाक धूल-धूसरित हो, उसकी नाक धूल-धूसरित हो जिसने अपने माँ-बाप दोनों या किसी एक को बूढ़ा होते देखा और उन दोनों की ख़िदमत ठीक से न करने के कारण जन्नत में नहीं पहुँचा। (हदीस : मुस्लिम)

(184) अब्दुल्लाह इब्ने-अम्र इब्ने-आस *(रज़ि.)* से रिवायत है कि एक व्यक्ति अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* के पास आया और कहा, "मैं यात्रा में आपके साथ रहना चाहता हूँ और अल्लाह की राह में जिद्दोजुहद भी करना चाहता हूँ। मुहम्मद *(सल्ल.)* ने पूछा, "तुम्हारे माँ-बाप में से कोई ज़िन्दा हैं?" उसने कहा, "हाँ दोनों ज़िन्दा हैं।" मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा, "क्या तुम अल्लाह की ख़ुशी चाहते हो?" उस आदमी के हाँ कहने पर मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा, "वापस घर जाओ और अपने माँ-बाप की अच्छी ख़िदमत करो।"

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि कोई व्यक्ति अपने माँ-बाप की अनुमति के बिना अपना घर छोड़कर जिहाद के लिए नहीं जा सकता।)

(185) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* से एक बार पूछा गया कि बड़े गुनाह क्या हैं? तो उन्होंने जवाब दिया—

अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, अपने माँ-बाप की अवमानना करना या उन्हें चोट और दुख पहुँचाना, किसी की हत्या करना और झूठी गवाही देना। (हदीस : बुख़ारी)

(186) अब्दुल्लाह इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

अपने माँ-बाप की आज्ञा मानो। उनसे दयापूर्ण व्यवहार करो। क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। (हदीस : तबरानी)

(187) मुआविया इब्ने-जहीमा अपने वालिद के हवाले से बताते हैं कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के क़दमों के नीचे है।

(हदीस : मुस्नद अहमद, नसई)

(188) अस्मा बिन्ते-अबू-बक्र (रज़ि.) ने बताया कि हुदैबिया की सन्धि के समय मेरी माँ, जो उस समय ग़ैर-मुस्लिम थीं, मक्का से मुझसे मिलने आईं। मैंने मुहम्मद *(सल्ल.)* को बताया कि मेरी माँ आई हैं और उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा, "अपनी माँ के साथ उत्तम व्यवहार करो।"

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(189) अबू-उसैद सईदी *(रज़ि.)* बताते हैं कि एक बार हम मुहम्मद *(सल्ल.)* के साथ बैठे थे कि सलमा क़बीले का एक आदिवासी आया और मुहम्मद *(सल्ल.)* से कहा, "मेरे माँ-बाप मर चुके हैं फिर भी क्या मुझ पर उनका कोई हक़ है?" मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा, "हाँ तुम उन पर दया और कृपा के लिए अल्लाह से दुआ करते रहो, उनके द्वारा किसी को दिए

गए वचन को पूरा करो और उनके रिश्तेदारों और दोस्तों का आदर करो।"   (हदीस : अबू-दाऊद, इब्ने-माजा)

(यदि माँ-बाप की मौत ईमान की हालत में नहीं हुई है तो उनके लिए दुआ जाइज़ नहीं, परन्तु उनकी ज़िन्दगी में उनके साथ अच्छा सुलूक करना, दया करना आवश्यक है। कुरआन, (31:15) में इसके स्पष्ट आदेश हैं।)

शादी

(190) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

लोग औरत से शादी चार कारणों से करते हैं— उसकी दौलत के लिए, उसकी सम्मानजनक स्थिति के कारण, उसकी सुन्दरता के कारण और उसके धर्म के कारण, परन्तु धार्मिक महिला से शादी करो तो तुम कामयाब रहोगे।   (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(191) इब्ने-मसऊद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जवान लोग जो अपनी पत्नी का पालन-पोषण कर सकते हैं शादी करें क्योंकि इससे तुम किसी अन्य औरत की ओर नहीं देख पाओगे और तुम अनैतिकता से सुरक्षित रहोगे। जो शादी करने में सक्षम नहीं हैं उन्हें चाहिए कि वे रोज़ा रखें ताकि उनकी अनैतिक इच्छाएँ ज़ोर न मार सकें।   (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(192) उमर इब्ने-ख़त्ताब *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

दहेज के मामले में सीमा मत लाँघो और अति मत करो।

(हदीस : नसई, तिर्मिज़ी)

(कई लोग बहुत ऊँचा दहेज तय करते हैं जो ग़लत है और इस्लाम की शिक्षाओं के विरुद्ध है।)

(193) अनस इब्ने-मालिक (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल॰)* ने कहा—

शादी का वलीमा (भोज) अवश्य करो। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(194) अबू-हुरैरा *(रज़ि॰)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल॰)* ने कहा—

जो अपनी पत्नी से अप्राकृतिक कृत्य करता है उस पर अल्लाह की लानत है। (हदीस : अबू-दाऊद, मुस्नद अहमद)

(195) अब्दुल्लाह इब्ने-उमर *(रज़ि॰)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल॰)* ने कहा—

अल्लाह द्वारा अनुमति प्राप्त कार्यों में सबसे घृणित कार्य तलाक़ है।

(196) सौबान *(रज़ि॰)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल॰)* ने कहा—

असहनीय कष्ट की स्थिति को छोड़कर तलाक़ माँगनेवाली औरत के लिए जन्नत की ख़ुशबू नहीं है।

(हदीस : अबू-दाऊद, मुस्नद अहमद, इब्ने-माजा, तिर्मिज़ी)

(इस्लाम हमें बहुत मज़बूत पारिवारिक बन्धन की शिक्षा देता है। समाज में घर एक बहुत मज़बूत और स्थायी संस्था है। परिणाम स्वरूप मुस्लिम देशों में आज भी तलाक़ के मामले नगण्य होते हैं।)

पत्नी के साथ शालीनता और दया

(197) अबू-हुरैरा *(रज़ि॰)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल॰)* ने कहा—

ईमानवाला अपनी पत्नी से नफ़रत नहीं करता, यदि वह उसकी किसी आदत को नापसन्द करता है तो किसी अन्य आदत से ख़ुश भी होता है। (हदीस : मुस्लिम)

(198) अबू-हुरैरा *(रज़ि॰)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल॰)* ने कहा—

उसका ईमान सबसे सच्चा है जिसका चरित्र अच्छा है। और तुममें सबसे अच्छा वह है जिसका व्यवहार पत्नी के साथ अच्छा है।

(हदीस : तिर्मिज़ी)

(199) अबू-मसऊद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा–

जब कोई व्यक्ति अल्लाह की राह में ख़र्च करता है तो उसको इनाम मिलता है। उस निवाले के लिए भी उसे इनाम मिलता है जो वह अपनी पत्नी के मुँह में डालता है।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(200) अब्दुल्लाह इब्ने-अम्र इब्ने-आस *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा–

जो धन अपने आश्रितों पर ख़र्च करना चाहिए उसे रोककर रखना पाप को परिभाषित करने के लिए काफ़ी है। (हदीस : मुस्लिम)

(201) अब्दुल्लाह इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा–

तुममें से हर एक चरवाहा है और हर एक अपने झुण्ड के लिए जवाबदेह है। अमीर (Ruler) भी चरवाहा है और पति भी। पति अपने परिवार के लिए जवाबदेह है। औरत भी चरवाहा है। वह पति और बच्चों की देख-भाल करती है। इस तरह तुममें से हर एक चरवाहा है और हर एक अपने झुण्ड के लिए जवाबदेह है। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(202) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा–

औरत को पसली से बनाया गया है। अतः तुम्हारे लिए वह कभी किसी एक राह पर कदापि सीधी नहीं होगी, इसलिए यदि तुम उससे लाभ उठाना चाहते हो तो उसके टेढ़पन (वक्रता) ही की दशा में लाभ उठा लो। यदि तुम उसे सीधा करना चाहोगे तो उसे तोड़ दोगे और तोड़ने का अर्थ है तलाक़। (हदीस : मुस्लिम)

(203) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा–

तुममें सबसे अच्छा व्यक्ति वह है जो अपने परिवार के लिए अच्छा है और तुममें अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा मैं हूँ।

(हदीस : सुनन दारमी, तिर्मिज़ी)

(इब्ने-माजा ने भी इस हदीस को इब्ने-अब्बास *(रज़ि.)* के हवाले से रिवायत किया है।)

पति का आदर

(204) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—
यदि मुझे यह आदेश करना होता कि कोई किसी को सजदा करे तो मैं औरत को कहता कि वह अपने पति को सजदा करे।
(हदीस : तिर्मिज़ी)

(205) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—
कोई औरत अपने पति के घर पर होने पर रोज़ा उसकी अनुमति के बग़ैर न रखे। वह अपने घर में अपने पति की अनुमति के बिना किसी को न आने दे। (हदीस : बुख़ारी)

(यह आदेश केवल नफ़्ल रोज़े के लिए है।)

(206) अनस इब्ने-मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—
यदि कोई औरत पाँच वक़्त की नमाज़ पढ़ती है, रमज़ान के रोज़े रखती है, अपने सतीत्व की रक्षा करती है और अपने पति की आज्ञा मानती है तो वह जिस दरवाज़े से चाहे जन्नत में दाखिल हो सकती है।

(207) जाबिर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—
तीन लोग हैं जिनकी दुआ स्वीकार नहीं होती और नेकी अर्श तक नहीं पहुँचाई जाती— पहला भागा हुआ गुलाम, दूसरा एक पत्नी जिसका पति उससे नाख़ुश हो और तीसरा एक शराबी जब तक कि वह लत न छोड़ दे। (हदीस : बुख़ारी)

(इन हदीसों से यह नहीं समझना चाहिए कि पति अपनी पत्नी से सख़्त और रूखा व्यवहार करे। इन शिक्षाओं के मर्म को समझा जाए। उपरोक्त हदीसें पत्नियों के लिए हैं कि वे अपने पति का प्यार पाने का भरसक प्रयास करें। ऐसी कई हदीसें हैं जिनमें पति को अपनी पत्नी के साथ प्रेम और दया का व्यवहार करने की शिक्षा दी गई है जिनमें से कुछ ऊपर दी जा चुकी हैं।)

बच्चों से प्यार और दया

(208) इब्ने-मसऊद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

सभी बच्चें अल्लाह के हैं, और अल्लाह को वही सबसे प्यारा है जो बच्चों को प्यार करे। (हदीस : बैहक़ी)

(209) अय्यूब इब्ने-मूसा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

एक पिता अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने से अच्छा कुछ नहीं दे सकता। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(210) नोमान इब्ने-बशीर *(रज़ि.)* बताते हैं कि उनके पिता उन्हें एक बार मुहम्मद *(सल्ल.)* के पास ले गए और कहा, "मैंने अपने ग़ुलामों में से एक इस लड़के को दे दिया है।" मुहम्मद *(सल्ल.)* ने पूछा, "क्या अपने सभी बच्चों के साथ ऐसा ही किया है?" जवाब 'नहीं' आने पर मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा, "आप अल्लाह के प्रति कर्तव्य को याद रखें और अपने बच्चों के साथ बराबरी का व्यवहार करें।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(211) आइशा *(रज़ि.)* ने बताया कि एक बार एक औरत अपने दो बच्चों के साथ माँगने आई। मेरे पास केवल एक खजूर था मैंने उसे दे दिया। उसने उसे दो टुकड़े करके अपनी बेटियों को दे दिया और अपने लिए कुछ नहीं रखा और चली गई। अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* के आने पर मैंने उन्हें यह बताया। मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा, "कोई भी जिसकी

बेटियाँ हों और वह उनसे मुहब्बत करता हो, तो वे बेटियाँ जहन्नम से उसकी रक्षा करेंगी।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(212) इब्ने-अब्बास *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

यदि किसी के यहाँ बेटी पैदा हुई और वह उसे ज़िन्दा नहीं दफ़नाता, उसकी उपेक्षा नहीं करता और बेटों को उस पर तरजीह (वरीयता) नहीं देता, तो अल्लाह उसे जन्नत देगा। (हदीस : अबू-दाऊद)

(213) अबू-सईद ख़ुदरी *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जिसे भी अल्लाह ने बच्चों से नवाज़ा है वह उन्हें अच्छी तहज़ीब सिखाए, और जब उनकी उम्र हो, उनकी शादी कर दे। अगर पिता यह सब करने में असफल रहता है और बच्चे ग़लत राह पर चल पड़ते हैं तो इसकी जवाबदेही बाप पर होगी।(हदीस : बैहक़ी)

(214) अबू-मसऊद बदरी *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जब कोई व्यक्ति अल्लाह से इनाम के लिए अपनी पत्नी और बच्चों पर ख़र्च करता है तो यह उसके हित में परोपकार बनेगा। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

बच्चों के संबंध में

(215) अबू-रफ़ी *(रज़ि.)* बताते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* को फ़ातिमा *(रज़ि.)* के बेटे हसन इब्ने-अली *(रज़ि.)* की पैदाइश पर उनके कान में अज़ान देते देखा। (हदीस : अबू-दाऊद, तिर्मिज़ी)

(216) अली इब्ने-अबी-तालिब *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने अपने नवासे हसन *(रज़ि.)* के जन्म के सातवें दिन एक भेड़ की क़ुर्बानी दी और कहा कि बच्चे का सिर मुँडवाओ और उसके (बाल के) वज़न के बराबर दान करो। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(217) अब्दुल्लाह इब्ने-अब्बास *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

अपने पिता के द्वारा अच्छे नाम रखे जाने का और अपने पिता से अच्छी तरबियत पाने का बच्चे को हक़ है। (हदीस : बैहक़ी)

(218) अब्दुल्लाह इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान नाम अल्लाह को सभी नामों से ज़्यादा पसन्द हैं। (हदीस : मुस्लिम)

रिश्तेदारों का आदर

(219) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो यह चाहता है कि उसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मिले और जो लम्बी ज़िन्दगी चाहता है उसे अपने रिश्तेदारों पर कृपालु और दयालु होना चाहिए। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(220) अब्दुल्लाह इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

रिश्तेदारों से इस उम्मीद पर अच्छे सम्बन्ध रखनेवाला कि वे भी उसका आदर करेंगे, दयालु नहीं है। दयालु वह है जो अपने रिश्तेदारों के नाराज़ रहने पर भी उनसे प्रेम रखता है।

(हदीस : बुख़ारी)

(221) जाबिर इब्ने-मुतइम (रज़ि.) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो रिश्तेदारों के बन्धनों को तोड़ता है वह जन्नत में प्रवेश नहीं करेगा। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(222) अब्दुल्लाह इब्ने-सलाम (रज़ि.) से रिवायत है कि जब अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने मदीना में प्रवेश किया तो मैं उन्हें देखने गया।

जब मैंने उनके चेहरे को देखा तो मैं यह पहचान गया कि यह चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। पहली बात जो उन्होंने कही वह थी कि ऐ लोगो आपस में ज़्यादा से ज़्यादा सलाम करो, अपना खाना बाँटकर खाओ, रिश्तेदारी के बन्धनों को क़ायम रखो, रात में इबादत और दुआ करो तो तुम शान्ति से जन्नत में दाख़िल हो सकोगे। (हदीस : इब्ने-माजा, तिर्मिज़ी)

(223) सलमान इब्ने-आमिर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

किसी ग़रीब को कुछ देने से एक इनाम मिलता है जबकि यही किसी ज़रूरतमन्द रिश्तेदार को देने से दोहरा इनाम मिलता है—पहला दान का तथा दूसरा रिश्तेदारी निभाने का।

(हदीस : मुस्नद, अहमद, इब्ने-माजा, नसई, तिर्मिज़ी)

(224) सईद इब्ने-आस *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

बड़े भाई का छोटे भाई पर उतना ही हक़ है जितना एक बाप का एक बेटे पर। (हदीस : बैहक़ी)

गुनाहे-कबीरा और निषिद्ध कार्य

कुछ गुनाहे-कबीरा

(225) इब्ने-मसऊद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि एक व्यक्ति ने अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* से पूछा कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है? मुहम्मद *(सल्ल.)* ने जवाब दिया कि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया और तुम उसके समकक्ष किसी और को मानो। अगला क्या? पूछे जाने पर कहा कि पड़ोसी की पत्नी से सम्बन्ध बनाना।

अल्लाह की आयतों (क़ुरआन, 25:68) से भी इसकी पुष्टि होती है कि जो लोग अल्लाह के साथ अन्य किसी को नहीं पूजते, न उसे बिना किसी पर्याप्त कारण के मारते हैं जिसे अल्लाह ने हराम ठहराया है और न व्यभिचार करते हैं। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(226) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

> सात घातक चीज़ों से बचकर रहो। वे सात चीज़ें क्या हैं पूछे जाने पर मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा— यह मानना कि अल्लाह का कोई शरीक है, जादू, उसे मारना जिसे अल्लाह ने क्षति पहुँचाने से मना किया है, ब्याज लेना, यतीम की सम्पत्ति का उपभोग करना, जब

फ़ौज आगे बढ़ रही हो तो भाग जाना, एक सतीत्ववाली, भोली-भाली और ईमानवाली औरत को बदनाम करना।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(227) अब्दुल्लाह इब्ने-अम्र *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

बड़ा गुनाह यह है कि यह विश्वास किया जाए कि अल्लाह के सिवाय कोई और भी पूज्य है, आपने माँ-बाप की आज्ञाओं का पालन न करना, हत्या करना और झूठी गवाही देना।

हलाल और हराम में फ़र्क समझना

(228) नोमान इब्ने-बशीर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

हलाल (Permissible) और हराम (Forbidden) में फ़र्क़ तो साफ़ है। परन्तु कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका हलाल और हराम में फ़र्क़ शंकास्पद रहता है और ज़्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते। जो इन चीज़ों से बचते हैं, वे अपना ईमान बचाते हैं। जो इनसे नहीं बचते हैं वे हराम में पड़ते हैं। यह एक चरवाहे जैसा है जो अपनी भेड़ों को प्रतिबन्धित क्षेत्र के आस-पास चराता है तो बिल्कुल सम्भव है कि उसकी भेड़ें प्रतिबन्धित क्षेत्र में प्रवेश कर जाएँ। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(229) वबीसा इब्ने-मसऊद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

ऐ वबीसा तुम यह जानने आए हो कि अच्छे और बुरे काम कौन से हैं। मेरे हाँ करने पर मुहम्मद *(सल्ल.)* ने अपने हाथ की उँगलियों को दिल पर रखा और कहा कि अपने दिल से पूछो। अच्छा काम यह है जिसके करने पर दिल शान्त रहे और बुरा

काम वह है जिसके करने पर आपका दिल आशंकाओं से घिर जाए, उस समय भी जब लोग यह कहें कि यह सही काम है।

(हदीस : मुस्नद अहमद, दारिमी)

चुग़ली और ग़ीबत अथवा पीठ पीछे किसी की निंदा करना

(230) अब्दुल्लाह इब्ने-मसऊद (रज़ि०) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल०)* ने कहा–

किसी मुस्लिम की ग़ीबत करना 'फ़िस्क़' और उससे लड़ना कुफ़्र है। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(231) अबू-सईद ख़ुदरी *(रज़ि०)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल०)* ने कहा–

पीठ पीछे निन्दा करना मिलावट करने से भी बुरा है। पूछा गया कि कैसे बुरा है तो मुहम्मद *(सल्ल०)* ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मिलावट करता है और फिर दुबारा नहीं करता और पछताता है तो उसे अल्लाह माफ़ कर सकता है, परन्तु निन्दक को तभी माफ़ी मिलेगी जबकि वह व्यक्ति उसे माफ़ करे जिसकी निंदा की गई है। (हदीस : बैहक़ी)

(232) अबू-हुरैरा *(रज़ि०)* से रिवायत है कि एक बार अल्लाह के रसूल *(सल्ल०)* ने पूछा–

क्या तुम जानते हो ग़ीबत क्या है? लोगों ने कहा कि अल्लाह और उसके पैग़म्बर बेहतर जानते हैं। तब मुहम्मद *(सल्ल०)* ने बताया कि किसी की अनुपस्थिति में उसके बारे में ऐसी बातें कहना जो उसे नाराज़ कर सकती हैं। उनसे फिर पूछा गया कि यदि वह वास्तव में वैसा ही हो तब भी? मुहम्मद *(सल्ल०)* ने कहा कि यदि वह वैसा ही है तो आप (पीठ पीछे निंदा) के गुनाहगार हैं और अगर वैसा नहीं है तो आप मिथ्यारोपण के गुनहगार हैं जो कि ग़ीबत से भी बड़ा गुनाह है।(हदीस : मुस्लिम)

(233) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा–

यदि किसी की निन्दा उसकी उपस्थिति में की गई है और वह उसका बचाव करने की स्थिति में है और बचाव करता है तो अल्लाह उसका इस दुनिया और आख़िरत दोनों में बचाव करेगा। और यदि वह अपना बचाव करने में असफल रहता है तो अल्लाह इस दुनिया और आख़िरत दोनों में बचाव नहीं करेगा।

(हदीस : बग़वी)

(234) इब्ने-मसऊद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा–

मेरा कोई साथी किसी अन्य के बारे में कोई अप्रिय बात न कहे, ताकि जब मैं उनसे मिलूँ तो मेरा दिल हर एक के बारे में साफ़ रहे। (हदीस : अबू-दाऊद, तिर्मिज़ी)

(क़ुरआन ग़ीबत के बारे में कहता है कि आपस में एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई मत करो। क्या कोई अपने मरे भाई का गोश्त खाना पसन्द करेगा। नहीं, तुम बिल्कुल नहीं करोगे।) (क़ुरआन 49:12)

झूठ

(235) सफ़्वान इब्ने-सलीम *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* से पूछा गया कि क्या मुस्लिम कायर या कंजूस हो सकता है? तो मुहम्मद *(सल्ल.)* ने जवाब दिया कि यह सम्भव है। बाद में जब उनसे पूछा गया कि मुस्लिम झूठा हो सकता है? तो मुहम्मद *(सल्ल.)* ने जवाब दिया कि नहीं, मुस्लिम हरगिज़ झूठा नहीं हो सकता।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(236) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा–

यदि कोई व्यक्ति सुनी सुनाई बात को प्रचारित करता जाता है तो उसे झूठा कहा जाएगा। (हदीस : मुस्लिम)

(क़ुरआन हमें शिक्षा देता है कि किसी बात पर यक़ीन करने से पहले उसकी पुष्टि कर लो। क़ुरआन कहता है कि ऐ ईमानवालो! जब कोई अवज्ञाकारी तुम्हारे पास कोई ख़बर लेकर आए तो, सच्चाई की पुष्टि करो, अन्यथा तुम अपनी अज्ञानता से लोगों को नुक़सान पहुँचा सकते हो और बाद में तुम पूरे पश्चात्तापी बन जाओ कि मैंने यह क्या किया।) (क़ुरआन, 49:6)

(237) इब्ने-मसऊद (रज़ि.) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

हमेशा सच कहा करो, क्योंकि सच्चाई नेकी की तरफ़ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ़। यदि कोई व्यक्ति लगातार सच बोलता है और सच को अपना लक्ष्य बना लेता है तो वह अल्लाह के यहाँ एक सच्चा व्यक्ति दर्ज हो जाता है। झूठ बोलने से बचो क्योंकि झूठ ग़लत बातों की तरफ़ ले जाता है और ग़लत काम जहन्नम की तरफ़। यदि कोई व्यक्ति लगातार झूठ बोलता है और झूठ को ही अपना लक्ष्य बनाता है तो अल्लाह के समक्ष वह झूठा क़रार दिया जाएगा। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(238) बहज़ इब्ने-हकीम ने बताया कि उनके दादा से अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो दूसरों को हँसाने के लिए झूठ बोले उस पर ख़ुदा की मार हो! उस पर ख़ुदा की मार हो उस पर ख़ुदा की मार हो।

(हदीस : अबू-दाऊद, तिर्मिज़ी)

(239) इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

झूठ बोलनेवाले की बदबू की वजह से रहमत के फ़रिश्ते उससे मीलों दूर चले जाते हैं। (हदीस : तिर्मिज़ी)

शराब और दूसरे नशे

(240) इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

हर वह चीज़ जो नशा पैदा करे, शराब का ही रूप है और शराब का हर रूप हराम है। इस दुनिया में जो शराब पीता है और उस की बिना तौबा के ही मौत हो जाती है तो उसे आख़िरत में कोई भी अच्छी चीज़ पीने को नहीं दी जाएगी। (हदीस : मुस्लिम)

(241) इब्ने-उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

ख़म्र (शराब) वह चीज़ है जो दिमाग़ को अस्त-वयस्त कर डालती है। (हदीस : बुख़ारी)

(242) जाबिर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो ज़्यादा मात्रा में पीने से नशा पैदा करे उसका कम मात्रा में भी पीना हराम है। (हदीस : अबू-दाऊद, तिर्मिज़ी)

(245) उम्मे-सलमा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने हर उस चीज़ को हराम किया जिससे नशा हो और हर वह चीज़ जो शिथिलता पैदा करे। (हदीस : अबू-दाऊद)

(इन हदीसों से यह स्पष्ट है कि सभी प्रकार की नशीली चीज़ें ख़म्र की श्रेणी में आती हैं और हराम क़रार दी गई हैं। ये हमारे दिमाग़ को नुक़सान पहुँचाती हैं जो हमें पशुओं से अलग पहचान देता है। शराब से हर साल हज़ारों जानें जाती हैं और जब इसकी लत पड़ जाती है तो मुश्किल ही से छूटती है।)

(244) वाइल हज़रमी *(रज़ि.)* से रिवायत है कि किसी ने अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* से ख़म्र के बारे में पूछा कि उसने दवाई के तौर पर ख़म्र का इस्तेमाल किया है। मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा कि वह दवाई नहीं बीमारी है। (हदीस : मुस्लिम)

(245) अबू-उमामा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

अल्लाह कहता है कि यदि किसी ने एक घूँट भी ख़म्र (शराब) का पिया है तो आख़िरत में उसे उतना ही पीप (Puss) पीना होगा।

(हदीस : मुस्नद अहमद)

(246) दैलमा हुमैरी *(रज़ि.)* ने एक बार अल्लाह के रसूल से पूछा कि ऐ अल्लाह के पैग़म्बर हम ठण्डे मुल्क में रहते हैं, हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हम गेहूँ से ख़म्र (शराब) बनाते हैं जो हमें ठण्ड और थकावट से राहत देती है। मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा कि क्या वह नशीली है? उसने हाँ कहा तो मुहम्मद *(सल्ल.)* ने इसे छोड़ने को कहा। हुमैरी ने कहा कि लोग नहीं मानेंगे तो मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा कि उनसे युद्ध करो। (हदीस : अबू-दाऊद)

(247) इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

तीन क़िस्म के लोग हैं जिनका जन्नत में प्रवेश नहीं होगा— पहला शराब का आदी, दूसरा माँ-बाप का नाफ़रमान तथा तीसरा लापरवाह पति जो परिवार में गन्दगी फैलाता हो।

(हदीस : मुस्नद अहमद, नसई)

अनैतिक सम्बन्ध

(248) इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जब किसी समाज में अश्लील हरकतें इतनी बढ़ जाएँ कि वे खुल्लमखुल्ला होने लगें तो उस समाज में महामारी और दुख-सन्ताप फैल जाता है जिसे उनके पूर्वजों ने कभी नहीं जाना।

(हदीस : मुवत्ता इमाम मालिक)

(249) इब्ने-मसऊद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि एक व्यक्ति ने अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* से पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? मुहम्मद *(सल्ल.)* ने जवाब दिया कि अल्लाह के साथ अन्य को शरीक करना। उसके बाद क्या? पूछने पर बताया कि ग़रीबी के कारण बच्चे की हत्या करना। उसके बाद क्या? पूछने पर मुहम्मद *(सल्ल.)* ने जवाब दिया कि पड़ोसी की पत्नी से अवैध सम्बन्ध बनाना। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(250) सहल इब्ने-साद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

यदि कोई मुझे अपनी ज़बान और गुप्तांगों के बारे में आश्वस्त करे तो मैं उसे जन्नत के लिए आश्वस्त करता हूँ।

(हदीस : बुख़ारी)

आत्म हत्या

(251) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो व्यक्ति भी लोहे के औज़ार से आत्म हत्या करता है वह जहन्नम में जाएगा और वह औज़ार हमेशा उसके पेट में फँसा रहेगा। जो ज़हर पीकर आत्म हत्या करता है वह जहन्नम की आग में हमेशा उसी ज़हर को पीता रहेगा जहाँ वह हमेशा रहेगा। ज़ो पहाड़ से कूदकर अपनी जान देता है वह जहन्नम की आग में निरन्तर गिरता रहेगा। इनमें से सब उसी स्थिति में हमेशा रहेंगे।

(हदीस : मुस्लिम)

बिदअत : मज़हब में नई चीज़ शामिल करना

(252) आइशा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

> यदि कोई व्यक्ति हमारे मज़हब में कोई नई चीज़, जो मज़हब में नहीं है, शुरू करता है तो उसे तुरन्त ख़ारिज करो।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(253) जाबिर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

> सर्वोच्च कथन अल्लाह की किताब है और सर्वोच्च उदाहरण मुहम्मद हैं। मज़हब में नई चीज़ें शूरू करना सबसे घटिया कर्म है क्योंकि हर नई चीज़ भटकानेवाली है। (हदीस : मुस्लिम)

(कुछ चीज़ें इस्लाम का अंग बन गई हैं जो मुहम्मद *(सल्ल.)* के समय में नहीं थीं। विद्वान इन्हें 'अच्छी शुरूआत' कहते हैं क्योंकि ये जनहित में आवश्यक थीं। उदाहरण के तौर पर ख़लीफ़ा उस्मान *(रज़ि.)* ने क़ुरआन को पुस्तक रूप में तैयार कराया जो पहले नहीं किया गया था।)

(254) इरबाह इब्ने-सरियाह *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने एक ख़ुतबा दिया जिसमें उन्होंने कहा—

> वे लोग जो मेरे बाद जीवित रहेंगे बहुत सी बहसें और तर्क देखेंगे और सुनेंगे, उस समय मेरी सुन्नतों को मज़बूती से पकड़े रहो और मेरे द्वारा सही तरीक़े से प्रशिक्षित ख़लीफ़ा का पालन करो। मज़हब में हर नई बात से सावधान रहो क्योंकि हर नई चीज़ ग़लती और भ्रामक है। (हदीस : अबू-दाऊद, तिर्मिज़ी)

दमन और अन्याय

(255) इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

हश्र के दिन ज़ुल्म, अँधेरा ही लाएगा। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(क़ुरआन और हदीस में आया है कि हश्र के दिन ऐसा समय आएगा जब हर ओर पूरा अन्धकार होगा। हर एक को उसकी नेकी के आधार पर प्रकाश प्रदान किया जाएगा। यह प्रकाश उसे स्वर्ग की ओर ले जाएगा। जिनके पास यह प्रकाश होगा वे जन्नत का रास्ता पा जाएँगे और जिनके पास प्रकाश नहीं होगा वे जहन्नम के गढ़े में गिरेंगे। उक्त हदीस के अनुसार हश्र के दिन अन्धकार का एक कारण ज़ुल्म और अन्याय होगा। अल्लाह हमें इस अन्धेरे से बचाए। आमीन!)

(256) अबू-मूसा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

अल्लाह ज़ालिम को पहले ढील देता है फिर उसे बचने का मौक़ा नहीं देता। उसके बाद मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा कि अल्लाह आबादियों को उनके ज़ालिम होने के कारण पकड़ता है। निश्चय ही उसकी पकड़ बड़ी दर्दनाक और सख़्त होती है।

—क़ुरआन, 11:102 (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(257) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने पूछा— जानते हो कंगाल किसे कहते हैं? लोगों ने कहा कि जिसके पास न दौलत हो और न ही कोई सामान। मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा कि मेरी उम्मत में कंगाल वह है जो हश्र के दिन अपनी नमाज़, रोज़े और ज़कात के साथ उठेगा पर किसी की बेइज़्ज़ती की होगी, किसी को गाली दी होगी, किसी की सम्पत्ति हड़पी होगी, किसी का ख़ून बहाया होगा और किसी को पीटा होगा। तो प्रभावितों को उसकी कुछ नेकियाँ दी जाएँगी और यदि उसकी नेकियाँ उसके कुकर्मों की पूर्ति नहीं कर पाएँगी तो प्रभावितों के कुकर्म उसके खाते में जोड़कर उसे जहन्नम में झोंक दिया जाएगा। (हदीस : मुस्लिम)

झूठी क़सम और झूठी गवाही

(258) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

क्या मैं तुम्हें बड़े गुनाहों के बारे में बताऊँ? उन्होंने तीन बार पूछा तब हमने कहा, "ऐ अल्लाह के पैग़म्बर! ज़रूर बताइए" तब उन्होंने कहा, "अल्लाह के साथ किसी अन्य को शरीक करना, माँ-बाप की आज्ञा न मानना।" फिर अचानक मुहम्मद *(सल्ल.)* तकिए का सहारा छोड़कर सीधे बैठ गए और कहा, "झूठ बोलना और झूठी क़सम खाना।" इसे उन्होंने इतनी बार दोहराया कि हमारी इच्छा होने लगी कि वे अब इसे न दोहराएँ।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(259) ख़रीम इब्ने-फ़ैक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि एक बार अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* फ़ज्र की नमाज़ की इमामत कर रहे थे। उसके बाद हमारी तरफ़ मुख़ातिब होकर खड़े हो गए और तीन बार कहा कि झूठी गवाही देना शिर्क के बराबर है। (हदीस : अबू-दाऊद)

(यदि कोई झूठी गवाही देता है तो वह अल्लाह के अलावा किसी अन्य को ख़ुश करता है जो शिर्क के बराबर है।)

(260) अब्दुल्लाह इब्ने-उमर और इब्ने-आस *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, माँ-बाप की आज्ञा न मानना, हत्या करना और झूठी गवाही देना, बड़े गुनाहों में से हैं।

(हदीस : बुख़ारी)

हत्या

(261) अबू-बराकह तक़ाफ़ी (रज़ि.) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जब दो मुस्लिम तलवार लेकर लड़ रहे हों और उनमें से एक मारा जाए तो दोनों जहन्नम में जाएँगे। मुहम्मद *(सल्ल.)* से पूछा गया कि मारनेवाला जहन्नम में जाए यह बात तो समझ में आती है पर मरनेवाला क्यों? मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा कि वह भी दूसरे को मारने की नीयत रखता था। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

दिखावा

(262) शद्दाद इब्ने-औस *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो व्यक्ति दिखावे के लिए नमाज़ पढ़े, रोज़ा रखे और दान करे वे सभी शिर्क के गुनहगार हैं। (हदीस : अहमद)

दिखावा भी शिर्क का एक रूप है क्योंकि जब वह दिखावा करता है तब वह अल्लाह के अलावा किसी अन्य को ख़ुश करने की कोशिश करता है। हम जानते हैं कि शिर्क बड़ा गुनाह है और अल्लाह तब तक उसे माफ़ नहीं करता जब तक कि हम उसे छोड़कर माफ़ी न माँगते रहें।

(263) अबू-उमामा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो व्यक्ति सही होने पर भी दिखावा न करे उसके लिए जन्नत की सीमा में एक घर की गारंटी देता हूँ। जो मज़ाक में भी झूठ न बोले उसके लिए जन्नत के मध्य में एक घर की गारंटी देता हूँ। और जिसका आचरण उत्तम है उसके लिए जन्नत की ऊँचाइयों में एक घर की गारंटी देता हूँ। (हदीस : अबू-दाऊद)

व्यवहार और आचरण का उत्तम नमूना

शालीनता

(264) आइशा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

अल्लाह शालीन है और हर चीज़ में शालीनता को पसन्द करता है। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(265) जाबिर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो शालीनता से दूर है वह अच्छाई से दूर है। (हदीस : मुस्लिम)

(266) इब्ने-मसऊद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

क्या मैं तुम्हें न बताऊँ कि कौन जहन्नम से दूर है और जहन्नम किससे दूर है? हर एक जो शालीन और दयालु है, आसानी से उपलब्ध है और सरल स्वभाववाला है। (हदीस : अहमद, तिर्मिज़ी)

(267) हरीसा इब्ने-वहब (रज़ि.) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

रूखा और तुनक मिज़ाज व्यक्ति जन्नत में नहीं जाएगा।

(हदीस : अबू-दाऊद)

सावधानी और देख-रेख (Caution and Care)

(268) इब्ने-अब्बास *(रज़ि.)* से रिवायत है कि एक बार अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने अशाजह से कहा—

तुममें दो अच्छाइयाँ हैं जिनको अल्लाह पसन्द करता है— शालीनता और सावधानी। (हदीस : मुस्लिम)

(269) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

ईमानवाला एक ही बिल से दो बार नहीं डसा जाता।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(270) सहल अल-सईदी *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जल्दबाज़ी शैतान के पास से आती है।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(271) मुसाब इब्ने-साअद से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

इत्मीनान (Leisureliness) हर बात में अच्छा है सिर्फ़ आखिरत को छोड़कर। (हदीस : अबू-दाऊद)

सन्तोष

(272) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

रईसी दौलत में नहीं है, सन्तोष में है।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(273) अली इब्ने-तालिब *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

अल्लाह के थोड़ा देने से जो ख़ुश है अल्लाह उसकी थोड़ी नेकियों से ख़ुश है। (हदीस : बैहक़ी)

(274) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

अल्लाह कहता है— ऐ आदम की औलाद! यदि तुम कुछ समय मेरी सेवा में दो तो मैं तुम्हारे दिलों को सन्तोष से भर दूँगा और मैं तुम्हारी ग़रीबी दूर कर दूँगा। यदि तुम्हारे पास मेरी सेवा के लिए थोड़ा भी समय नहीं है तो मैं तुम्हारे हाथों को काम में व्यस्त रखूँगा और तुम्हारी ग़रीबी भी दूर नहीं करूँगा।

(हदीस : अहमद, इब्ने-माजा)

हया (लज्जा)

(275) ज़ैद इब्ने-तलहा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

हर मज़हब का एक विशेष गुण होता है और इस्लाम का विशेष गुण हया (लज्जा) है। (हदीस : इब्ने-माजा, मालिक)

(276) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

हया (लज्जा) ईमान का हिस्सा है और ईमान जन्नत की तरफ़ ले जाता है। अश्लीलता (फूहड़पन, बेशर्मी) कठोर दिल की निशानी है और दिल की कठोरता जहन्नम की ओर ले जाती है।

(हदीस : अहमद, तिर्मिज़ी)

(277) अब्दुल्लाह इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

हया (लज्जा) और ईमान हमेशा साथ रहते हैं। इनमें से एक के न होने पर दूसरा भी नहीं रहता। (हदीस : बैहक़ी)

सदाचरण (Good Conduct)

(278) अब्दुल्लाह इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

तुम लोगों में से मुझे वे सबसे प्रिय हैं जिनका आचरण अच्छा है।

(हदीस : बुख़ारी)

(279) अबू-दरदा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

हश्र के दिन ईमानवाले की नेकियों में सबसे वज़नदार नेकी होगी उसका सदाचरण। अल्लाह भ्रष्ट और अश्लील को पसन्द नहीं करता। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(280) अबू-ज़र *(रज़ि.)* से रिवायत हैं कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

तुम जहाँ भी हो अल्लाह से डरो। बदी हो जाने के बाद तुरन्त नेकी करने की कोशिश करो जो बदी को धो देगी। लोगों के साथ सद्व्यवहार करो। (हदीस : दारमी, तिर्मिज़ी)

(281) इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

एक व्यक्ति जो लोगों से मिलता-जुलता है और उनसे पहुँचनेवाली हानि को सहन कर लेता है वह उस व्यक्ति से अच्छा है जो सिरे से मिलता-जुलता ही नहीं। (हदीस : इब्ने-माजा, तिर्मिज़ी)

(282) मलिक से रिवायत है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* को कहते सुना—

मैं आचरण के सद्गुणों को परिपूर्ण (Perfect) करने आया हूँ।

(हदीस : मुस्नद अहमद)

क्षमा (Forgiveness)

(283) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

मूसा *(अलै.)* इब्ने-इमरान ने एक बार पूछा— ऐ अल्लाह! आपके बन्दों में सबसे आदरणीय कौन है? जवाब मिला— जो तब भी क्षमा करे जबकि उसके पास बदला लेने की शक्ति हो।

(हदीस : बैहक़ी)

(284) अबू-कबाशा अमीरी *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

क़सम है उसकी जिसके हाथों में मेरी जान है! यदि मुझे क़सम खाने की आदत होती तो मैं तीन चीज़ों की क़सम खाता— दान से दौलत कम नहीं होती, अत्याचारी को कोई माफ़ नहीं करता, अल्लाह का सम्मान किए बिना उससे ख़ुशी माँगना। कोई भी ख़ुद पर ग़रीबी के दरवाज़े खोले बिना, मदद या दान माँगने के लिए दरवाज़े नहीं खोलता। (हदीस : बैहक़ी)

उदारता (Generousity)

(285) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

उदार व्यक्ति अल्लाह के नज़दीक होता है, जन्नत के नज़दीक होता है, लोगों के नज़दीक होता है और जहन्नम से दूर होता है। दूसरी ओर कंजूस अल्लाह से दूर होता है, जन्नत से दूर होता है, लोगों से दूर होता है और जहन्नम के नज़दीक होता है। एक अशिक्षित उदार व्यक्ति अल्लाह को धर्मनिष्ठ (Pious) कंजूस से अधिक प्रिय होता है। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(286) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

अल्लाह का अपने सभी बन्दों को हुक्म है कि, "दूसरों पर ख़र्च करो मैं तुम पर ख़र्च करूँगा।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(287) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

> अल्लाह के बन्दों पर रोज़ाना दो फ़रिश्ते उतरते हैं और बन्दे के लिए एक कहता है, "ऐ अल्लाह दान करनेवाले को सम्पन्नता दे।" तो दूसरा कहता है, "ऐ अल्लाह, जमाख़ोर का विनाश कर।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

अल्लाह पर तवक्कुल (भरोसा)

(288) उमर इब्ने-ख़त्ताब *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

> अगर तुमको अल्लाह पर पूरा यक़ीन है तो वह तुम्हें ऐसे देगा जैसे वह परिंदों के लिए करता है, जो सुबह भूखे निकलते हैं और शाम को भरे पेट लौटते हैं। (हदीस : इब्ने-माजा, तिर्मिज़ी)

(289) इब्ने-अब्बास *(रज़ि.)* से रिवायत है कि वे एक ही ऊँट पर अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* के पीछे बैठे थे। मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा—

> यदि तुम अल्लाह के लिए विवेकी (Mindful) हो तो वह भी तुम्हारे लिए वैसा ही होगा और तुम अल्लाह को अपने सामने पाओगे। जब भी कोई चीज़ माँगो तो अल्लाह से माँगो और यदि मदद माँगो तो भी अल्लाह से माँगो। याद रखो कि सब लोग मिलकर भी मदद करना चाहें तो वे उतनी ही मदद तुम्हें दे पाएँगे जितनी अल्लाह ने तुम्हारे लिए तय कर रखी है। यदि तुम्हें सब मिलकर नुक़सान पहुँचाना चाहें तो उतना ही पहुँचा पाएँगे जितना अल्लाह ने तुम्हारे लिए तय कर रखा है। क़लम उठाई हुई है मगर स्याही सूखी है। (हदीस : मस्नद अहमद, तिर्मिज़ी)

(290) अबू-ज़र *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

मैं एक आयत जानता हूँ जिस पर कोई अमल करे— उनके लिए जो अल्लाह का डर रखते हैं वह उनको रास्ता दिखाता है और ऐसे ज़रीए से उनको देता है जिसकी उनको कल्पना भी नहीं थी। —क़ुरआन, 65:2-3 (हदीस : मुस्नद अहमद, इब्ने-माजा)

सब्र (Patience)

(291) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

ईमानवाला चाहे मर्द हो या औरत, लगातार परीक्षाओं से गुज़रता रहता है जो उसे, उसके परिवार को या सम्पत्ति को तब तक नुक़सान पहुँचाती हैं जब तक वह अपने सारे गुनाहों के धुलने के बाद अल्लाह से मिल नहीं जाता। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(292) अबू-सईद ख़ुदरी *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जब किसी व्यक्ति को कोई नुक़सान— जैसे बीमारी, तनाव, दुख, घाटा, विपदा आदि— पहुँचता है। यहाँ तक कि काँटा भी चुभता है तो अल्लाह उसके कुछ छोटे गुनाहों को माफ़ कर देता है। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(यह इनाम केवल उनके लिए है जो आज़माइश के वक़्त धैर्य (सब्र) से काम लेते हैं, जिनका अल्लाह पर पूरा यक़ीन होता है और जो यह सोचकर शुक्र करते हैं कि अल्लाह जो भी कर रहा है हमारे भले के लिए ही है।)

(293) सुहैब *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

यह आश्चर्यजनक है कि ईमानवाले के लिए सभी चीज़ें सही हो जाती हैं और ऐसा केवल ईमानवाले के साथ ही होता है। यदि उसे ख़ुशी मिलती है तो वह अल्लाह का शुक्र करता है। यदि

दुर्भाग्य आता है तो भी वह धैर्य रखता है और वह अच्छी चीज़ बन जाती है। (हदीस : मुस्लिम)

(294) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

ताक़तवर ईमानवाला, कमज़ोर ईमानवाले के मुक़ाबले में अल्लाह को ज़्यादा पसन्द है। उत्सुक रहो कि आप किस नफ़े के लिए अल्लाह की मदद माँगते हो, माँगने में कोताही मत करो। यदि कोई दुर्भाग्य आता है तो ऐसा मत कहो कि 'यदि मैं ऐसा करता या वैसा करता तो नतीजा कुछ और होता।' बल्कि कहो, 'अल्लाह ही सब कुछ करनेवाला है, जो वह चाहता है करता है।' 'यदि मैं ऐसा करता या वैसा करता' कहने से शैतान का दरवाज़ा खुल जाता है। (हदीस : मुस्लिम)

पछतावा, प्रायश्चित (Repentance)

(295) अबू-मूसा अशअरी *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

अल्लाह रात में हाथ बढ़ाए रहता है ताकि व्यक्ति के द्वारा दिन में किए गए पापों को वह माफ़ कर सके और दिन में हाथ बढ़ाता है कि व्यक्ति के द्वारा रात में किए गए पापों की माफ़ी माँगी जाएगी। यह तब तक जारी रहेगा जब तक कि सूर्य पश्चिम से नहीं उगता। (हदीस : मुस्लिम)

(सूर्य का पश्चिम से निकलना क़ियामत के निकट होने की निशानी है।)

(296) **अबू-हुरैरा** *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जब ईमानवाला कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला धब्बा बनता है। जब वह पछताता है और माफ़ी माँगता है

तो वह धब्बा साफ़ हो जाता है, परन्तु यदि वह और गुनाह करता है तो यह धब्बा पूरा दिल काला होने तक बढ़ता जाता है। यह ज़ंग (Rust) है जो अल्लाह देता है। वह कहता है कि उन्होंने जो पाया उसके कारण उनके दिलों में ज़ंग लगा है।—कुरआन, 83:14

(इब्ने-माजा, तिर्मिज़ी)

(297) इब्ने-मसऊद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जब कोई अपने गुनाहों पर पछताता है तो वह ऐसा है जैसे उसने कभी वह पाप किया ही नहीं। (हदीस : इब्ने-माजा)

(298) अनस इब्ने-मालिक (रज़ि.) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

आदम की समस्त औलाद गुनाहगार है, पर उनमें से वे उत्तम हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा तौबा करते हैं।(हदीस : इब्ने-माजा, तिर्मिज़ी)

ज्ञान की चाह

(299) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जिसने ज्ञान प्राप्त करने की राह पकड़ी उसके लिए अल्लाह जन्नत की राह आसान करेगा। (हदीस : मुस्लिम)

(300) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो ज्ञान की तलाश में घर से बाहर निकलता है वह अल्लाह के काम में लगा रहता है जब तक कि वह घर न लौटे।

(हदीस : तिर्मिज़ी)

व्यक्तिगत चरित्र रक्षा हेतु आवश्यक बातें

नीयत (Intentions)

(301) उमर इब्ने-ख़त्ताब *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

> हर काम उस काम की नीयत से आँका जाता है और हश्र के दिन व्यक्ति उसके कामों की नीयत के आधार पर परखा जाएगा।
>
> (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(यह वह हदीस है जिसे इमाम बुख़ारी ने 'सहीह-अल-बुख़ारी' में शुरू में ही रखा है। यह हदीस केवल हलाल चीज़ों से ही सम्बन्धित है। हराम कामों को अच्छी नीयत के साथ करने की इजाज़त नहीं है। जो हराम है उसे पूरी तरह नकारना चाहिए।)

(302) इब्ने-अब्बास *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

> जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करने की नीयत करता है तो उसे एक नेकी मिलती है और जब वह उसे करता है तो उसे 10 से 700 गुना तक नेकी मिलती है। जो कोई बुरा काम करने की नीयत करता है लेकिन उसे करता नहीं है तो उसे भी अल्लाह एक नेकी का इनाम देता है। जब वह बुरा काम करता है तो उसके खाते में एक ही गुनाह आता है।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(303) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जब कोई आखिरत के इनाम की नीयत करता है तो अल्लाह उसके दिल को सन्तोष देता है, उसके कामों का ख़याल रखता है और दुनिया उससे नर्मी से पेश आती है। परन्तु जब कोई दुनियावी ख़ुशियाँ पाने की नीयत करता है तो अल्लाह उसको ग़रीबी देता है और उसके कामों को उलझा देता है।

(हदीस : अबू-दाऊद, तिर्मिज़ी)

ग़ुस्सा

(304) वह्हाज इब्ने-हकीम *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

ग़ुस्सा ईमान को ख़राब करता है जैसे एलुआ (Aloe) शहद को ख़राब करता है। (हदीस : बैहक़ी)

(एलुआ, शहद को कड़वा और पनीला कर देता है। इस तरह शहद पूरी तरह बरबाद हो जाता है। अगर हमें अपने ईमान की फ़िक्र है तो हमें अपने ग़ुस्से पर यथा सम्भव क़ाबू रखना चाहिए।)

(305) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

बहादुर वह नहीं जो दूसरे को लड़ाई में हरा दे, बहादुर वह है जो ग़ुस्सा आए तो ख़ुद पर क़ाबू रख सके।(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(306) सह्ल इब्ने-बुआद (रज़ि.) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

हश्र के दिन, उस व्यक्ति को सामने बुलाया जाएगा जो उस समय अपने ग़ुस्से को क़ाबू में रखता हो जब वह उसे जताने में सक्षम हो। उसे जन्नत में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और कहा

जाएगा कि जन्नत में नीली आँखोंवाली कुँवारी सुन्दरियों में से किसी एक को चुन ले। (हदीस : अबू-दाऊद, तिर्मिज़ी)

(307) अतिया इब्ने-उख़्राह *(रज़ि॰)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल॰)* ने कहा—

ग़ुस्सा शैतान से आता है और शैतान आग से बना है। आग पानी से बुझती है अतः जब भी तुम्हें ग़ुस्सा आए, वुज़ू करो।

(हदीस : अबू-दाऊद)

(308) अबू-ज़र *(रज़ि॰)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल॰)* ने कहा—

जब किसी को खड़े हुए ग़ुस्सा आए तो वह बैठ जाए। यदि ग़ुस्सा ख़त्म होता है तो ठीक अन्यथा लेट जाए।

(हदीस : मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी)

जलन, नफ़रत और शत्रुता

(309) अबू-सिरमा *(रज़ि॰)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल॰)* ने कहा—

जो दूसरों को नुक़सान पहुँचाता है अल्लाह उसे नुक़सान पहुँचाएगा और जो शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता है उससे अल्लाह भी शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेगा। (हदीस : इब्ने-माजा, तिर्मिज़ी)

(310) अबू-हूरैरा *(रज़ि॰)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल॰)* ने कहा—

सोमवार और जुमेरात को लोगों का आमालनामा अल्लाह के समक्ष रखा जाता है, सब ईमानवालों को क्षमा दी जाती है, केवल उन लोगों को छोड़कर जो एक दूसरे के लिए नफ़रत रखते हैं। यह हुक्म है कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा यदि वे नफ़रत छोड़ दें। (हदीस : मुस्लिम)

(311) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

एक-दूसरे से शत्रुता और जलन मत रखो और तुच्छ मत समझो, अल्लाह के बन्दों की तरह भाई-भाई बनकर रहो। तीन दिनों से ज़्यादा कोई मुस्लिम अपने भाई से न कतराए।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(312) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

ईर्ष्या और जलन, से सावधान रहो क्योंकि ईर्ष्या नेकियों को ऐसे नष्ट करती है जैसे आग लकड़ी को। (हदीस : अबू-दाऊद)

कोसना (Cursing)

(313) अबू-ज़ैद इब्ने-साबित *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

ईमानवाले को कोसना उसकी हत्या करने के समान है।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(314) इब्ने-मसऊद (रज़ि.) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

ईमानवाला ताने नहीं मारता, कोसता नहीं और अपशब्द नहीं बोलता। (हदीस : तिर्मिज़ी)

फिटकारना, गाली देना (Abusing)

(315) इब्ने-मसऊद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

ईमानवाले को गाली देना गुनाह है और उसकी हत्या ईमान को त्यागने के बराबर है। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(316) आइशा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा–

मृत व्यक्ति को गाली मत दो क्योंकि वह अपने आमाल के साथ जा चुका है। (हदीस : बुख़ारी)

(317) अबू-ज़र *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा–

अपने भाई को उसके गुनाह या अविश्वास के कारण मत फिटकारो। यदि वह उस फिटकार का अधिकारी नहीं होगा तो यह फिटकार लौटकर फिटकारनेवाले के पास आएगी।

(हदीस : बुख़ारी)

अहंकार, गर्व, डींग मारना (Boasting)

(318) इब्ने-हिमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा–

अल्लाह ने मुझे हिदायत दी कि हमेशा शालीन रहो ताकि कोई एक दूसरे के सामने डींग न मारे और न किसी को दबाए।

(हदीस : मुस्लिम)

(319) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा–

लोग अपने पूर्वजों की डींग मारना बन्द करें। कोई भी या तो सात्विक ईमानवाला है या फिर महापापी। सभी आदम की सन्तान हैं और आदम मिट्टी से बने थे। (हदीस : अबू-दाऊद, तिर्मिज़ी)

दंभ, छल-कपट, मुनाफ़िक़त (Hypocrisy)

(320) मुआज़ इब्ने-जबल *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा–

अन्तिम दिनों में ऐसे लोग होंगे जो दिखावे के लिए तो दोस्त होंगे पर अन्दर-अन्दर दुश्मनी रखेंगे। पूछा गया कि यह कैसे होगा? तो मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा कि उनके आपसी व्यवहार में कुछ निहित उद्देश्य होंगे और वे एक दूसरे से भय भी खाएँगे।

(हदीस : मुस्नद अहमद)

(321) उमर इब्ने-ख़त्ताब *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

मुझे अपने लोगों के बारे में डर है कि (कहीं उनके अन्दर निफ़ाक़ पैदा न हो जाए और निफ़ाक़ का लक्षण यह है कि) हर कपटी (मुनाफ़िक़) बात तो करता है बुद्धिमानी की और काम अवैध करता है।

(हदीस : बैहक़ी)

(322) अब्दुल्लाह इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

किसी व्यक्ति में चार चीज़ों की उपस्थिति उसे पूर्ण कपटी बनाती है। यदि किसी में उसमें से एक चीज़ हो तो उसके पास कपट का केवल एक भाग है जब तक कि वह इससे छुटकारा न पा ले। ये चार चीज़ें हैं— उसे कोई काम बताया जाए तो वह धोखा देगा, जब बोलेगा तो झूठ बोलेगा, जब वचन देगा तो उसे तोड़ेगा और जब बहस करेगा तो बेइज़्ज़त करेगा। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(323) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

ज़ो अल्लाह की राह में बिना संघर्ष किए मरेगा या इस एहसास के साथ मरेगा कि यह इसका कर्तव्य न था तो वह कपटाचार के अपराधी की हैसयित से मरेगा। (हदीस : मुस्लिम)

(324) अम्मार इब्ने-यासिर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो इस दुनिया में दो मुँहा होगा, अलग-अलग लोगों से अलग-अलग तरीक़े से बात करेगा, हश्र के दिन उसके मुँह में आग की दो ज़बानें होंगी। (हदीस : अबू-दाऊद)

(325) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

हश्र के दिन सबसे घटिया व्यक्ति वह होगा जो किसी एक के पास एक चेहरा और दूसरे के पास दूसरा चेहरा लेकर जाता है। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

कंजूसी (Miserliness)

(326) अबू-सईद ख़ुदरी *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

किसी ईमानवाले में दो चीज़ें एक साथ कभी नहीं होतीं— एक कंजूसी दूसरा बुरा आचरण। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(327) असमा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

गिनो मत, (भले कामों में) ख़र्च करो अन्यथा अल्लाह तुम्हारे ख़िलाफ़ गिनती शुरू कर देगा। धन को रोककर मत रखो अन्यथा अल्लाह तुम्हारे पास से रोक लेगा। अतः जितना अधिक ख़र्च कर सकते हो करो। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(328) जाबिर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

किसी के साथ अन्याय मत करो अन्यथा हश्र के दिन कई गुना कालिमा होगी। स्वयं को कंजूसी से बचाओ क्योंकि तुमसे पहले के लोग इससे बरबाद हुए हैं। इसने हत्या के लिए प्रेरित किया और अवैध काम को वैध मनवाया। (हदीस : मुस्लिम)

घमण्ड (Pride)

(329) हारिस इब्ने-वह्हाब *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

तुम्हें मालूम है जहन्नम में जानेवाले कौन लोग हैं? हर अश्लील, असभ्य और घमण्डी आदमी। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(330) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

वह्य के ज़रीए से अल्लाह ने मुझसे कहा कि गौरव मेरी चादर है और महानता मेरे कपड़े। जो भी मुझसे इन दोनों को छीनता है, मैं उसे जहन्नम में डालूँगा। (हदीस : मुस्लिम)

(331) इब्ने-मसऊद से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जिसके दिल में कण भर भी घमण्ड है, जन्नत में नहीं जाएगा। एक व्यक्ति ने पूछा कि यदि कोई अच्छे कपड़े और जूते पहनता है तब? मुहम्मद *(सल्ल.)* ने जवाब दिया कि अल्लाह सुन्दर है और सुन्दरता को पसन्द करता है। घमण्ड का अर्थ है अपने मिथ्या अहंकार के कारण सत्य को झुठलाना और दूसरों को नीचा दिखाना। (हदीस : मुस्लिम)

(332) उमर इब्ने-ख़त्ताब *(रज़ि.)* ने अपने ख़ुतबे में कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* को कहते सुना—

ऐ लोगो, आपस में एक दूसरे के लिए शालीन रहो। जो भी शालीन है उसे अल्लाह ऊँचा उठाएगा। क्योंकि जो ख़ुद को छोटा समझेगा वह लोगों की नज़र में ऊँचा होगा। परन्तु घमण्डी व्यक्ति को अल्लाह नीचा दिखाएगा क्योंकि वह स्वयं को सबसे ऊँचा समझ रहा है जबकि लोग उसे नीचा समझ रहे हैं। अतः वह उनकी नज़र में कुत्ते अथवा सूअर से भी कम दर्जे का है।

(हदीस : बैहक़ी)

चापलूसी (Flattery)

(333) मिक़दाद इब्ने-असवद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* को कहते सुना—

जब भी किसी को चापलूसी करते देखो उसके मुँह पर मिट्टी फेंको। (हदीस : मुस्लिम)

इसका अर्थ है कि हम उसे ऐसा करने से तुरन्त रोकें।

(334) अबू-बरकह *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* के सामने एक व्यक्ति ने किसी की तारीफ़ की तो आप *(सल्ल.)* ने तीन बार कहा—

बुरा हो तेरा! तूने अपने भाई को (उसके मुँह पर प्रशंसा करके) हलाक कर दिया। यदि किसी की प्रशंसा करना (उसकी मौजूदगी में) तुम्हारे लिए आवश्यक ही हो तो बस उसे यह कहना चाहिए। कि मैं उसे ऐसा और ऐसा समझता हूँ। यदि तुम उसे ऐसा समझते हो। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ और श्रेष्ठता

(Social Obligations and Excellence)

भाईचारा

(335) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि॰)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल॰)* ने कहा—

क़सम है उसकी जिसके हाथों में मेरी जान है, जो व्यक्ति दूसरों के लिए वही इच्छा नहीं रखता जो अपने लिए रखता है, वह ईमानवाला नहीं है। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(336) नोमान इब्ने-बशीर से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल॰)* ने कहा—

ईमानवाले अपनी आपस की मुहब्बत, दयालुता, करुणा, आदि में एक शरीर जैसे होते हैं। जब किसी अंग को तकलीफ़ होती है तो शेष भाग हमदर्दी में सतर्क और क्रियाशील हो जाते हैं।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(337) बर्रा इब्ने-आज़िब *(रज़ि॰)* ने बताया कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल॰)* ने हमें हुक्म दिया कि ये सात चीज़ें करो—

बीमार की मिज़ाजपुर्सी, मय्यत में शिरकत, छींकनेवाले के लिए दुआ, कमज़ोर की मदद, मज़लूम की मदद, सभी का

अम्न-सलामती से स्वागत (सलाम करना), अपना वादा पूरा करना। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(338) आइशा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

अपने भाई से तीन दिन से ज़्यादा समय तक नाराज़ रहने की आज्ञा नहीं है कि जब भी वे दोनों मिलें रास्ता बदल कर चले जाएँ। इनमें से श्रेष्ठ वह है जो दूसरे को पहले सलाम करे। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(339) इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* एक बार मस्जिद के मिंबर पर चढ़े और ज़ोर की आवाज़ में कहा—

ऐ लोगो! तुम सब ज़बान से इस्लाम क़बूल कर चुके हो परन्तु सच्चे दिल से नहीं। ईमानवालों को ग़लत न कहो, न उनका मज़ाक़ उड़ाओ और न उनके भेद खोलो। क्योंकि अल्लाह उसके भेद खोलेगा जो अपने मुस्लिम भाई का भेद खोलता है और जिसका भी भेद खुला तो अल्लाह उसे सबके सामने अपमानित करेगा चाहे वह अपने घर के अन्दर ही क्यों न बैठा हो। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(340) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

ईमानवाले एक दूसरे के लिए आईना होते हैं। ईमानवाले भाई ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को नुक़सान से बचाते हैं और एक दूसरे की ग़ैरहाज़िरी में रक्षा करते हैं। (हदीस : अबू दाऊद)

(341) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम का भाई है। वह उसे न धोखा दे, न झूठ बोले, न उसे निराश करे। एक मुस्लिम की सम्पत्ति दूसरे मुस्लिम के लिए मना है। सत्यमार्ग पर चलना दिलों का समर्पण

है। क़िसी व्यक्ति के लिए यह गुनाह है कि वह अपने मुस्लिम भाई को उपेक्षित दृष्टि से देखे। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(342) जाबिर इब्ने-अब्दुल्लाह *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

उसके लिए अल्लाह के पास कोई दया नहीं है जो अपने भाइयों के साथ दया नहीं करता। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(343) अबू-दरदा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

क्या मैं तुम्हें बताऊँ कि नमाज़ और रोज़े से बढ़कर क्या चीज़ है? दो लोगों के विवाद सुलझाकर उनके बीच अम्न क़ायम करना। क्योंकि विवाद दोनों के लिए हानिकारक है।

(हदीस : अबू-दाऊद, तिर्मिज़ी)

ज़रूरतमन्द की मदद करना

(344) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

अपने भाई की मदद करो चाहे वह ज़ालिम हो या मज़लूम। एक व्यक्ति ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* हम मज़लूम की मदद तो कर सकते हैं परन्तु ज़ालिम की मदद कैसे कर सकते हैं? मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा कि उसे ज़ुल्म से रोक कर। यह तुम्हारी मदद है उसके लिए। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(345) इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

एक मुस्लिम दूसरे मुस्लिम का भाई है। उसके साथ ग़लत मत करो और न ही उसे दुश्मन को सौंपो। जो मुस्लिम भाई की ज़रूरत पूरी करता है अल्लाह उसकी ज़रूरत पूरी करेगा। यदि कोई मुस्लिम अपने भाई की मुसीबत दूर करता है तो हश्र के दिन अल्लाह उसकी मुसीबत दूर करेगा। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(346) सफ़्वान इब्ने-सलीम *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो किसी विधवा के कामों में मदद करता है और ग़रीब की मदद करता है वह अल्लाह की राह में लड़नेवाले सिपाही जैसा है, या उसके जैसा है जो दिन में रोज़े रखे और रात में इबादत करे।

(हदीस : बुख़ारी)

(347) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

कोई व्यक्ति किसी को ख़ुश करने के लिए कोई चीज़ देता है तो वह अल्लाह को ख़ुश करता है। जो अल्लाह को ख़ुश करता है उसे जन्नत में जगह मिलती है। (हदीस : बैहक़ी)

अल्लाह के लिए मुहब्बत करना

(348) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने एक व्यक्ति के बारे में बताया जो अपने भाई से मिलने गया था। अल्लाह ने उसकी राह में एक फ़रिश्ता बिठाया। फ़रिश्ते ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। उसने कहा, "मैं अपने भाई से मिलने जा रहा हूँ।" फ़रिश्ते ने पूछा, "क्या तुमने उससे कोई क़ीमती चीज़ उधार ली है?" उसने कहा, "नहीं मैं उससे सिर्फ़ अल्लाह के लिए मुहब्बत करता हूँ।" तब फ़रिश्ते ने कहा, "मैं अल्लाह का फ़रिश्ता हूँ जो तुम्हें यह बताने आया हूँ कि जैसा तुम अपने भाई से मुहब्बत करते हो वैसे ही अल्लाह भी तुमसे मुहब्बत करता है।" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(349) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जब अल्लाह किसी से मुहब्बत करता है तो जिबरील *(अलै.)* को बुलाकर कहता है, मैं फुलाँ-फुलाँ से मुहब्बत करता हूँ। तब

जिबरील *(अलै.)* भी उनसे मुहब्बत करते हैं और जन्नत में एलान करते हैं कि अल्लाह फुलाँ से मुहब्बत करता है। अतः तुम भी करो। जन्नतवाले तब उससे मुहब्बत करते हैं फिर उसकी मुहब्बत धरती पर भेज दी जाती है। परन्तु जब अल्लाह किसी से नफ़रत करता है तो जिबरील *(अलै.)* को बुलाकर कहता है कि मैं फुलाँ-फुलाँ से नफ़रत करता हूँ, तुम भी करो। जिबरील *(अलै.)* भी उससे नफ़रत करते हैं और एलान करते हैं कि अल्लाह फुलाँ-फुलाँ से नफ़रत करता है, तो तुम भी करो। जन्नत के निवासी भी उससे नफ़रत करते हैं फिर यह नफ़रत धरती पर भेज दी जाती है।

(हदीस : मुस्लिम)

(350) मुआज़ इब्ने-जबल *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

अल्लाह कहता है कि मेरे लिए यह ज़रूरी हो जाता है कि मैं उन लोगों से मुहब्बत करूँ जो मेरे लिए एक दूसरे से मुहब्बत करते हैं, मेरे लिए एक दूसरे से मिलते हैं और मेरे लिए एक दूसरे पर ख़र्च करते हैं।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(351) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जिनके पास भी ये तीन चीज़ें हैं उनके ज़रीए से ईमान की मिठास महसूस करो— पहला, किसी भी अन्य से अधिक अल्लाह और उसके पैग़म्बर से प्रेम। दूसरा, वह किसी को सिर्फ़ अल्लाह के लिए प्रेम करें और तीसरा, वह ईमान से वापस अज्ञान की ओर जाने से घृणा करे जैसा कि वह जहन्नम की आग से घृणा करता है।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(अज्ञान की ओर वापस जाने का अर्थ इस्लाम को छोड़ना नहीं है। यह तो किसी मुस्लिम से आशा ही नहीं की जाती। यह हदीस

हमें यह शिक्षा देती है कि हम स्वयं को किसी भी पाप कर्म से बचाएँ तथा इस्लाम की सीमाओं में रहने का प्रयत्न करें।)

(352) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि एक देहाती ने अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* से पूछा कि इनसाफ़ का दिन कब आएगा? मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा—

तुमने उसके लिए क्या तैयारी की है? उसने कहा कि मैंने उस दिन के लिए बहुत इबादतें नहीं की हैं और न ही अधिक दान-पुण्य किया है। हाँ मैं अल्लाह से बहुत मुहब्बत करता हूँ। मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा कि हश्र के दिन तुम उन ही लोगों के साथ रहोगे जिन्हें तुम मुहब्बत करते हो।(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

सदक़ा (दान) और उसकी फ़ज़ीलत

(353) अनस इब्ने-मालिक से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

निश्चय ही सदक़ा अल्लाह के क्रोध को शान्त करता है तथा मौत की तकलीफ़ को कम करता है। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(354) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

हश्र के दिन अल्लाह सात प्रकार के लोगों को अपनी छत्रछाया में रखेगा जबकि इसके अलावा वहाँ कोई छाया नहीं होगी। एक न्यायी शासक, ऐसे जवान लोग जो ख़ुद को अल्लाह की इबादत में लगाए हुए हैं, वह जिसका दिल हमेशा मस्जिद में लगा रहता है, वे दो लोग जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मुहब्बत रखें, वह जिसे एक आकर्षक सुन्दरी अपनी ओर बुलाए और वह कह दे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, वह जो इतने गुप्त रूप से दान करे कि दाहिने हाथ ने क्या दिया बाएँ हाथ को भी पता न चले और जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और रोए।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(355) इब्ने-अब्बास *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

कोई मुस्लिम जब अपने मुस्लिम भाई को कपड़े पहनने के लिए देता है, वह अल्लाह की सुरक्षा में तब तक रहेगा जक तक कि उस कपड़े का एक टुकड़ा भी शरीर पर हो।

(हदीस : मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी)

(356) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

यदि कोई व्यक्ति अपनी हलाल कमाई में से चाहे एक खजूर के बराबर ही दान करे (क्योंकि अल्लाह केवल हलाल कमाई ही स्वीकार करता है) तो अल्लाह उसको अपने दाहिने हाथ से लेगा और ऐसे रखेगा जैसे कोई ऊँट के बच्चे को पालता है, इस तरह उसका दान बढ़ता जाता है और पहाड़ जैसा हो जाता है।

(हदीस : बुख़ारी)

सदक़े (दान) का महत्व और प्रकार

(357) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

मैंने जन्नत में उस आदमी को टहलते देखा है जिसने एक पेड़ को काटा था जिसकी शाख़ें सड़क पर फैलकर लोगों को परेशान करती थीं। इस नेकी का इनाम जन्नत था। (हदीस : मुस्लिम)

(358) जाबिर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

दया का हर काम दान (सदक़ा) है। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(359) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

सबसे अच्छा सदक़ा यह है कि कोई मुस्लिम ज्ञान प्राप्त करे और उसको मुस्लिमों में प्रचारित करे। (हदीस : इब्ने-माजा)

(360) अबू-मूसा अशअरी *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

सदक़ा मुस्लिम पर लाज़िमी है। पूछा गया कि किसी के पास देने के लिए कुछ भी न हो तो वह कैसे दे? तो मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा कि अपने हाथों से अपने लाभ के लिए कुछ काम करे फिर उसमें से कुछ दान करे। यदि वह काम नहीं कर सकता तो ज़रूरतमंदों की मदद करे। यदि वह यह भी न कर सके तो दूसरों को अच्छाई की दावत दे। यदि वह यह भी न कर सके तो कम से कम गुनाहों से ख़ुद को अलग रखे। यह भी सदक़ा है।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(361) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

हर व्यक्ति को हर दिन सदक़ा देना चाहिए। दो झगड़नेवालों के बीच सुलह कराना सदक़ा है, किसी व्यक्ति का सामान ऊँट पर लादने में मदद करना तथा उसे ऊँट पर बैठने में मदद करना भी सदक़ा है, अच्छा काम और अच्छी बात करना भी सदक़ा है, मस्जिद की तरफ़ बढ़ा हुआ हर क़दम सदक़ा है और सड़क पर पड़ा पत्थर उठाना भी सदक़ा है। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(362) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

यदि कोई व्यक्ति पेड़ लगाता है या बीज बोता है जिसके फल-पत्ती परिंदे और जानवर खाते हैं, यह भी सदक़ा है।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(363) इब्ने-मसऊद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने पूछा—

तुममें से कौन अपने वंशज की सम्पत्ति को अपनी सम्पत्ति से ज़्यादा चाहते हैं? उन्हें बताया गया कि कोई नहीं है। तब मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा कि तुम्हारी सम्पत्ति और धन वह है जो कि तुमने (दान/सदक़ा देकर) आगे भेजा और जो तुम्हारे पास बचा वह तुम्हारे वंशज का है। (हदीस : बुख़ारी)

(364) आइशा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि एक बार अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने एक बकरा ज़िब्ह किया और उसके अधिकांश गोश्त को बाँट दिया, फिर मुहम्मद *(सल्ल.)* ने पूछा कि क्या कुछ बचा? आइशा *(रज़ि.)* ने जवाब दिया कि एक टाँग के सिवा कुछ नहीं बचा। मुहम्मद *(सल्ल.)* ने फिर कहा कि टाँग को छोड़कर सब सुरक्षित है।

(365) आइशा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि एक व्यक्ति ने अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* को बताया कि उसकी माँ की अचानक मृत्यु हो गई है। मुझे यक़ीन है यदि वे जीवित होतीं तो कुछ सदक़ा अवश्य देतीं; यदि उनकी ओर से मैं कुछ दान करूँ तो क्या उन्हें उसका बदला मिलेगा? मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा कि हाँ तुम उनकी ओर से कुछ दान कर सकते हो। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

साम्प्रदायिकता या फ़िरक़ापरस्ती (Sectarianism)

(366) ज़ुबैर इब्ने-मुतइम से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

फ़िरक़ापरस्ती के लिए जो दूसरों को दावत दे वह हममें से नहीं, जो साम्प्रदायिकता के लिए लड़े वह हममें से नहीं और जो फ़िरक़ापरस्ती के लिए अपनी जान गँवाए वह हममें से नहीं है। (हदीस : अबू-दाऊद)

(367) वतीला इब्ने-अस्क़ा ने एक बार अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* से पूछा कि फ़िरक़ापरस्ती क्या है? तो मुहम्मद *(सल्ल.)* ने जवाब दिया कि अपने लोगों को ग़लत काम के लिए उकसाना।

(हदीस : अबू-दाऊद)

शंका और जासूसी

(368) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

शंका से सावधान रहो क्योंकि शंका सबसे बड़ी गुमराही है। किसी की ग़लतियाँ मत ढूँढो, न जासूसी करो, न किसी से जलन रखो, ग़लत इच्छाओं का समर्थन मत करो, उदासीन मत रहो और अल्लाह के अच्छे बन्दे बनकर रहो, आपस में भाईचारा रखो जैसा कि तुम्हें आदेश है। (हदीस : मुस्लिम)

(369) मुआविया *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* को कहते सुना—

यदि आप मुस्लिमों की ग़लतियाँ ढूँढते रहोगे तो तुम उन्हें बिगाड़ दोगे। (हदीस : अबू-दाऊद)

रिश्तों को तोड़ना

(370) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

ईमानवाले को यह इजाज़त नहीं है कि वह किसी ईमानवाले से तीन दिन से अधिक तक दूरी रखे। इस अवधि के बीतते ही वह जाए और सलाम करे। यदि वह जवाब दे तो दोनों को समझौते का सवाब मिलेगा। यदि जवाब नहीं देता है तो वह पाप का भागी होगा और तुम अलगाव की ज़िम्मेदारी से बच जाओगे।

(हदीस : अबू-दाऊद)

शासकों के बारे में

(371) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

अपने शासक की सुनो और उसका आदेश मानो चाहे वह नीग्रो ही क्यों न हो जिसका सिर किशमिश के जैसा दिखता हो।

(हदीस : बुख़ारी)

(मुहम्मद *(सल्ल.)* ने अपने अन्तिम ख़ुतबे में यह स्पष्ट कहा था कि न गोरे से काला और न अजमी (अरब से बाहर के लोग) से अरबी बड़ा है। जो ज़्यादा तक़वेवाला (ईशपरायण) है वही इस्लाम में ज़्यादा इज़्ज़तवाला है। क़ुरआन कहता है—

अल्लाह को तुममें से वही सबसे प्यारा है जिसमें सबसे ज़्यादा तक़वा (ईशपरायणता) है। (क़ुरआन : 49:13)

(372) इब्ने-अब्बास *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

यदि कोई व्यक्ति मुस्लिम शासक को ग़लत काम करते देखता है जो उसे नापसन्द है, तो धैर्य रखे, क्योंकि थोड़े समय के लिए ही सही, जो भी स्वयं को मुस्लिम समाज से अलग करता है और मरता है, तो वह ऐसे मरेगा जैसे कि जाहिलियत के समय मरते थे। (हदीस : बुखारी)

(373) इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

मुस्लिम अपने शासक की सुने और आज्ञा माने चाहे वह उसे पसंद हो या नहीं, जब तक कि शासक अल्लाह की अवमानना न करे, ऐसी स्थिति में न वह उसकी सुने और न माने।

(हदीस : बुख़ारी-मुस्लिम)

(374) अब्दुर्रहमान इब्ने-समूर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

शासक से उसकी अवस्था के बारे में मत पूछो क्योंकि तुम्हारे पूछने के बाद तुमको कोई ज़िम्मेदारी दे दी गई तो उस ज़िम्मेदारी को उठाना पड़ेगा, जबकि तुम्हारे पूछे बिना यदि कोई ज़िम्मेदारी दी गई तो उसे पूरा करने के लिए तुम्हें शासक से ही मदद मिलेगी।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(375) इब्ने-यासिर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जिस किसी को मुसलमानों के मामलों का ज़िम्मेदार बनाया जाए और वह बेईमानीपूर्ण व्यवहार करते हुए मर जाता है तो उसे अल्लाह जन्नत से वंचित रखेगा।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

अल्लाह की राह में संघर्ष

भलाई का आदेश देना और बुराई से रोकना

(376) अबू-सईद ख़ुदरी *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

> यदि कोई व्यक्ति कोई बुराई देखे तो अपने हाथों से उसे बदल दे। यदि न बदल सके तो उसके ख़िलाफ़ बोले, यदि यह भी न कर सके तो दिल से उसे बुरा कहे, यह उसका सबसे हलके दर्जे का ईमान होगा। (हदीस : मुस्लिम)

(377) तारिक़ इब्ने-शिहाब *(रज़ि.)* से रिवायत हैं कि एक व्यक्ति ने अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* से पूछा कि अल्लाह की राह में संघर्ष का सर्वोच्च रूप कौन सा है? मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा, "निरंकुश शासक के सामने सत्य बोलना।" (हदीस : नसई)

(378) अब्दुल्लाह इब्ने-मसऊद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

> बनी-इसराईल में पहली कमज़ोरी इस तरह आई कि उनमें से एक व्यक्ति किसी अन्य से मिलता और कहता कि अल्लाह से डरो और जो ग़लती कर रहे हो उससे रुक जाओ। दूसरे दिन जब उससे फिर मिलता तो कोई फ़र्क़ नहीं पाता और इस बात का उसके साथ खाने, पीने और दोस्ती में कोई असर नहीं पड़ता।

जब वे इस स्थिति में आए तो उनके लम्बे साथ के कारण दिल पूरी तरह से बिगड़ चुके थे। मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा, "अल्लाह की क़सम! तुम भलाई का आदेश दो और बुराई से रोको, ग़लत काम करनेवाले के हाथ को रोको और ज़ोर डालो कि वह सही काम करे और सत्य पर मज़बूती से जमे रहो अन्यथा अल्लाह तुम्हारे दिलों को बदल देगा और श्राप देगा जैसा कि उन्हें दिया।

(हदीस : अबू-दाऊद)

(379) अबू-बक्र सिद्दीक़ *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जब लोग ग़लत काम करते हुए किसी को देखें और उसको रोकने के लिए उसका हाथ न पकड़ें, तो बिल्कुल सम्भव है कि अल्लाह इन दोनों को अपनी सज़ा से तकलीफ़ में डाले।

(हदीस : अबू-दाऊद, नसई, तिर्मिज़ी)

(380) हुज़ैफ़ा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

क़सम है उसकी जिसके हाथों में मेरी जान है, तुम अच्छी बातों के आदेश देते रहो और बुराई से रोकते रहो, अन्यथा अल्लाह निश्चय ही तुम्हें अपनी सज़ा से पीड़ा पहुँचाएगा। यहाँ तक कि तुम्हारी दुआएँ भी नहीं सुनेगा। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(381) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो दूसरों को अल्लाह की हिदायतों के लिए बुलाता है उसे भी इनाम वैसा ही मिलेगा जैसा कि पालन करनेवाले को।

(हदीस : तिर्मिज़ी)

(382) इब्ने-मसऊद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

अल्लाह उसके कामों में बरकत दे जो मुझसे कुछ सुनता है और उसे दूसरों तक पहुँचाता है क्योंकि कभी-कभी सुननेवाला व्यक्ति इस बात को मुझसे सुननेवाले से भी अच्छी तरह याद रखता है।
(हदीस : तिर्मिज़ी)

भलाई का आदेश देने और बुराइ से रोकनेवाले को चेतावनी

(383) उसामा इब्ने-ज़ैद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

हश्र के दिन एक व्यक्ति दोज़ख में फेंक दिया जाएगा, उसकी आँतें बाहर आ जाएँगी और वह जहन्नम में गधे की तरह घूमता फिरेगा। जहन्नम के लोग उसके आसपास इकट्ठा होकर पूछेंगे कि क्या हुआ तुम तो हमें अच्छाइयों की हिदायत देते थे और बुराइयों से रोकते थे? वह कहेगा कि मैं आप सबको हिदायतें ज़रूर देता था कि भले काम करो और बुराई से बचो पर मैं ख़ुद उस पर अमल नहीं करता था। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

जिहादः अल्लाह के लिए संघर्ष

(384) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

अल्लाह की राह में जिहाद करनेवाला ऐसा है जो दिन में रोज़े रखता हो, रातें इबादत में गुज़ारता हो और क़ुरआन की आयतों को चाव एवं सावधानी से पढ़ता हो। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(385) ज़ैद इब्ने-इहालिद से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो किसी मुजाहिद को साधन सम्पन्न करता है और जो मुजाहिद के परिवार की उसकी ग़ैरहाज़िरी में देखभाल करता है वह भी जिहाद में शरीक माना जाएगा। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(386) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा–

कुफ़्र के विरुद्ध अपनी सम्पत्ति और अपने आदमियों तथा अपनी ज़बान से संघर्ष करो। (हदीस : अबू-दाऊद)

(387) सलमान *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा–

सीमा पर रात दिन चौकसी करना एक माह के रोज़े और रातों में नफ़्ल नमाज़ पढ़ने से बेहतर है। यदि कोई चौकसी के दैरान मरता है तो वह जो काम कर रहा था वह और उसका उद्देश्य हमेशा चलते रहेंगे और वह क़ब्र के अज़ाब से महफ़ूज़ रहेगा।
(हदीस : मुस्लिम)

(388) अब्दुल्लाह इब्ने-जाबिर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा–

पैग़म्बर जन्नत में हैं, शहीद जन्नत में हैं, मासूम बच्चे जन्नत में हैं और जिन बच्चों को ज़िन्दा दफ़नाया गया वे जन्नत में हैं।
(हदीस : अबू-दाऊद)

(389) इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने (युद्ध में) औरतों और बच्चों की हत्या से मना किया है।
(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

यह याद रखना चाहिए कि अकेले व्यक्ति को, चाहे वह इस्लाम के लिए ही क्यों न हो, युद्ध नहीं करना है। जो इस्लामिक राज्य का शासक हो या जिसे मुस्लिम उम्मत के नेतृत्व का काम सौंपा गया हो वह ही युद्ध की घोषणा कर सकता है। अकेले व्यक्ति

को आदेश यह है कि वह जीवन भर अपनी ज़बान तथा अपनी सम्पत्ति के साथ इस्लाम के प्रचार-प्रसार हेतु संघर्ष करे।

(390) इब्ने-अब्बास *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

उन दो आँखों को जहन्नम की आग नहीं छू पाएगी जो अल्लाह की याद में आँसू बहाती हों और जो उसकी राह में रातों में चौकसी करती हों। (हदीस : नसई, तिर्मिज़ी)

(391) अबू-यह्या ख़ुरैम *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो अल्लाह की राह में ख़र्च करता है उसका इनाम सात सौ गुना होगा। (हदीस : नसई, तिर्मिज़ी)

(392) उम्मे-अतिया *(रज़ि.)* से रिवायत है कि वे अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* के साथ सात अभियानों में गईं और रुककर सामान की देखभाल, उनके लिए भोजन तैयार करने, ज़ख़्मी और बीमारों की तीमारदारी करने का काम किया। (हदीस : मुस्लिम)

अवांछित एवं प्रतिबन्धित कार्य

भीख माँगना

(393) इब्ने-मसऊद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो भूखा हो और किसी व्यक्ति से भीख माँग रहा हो उसे राहत नहीं मिलेगी, परन्तु जो अल्लाह से राहत माँग रहा हो उसे अल्लाह ज़रूर राहत देगा। (हदीस : तिर्मिज़ी, अबू-दाऊद)

(394) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

वह जो दूसरों से माँगने की आदत डाल चुका है उसने अपने लिए जहन्नम का सामान कर लिया। अतः वह उस काम को जारी रखे या रुक जाए जैसा चाहे करे। (हदीस : मुस्लिम)

वादा खिलाफ़ी (वचन भंग)

(395) इब्ने-मसऊद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

हश्र के दिन उस आदमी के पास एक झंडा होगा जिसने वादा खिलाफ़ी की होगी, जिसे देखकर लोग कहेंगे वह रहा झंडा जो बता रहा है कि अमुक-अमुक व्यक्ति ने वादा खिलाफ़ी की।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(396) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

अल्लाह कहता है, 'हश्र के दिन तीन क़िस्म के लोग होंगे जिनका मैं दुश्मन रहूँगा— प्रथम वह जो मेरे नाम से वचन देता है और तोड़ देता है, दूसरा वह जो स्वतंत्र व्यक्ति को ग़ुलाम की तरह बेचता है और तीसरा वह जो किसी को मज़दूरी पर लगाता है, पूरा काम लेता है और मज़दूरी नहीं देता। (हदीस : बुख़ारी)

(397) अब्दुल्लाह इब्ने-आमिर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि उनकी माँ ने उन्हें एक बार बुलाया। अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* उनके घर बैठे थे। माँ ने कहा इधर आओ मैं तुम्हें एक चीज़ दूँगी। मुहम्मद *(सल्ल.)* ने पूछा कि वे क्या देनेवाली हैं? माँ ने बताया कि वे कुछ खजूर देंगी। मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा कि अगर तुम उन्हें कुछ नहीं देतीं तो तुम्हारे नाम एक झूठ दर्ज हो जाता। (हदीस : अबू-दाऊद)

निरर्थक (फ़ालतू) बातें करना

(398) इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

बिना अल्लाह को याद किए अधिक बातें मत करो, क्योंकि अल्लाह को याद किए बिना ज़्यादा बातें करना दिलों को सख़्त करता है और अल्लाह से वह सबसे दूर है जिसका दिल सख़्त है। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(399) उक़बा इब्ने-आमिर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि उन्होंने एक बार अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* से पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल मग़फ़िरत पाने का क्या तरीक़ा है? मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा, "अपनी ज़बान पर क़ाबू रखो, अपने घर में महदूद रहो और अपने गुनाहों पर आँसू बहाओ।" (हदीस : तिर्मिज़ी)

(400) इब्ने-मसऊद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

ईमानवाला कभी ताने नहीं मारता, कोसता नहीं, डाँटता नहीं, गाली नहीं देता और असभ्यता की बातें नहीं करता।

(हदीस : तिर्मिज़ी)

मर्दों और औरतों का साथ-साथ रहना

(401) उमर इब्ने-ख़त्ताब *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा–

जब भी कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेला होता है तो वहाँ शैतान भी तीसरे के तौर पर हाज़िर रहता है। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(402) इब्ने-अब्बास *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा–

कोई भी मर्द किसी औरत से अकेले में न मिले जब तक कि वह निर्धारित मर्यादा के अन्दर रहते हुए किसी रिश्तेदार के साथ न हो। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(403) उक़्बा इब्ने-उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा–

मर्यादा की सीमा के बाहर जाकर किसी औरत से मत मिलो। एक व्यक्ति ने पूछा कि सालियों के बारे में क्या आदेश है? मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा कि वे तो घातक हैं। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(मुस्लिम को उस औरत से मिलने की इजाज़त है जिससे शादी करना मना है, उदाहरणार्थ– चाची, दादी, सास या बूढ़ी औरत। उन सब औरतों से तनहाई में मिलना मना है जिनसे शादी करना जाइज़ है।)

पराई औरत की ओर देखना

(404) जरीर इब्ने-अब्दुल्लाह *(रज़ि.)* से रिवायत है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* से पूछा कि अचानक किसी औरत से नज़र मिलने पर क्या करें? मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा कि अपनी आँखें दूसरी तरफ़ कर लो। (हदीस : मुस्लिम)

(405) बुरैदा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा कि दोबारा मत देखो क्योंकि एक बार देखने पर तुम्हें दोष नहीं दिया जाएगा परन्तु दोबारा देखने का तुम्हें अधिकार नहीं।

(हदीस : तिर्मिज़ी, अबू-दाऊद)

अतिशयोक्ति (Exaggaration)

(406) इब्ने-मसऊद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो अतिशयोक्ति करते हैं वे बरबाद हैं। आप *(सल्ल.)* ने इसे तीन बार दोहराया। (हदीस : मुस्लिम)

(407) जाबिर इब्ने-अब्दुल्लाह *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

हश्र के दिन वे लोग मेरे सबसे नज़दीक रहेंगे जिनका आचरण अच्छा है और वे लोग मुझसे बहुत दूर रहेंगे जो मुझपर आक्रामक हैं, बहुत ज़्यादा बातूनी हैं, असभ्य हैं और अलंकृत भाषा का प्रयोग करते हैं। (हदीस : तिर्मिज़ी)

अपव्ययता (फ़ुज़ूलख़र्ची)

(408) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

तीन चीज़ें अल्लाह को पसन्द हैं और तीन चीज़ें नापसन्द हैं। वह इससे ख़ुश होता है कि तुम उसकी इबादत में किसी को शरीक न करो, अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से पकड़े रहो और बिना एक दूसरे से अलग हुए एक साथ पकड़े रहो। उसे यह नापसंद है कि तुम ज़्यादा बात करो, ज़्यादा पूछ-ताछ करो और फ़ुज़ूलख़र्ची करो।

(हदीस : मुस्लिम)

दूसरों को ज़लील करना

(409) जुन्दुब इब्ने-अब्दुल्लाह *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

एक आदमी ने कहा कि अल्लाह की क़सम! वह फ़ुलाँ-फ़ुलाँ को माफ़ नहीं करेगा। तब अल्लाह ने कहा, "वह मेरे नाम की क़सम खानेवाला कौन होता है कि मैं फ़ुलाँ-फ़ुलाँ को माफ़ नहीं करूँगा। मैंने फ़ुलाँ को तो माफ़ कर दिया परन्तु उस आदमी को उसकी सारी नेकियों के इनाम से वंचित कर दिया। (हदीस : मुस्लिम)

मरनेवालों के लिए रोना

(410) इब्ने-मसऊद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो अपने मुँह पर थप्पड़ मारे, अपने कपड़े फाड़े, अपनी बद नसीबी पर आँसू बहाए, जैसा कि इस्लाम से पहले होता था, वह हममें से नहीं है। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(411) अबू-बुरैदा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अबू-मूसा *(रज़ि.)* बीमार पड़े और बेहोश हो गए। उनका सिर उनके परिवार की किसी औरत की गोद में था। वह औरत ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी। अबू-मूसा होश में आए तो उन्होंने कहा कि मैं उससे नफ़रत करता हूँ जिससे अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* नफ़रत करते थे, और आप *(सल्ल.)* उस औरत से नफ़रत करते थे जो ज़ोर-ज़ोर से रोती अपने बाल नोचती और अपने कपड़े फाड़ती थी। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(412) उम्मे-अतिया नुसाइबा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने हम लोगों से एक समझौते के तहत यह वचन लिया कि हम किसी की मौत पर नहीं रोएँगे। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

रोना (Mourning)

(413) जुनैद बिन-अबू-सलमा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि वे उम्मे-हबीबा *(रज़ि.)*, जो अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* की बीवी हैं, से मिलने गए जब उनके पिता अबू-सुफ़ियान *(रज़ि.)* की मौत हुई थी। उम्मे-हबीबा *(रज़ि.)* ने पीले रंग का इत्र मँगवाया और उसे अपनी एक साथी औरत पर मला फिर उसके दोनों गालों पर मला और कहा कि मेरी कोई ख़ाहिश नहीं है लेकिन मैंने मुहम्मद *(सल्ल.)* से ख़ुतबे में सुना है कि जो औरत अल्लाह पर और हश्र के दिन पर ईमान रखती है उसे किसी व्यक्ति की मौत पर तीन दिन से अधिक ग़म करने की इजाज़त नहीं है सिवाय उसके पति की मौत पर, जिसमें ग़म की अवधि चार माह और दस दिन है।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिभ)

चित्र और मूर्तियाँ

(414) अबू-तलहा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

रहमत के फ़रिश्ते उस घर में नहीं आते जहाँ कुत्ते और चित्र हों।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(415) इब्ने-अब्बास *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

हर एक जो सुरा बनाता है जहन्नम में जाएगा।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(सुरा का अर्थ है मूर्तियाँ। कुछ लोग इसका अर्थ पेंटिंग एवं मानव चित्र बनाने से भी लेते हैं।)

(416) इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

वे लोग जो जीवधारियों के चित्र बनाते हैं, हश्र के दिन सज़ा के हक़दार हैं और उनसे कहा जाएगा कि तुमने जो कुछ बनाया है अब उसमें जान डाल दो। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

कुत्ता पालना

(417) इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो व्यक्ति शिकार और मवेशियों की रक्षा के अलावा अन्य उद्देश्य से कुत्ता पालता है उसके खाते में से दो पहाड़ों के बराबर का सवाब प्रतिदिन कम किया जाएगा।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

झूठी क़सम खाना

(418) अबू-उमामा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

झूठी क़सम खाकर किसी मुस्लिम के अधिकार को छीननेवाले को अल्लाह आग में डालेगा और जन्नत से निकाल देगा। किसी ने पूछा कि क्या छोटी सी चीज़ के लिए भी झूठी क़सम खाने पर ऐसा होगा? मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा कि चाहे वह झाड़ियों की एक छोटी सी शाख ही क्यों न हो। (हदीस : मुस्लिम)

(अल्लाह के खिलाफ़ किए गए गुनाहों को सम्भवतः वह माफ़ भी कर दे, लेकिन किसी व्यक्ति के खिलाफ़ किए गए गुनाह के लिए अल्लाह हमें तब तक माफ़ नहीं करेगा जब तक कि सम्बन्धित व्यक्ति माफ़ न करे।)

(419) इब्ने-मसऊद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो व्यक्ति झूठी क़सम खाकर किसी मुस्लिम की सम्पत्ति अवैध रूप से हथियाने की कोशिश करे तो उसे अल्लाह के अत्यधिक गुस्से का सामना करना पड़ेगा।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

ईमान और व्यापार

(Faith & Finance)

व्यापार में ईमानदारी

(420) अब्दुल्लाह इब्ने-मसऊद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

ईमान के मुख्य कर्तव्यों के साथ यह भी मुख्य कर्तव्य है कि व्यक्ति अपनी रोज़ी ईमानदारी से कमाए। (हदीस : बैहक़ी)

(421) अबू-सईद ख़ुदरी *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

हश्र के दिन सच्चा और विश्वसनीय व्यापारी पैग़म्बरों, सत्यवादियों और शहीदों के साथ होगा। (हदीस : दरिमी, तिर्मिज़ी)

व्यापार में सही व्यवहार

(422) जाबिर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

उस पर अल्लाह की रहमत हो जो बेचने, ख़रीदने और दावा करने में दयालुता से काम लेता है। (हदीस : बुख़ारी)

(423) अबू-ज़र *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

हश्र के दिन अल्लाह तीन प्रकार के लोगों के समूहों से बात नहीं करेगा और न उनकी ओर देखेगा। उनमें से एक वह है जो अपनी वस्तुओं को झूठी क़सम खाकर बेचता है।

(हदीस : मुस्लिम)

(424) हकीम इब्ने-हिज़ाम *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

दोनों व्यापारियों को, जब तक कि वे अलग न हो जाएँ, किसी व्यापारिक समझौते को रद्द करने का अधिकार है। यदि वे दोनों सच बोलते हैं, सभी चीज़ें साफ़ कर लेते हैं तो उनके लेन-देन में बरकत होगी, परन्तु यदि कोई चीज़ छुपाते हैं और झूठ बोलते हैं तो उनके इस लेन-देन में बरकत समाप्त हो जाएगी।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(425) वातिल्लाह इब्ने-अस्क़ा (रज़ि.) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो व्यक्ति सामान में ख़राबी बिना बताए अपना सामान बेच दे उस पर अल्लाह का क़हर उतरेगा। (हदीस : इब्ने-माजा)

(426) अबू-सईद ख़ुदरी *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

यदि कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए अग्रिम पैसे देता है तो वह उस वस्तु को तब तक नहीं बेच सकता जब तक कि वह वस्तु उसे प्राप्त न हो जाए। (हदीस : अबू-दाऊद, इब्ने-माजा)

(427) अबू-सईद ख़ुदरी *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

सोने के बदले सोना, चाँदी के बदले चाँदी, गेहूँ के बदले गेहूँ, जौ के बदले जौ, खजूर के बदले खजूर और नमक के बदले नमक एक दूसरे से बराबर मूल्य पर ख़रीदना—बेचना चाहिए। जो भी अधिक माँगता है या देता है वह ब्याज लेने या देने का

अपराधी है। इसमें बेचनेवाला, लेनेवाला, देनेवाला, और ख़रीदनेवाला सब बराबर हैं।

(428) अबू-सईद ख़ुदरी *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* के लिए बिलाल *(रज़ि.)* ने कुछ अच्छे खजूर ख़रीदे। मुहम्मद *(सल्ल.)* ने पूछा कि तुमने इसे कैसे पाया? तो उन्होंने बताया कि दो हिस्से ख़राब खजूर के बदले एक हिस्सा अच्छे खजूर ख़रीदे हैं। मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा कि यह तो शुद्ध ब्याज है। यदि तुम खजूर के बदले खजूर लेना चाहते हो तो पहले अपने खजूर बेचो और उस पैसे से दूसरे खजूर ख़रीदो। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

मज़दूरी का भुगतान

(429) इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

मज़दूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मज़दूरी दे दो।

(हदीस : इब्ने-माजा)

जमाख़ोरी (Hoarding)

(430) मामर से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

वह पापी है जो क़ीमतें बढ़ने तक वस्तुओं को रोक रखता है।

(हदीस : मुस्लिम)

क़र्ज़ और उधार (Debt & Loan)

(431) अबू-मूसा अशअरी *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

सभी बड़े गुनाहों में, जिनसे बचना चाहिए, सबसे बड़ा गुनाह है कि कोई क़र्ज़दार मरे और उसे चुकाने के लिए उसने कोई सम्पत्ति न छोड़ी हो। (हदीस : दारमी)

(432) अबू-क़तादा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

हश्र के दिन यदि कोई तकलीफ़ों से बचना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह क़र्ज़दार को ज़्यादा समय दे जिसके पास पैसे की कमी हो, या एक साथ एक मुश्त कर्ज़ अदा कर दे।

(हदीस : मुस्लिम)

(433) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जब कोई किसी अन्य को क़र्ज़ दे तो उससे किसी प्रकार का तोहफ़ा न ले। (हदीस : बुख़ारी)

तोहफ़ों का लेन-देन

(434) आइशा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

आपस में तोहफ़ों का लेन-देन किया करो ताकि दिलों से बुरी भावनाएँ दूर हो सकें। (हदीस : तिर्मिज़ी)

ब्याज (Usury & Ineterest)

(435) जाबिर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने उनको श्राप दिया जो ब्याज लेते हैं और ब्याज देते हैं, जो इनकी लिखा-पढ़ी करते हैं और जो इस लिखा-पढ़ी में गवाह बनते हैं, ये सब एक जैसे ही हैं। (हदीस : मुस्लिम)

(436) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

मेराज की रात मैंने देखा कि कुछ लोगों के पेट मकान के बराबर हैं और उसमें साँप भरे हुए हैं जो बाहर से दिखाई दे रहे हैं। मैंने जिबरील *(अलै.)* से पूछा कि ये लोग कौन हैं? उन्होंने मुझे बताया कि ये वे लोग हैं जो ब्याज का धंधा करते थे।

(हदीस : मुस्नद अहमद, इब्ने-माजा)

(437) अब्दुल्लाह इब्ने-हेज़लह *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

किसी से छत्तीस बार व्यभिचार करने के बराबर गुनाह है किसी से एक दिरहम ब्याज में लेना।(हदीस : मुस्नद अहमद, दारक़ुतनी)

(438) जाबिर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

वह शरीर और गोश्त जो अवैध कमाई से बनाया और बढ़ाया गया हो स्वर्ग में नहीं जाएगा। उसके लिए जहन्नम ही उपयुक्त जगह है। (हदीस : मुस्नद अहमद, बैहक़ी, दारमी)

उत्तराधिकार, विरासत (Inheritance)

(439) उसामा इब्ने-ज़ैद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

मुस्लिम किसी काफ़िर से विरासत नहीं पा सकता और न ही कोई काफ़िर किसी मुस्लिम से। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(440) उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

मुस्लिम का यह कर्तव्य है कि जिस चीज़ का वसीयतनामा देना है उस चीज़ को बिना वसीयतनामा लिखे दो रातों के लिए अपने पास न रखे। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(441) साद इब्ने-अबी वक़्क़ास *(रज़ि.)* से रिवायत है कि जब वे बीमार पड़े और मौत के नज़दीक लगने लगे तब अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* उनसे मिलने आए। मैंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे पास बहुत सम्पत्ति

है और मेरी एक मात्र बेटी है क्या मैं पूरी सम्पत्ति दान में दे दूँ? मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा कि ऐसा न करो! मैंने कहा कि 2/3 भाग? उन्होंने फिर 'नहीं' कहा। मैंने कहा आधा भाग। उन्होंने फिर 'नहीं' कहा। मैंने कहा 1/3 भाग? तब मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा कि तुम एक तिहाई दे सकते हो पर यह भी ज़्यादा है। अपने वारिसों के लिए सम्पत्ति छोड़ना बेहतर है ताकि वे ग़रीब न रहें और भीख न माँगें। तुम अल्लाह से इनाम की आशा किए बिना कुछ भी खर्च नहीं करोगे यहाँ तक कि अपनी पत्नी के मुँह में निवाला भी नहीं डालोगे।

(हदीस : अबू-दाऊद, इब्ने-माजा)

(442) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

> अल्लाह उस व्यक्ति को हश्र के दिन उसकी जन्नत में विरासत से महरूम रखेगा जिसने अपने वारिसों को विरासत से महरूम (वंचित) रखा। (हदीस : इब्ने-माजा)

ज़िक्र और दुआ

क़ुरआन पढ़ना

(443) उस्मान इब्ने-अफ़्फ़ान *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

तुममें से बेहतरीन लोग वे हैं जो क़ुरआन सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। (हदीस : बुख़ारी)

(444) इब्ने-मसऊद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

यदि कोई क़ुरआन का एक अक्षर पढ़ता है तो उसे एक नेकी मिलती है तथा इसका दस गुना इनाम मिलता है। मैं यह नहीं कहता कि अलिफ़, लाम, मीम मिलाकर एक अक्षर है बल्कि अलिफ़, लाम, और मीम अलग-अलग अक्षर हैं।(हदीस : तिर्मिज़ी)

(445) इब्ने-अब्बास *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जिसके दिल में क़ुरआन में से कुछ भी नहीं है उसका दिल एक उजड़े मकान या खण्डहर जैसा है। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(446) बरा इब्ने-आज़िब *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

अपनी आवाज़ से क़ुरआन को सुन्दर बनाओ।

(हदीस : अबू-दाऊद, इब्ने-माजा)

(447) इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जैसे लोहे में ज़ंग लगता है वैसे ही दिलों में भी ज़ंग लगता है। पूछा गया कि इसका क्या इलाज है? मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा— हमेशा मौत को याद रखो और क़ुरआन पढ़ो।

(448) अबू-उमामा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो क़ुरआन पढ़ो। यह हश्र के दिन तुम्हारा बचाव करेगा। (हदीस : मुस्लिम)

कुछ सूरा और कुछ आयतों की बरकतें

(449) अबू-सईद ख़ुदरी *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

क़सम है उसकी जिसके हाथों में मेरी जान है, सूरा—112, इख़्लास का पढ़ना एक तिहाई क़ुरआन पढ़ने के बराबर है।

(हदीस : बैहक़ी)

(450) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

क़ुरआन में 30 आयतों की एक सूरा है जो तब तक आपका कवच बनी रहेगी जब तक कि आपको माफ़ी नहीं मिल जाती। वह सूरा—67, अल् मुल्क है।

(हदीस : अबू-दाऊद, मुस्नद अहमद, इब्ने-माजा, तिर्मिज़ी)

(451) जाबिर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* तब तक नहीं सोते थे जब तक कि वे सूरा—32, अस-सजदा और सूरा—67, अल्-मुल्क नहीं पढ़ लेते थे।

(हदीस : मुस्नद अहमद, दारिमी, तिर्मिज़ी)

(यह बताया गया है कि इशा की नमाज़ के बाद सोने से पहले सूरा 'अल्-मुल्क' पढ़नी चाहिए। एक अन्य हदीस में है कि यह सूरा आपके

शरीर को चिड़ियों के पंख की तरह ढक लेगी और आपको क़ब्र के अज़ाब से बचाएगी।)

(452) अबू-मसऊद बदरी *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा–

जो सूरा–2, अल-बक़रा की आख़री दो आयतों को रोज़ाना रात में पढ़ेगा वह उसकी हर ज़रूरत के लिए काफ़ी है।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(453) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा–

हर चीज़ का दिल होता है। क़ुरआन का दिल (सूरा–36) यासीन है। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(454) उबई इब्ने-कअब *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने एक बार पूछा कि ऐ अबुल-मुंज़िर! क्या तुम जानते हो कि क़ुरआन की कौन सी आयत सबसे महत्वपूर्ण है? मैंने कहा अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। उन्होंने अपना प्रश्न फिर दोहराया तब मैंने कहा कि अल्लाह, तेरे सिवा कोई पूज्य नहीं है तू जीवन्त और अमर है....(क़ुरआन, 2:255)। मुहम्मद *(सल्ल.)* ने मेरी छाती पर ठोका और कहा कि तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे लिए रहमत बने। (हदीस : मुस्लिम)

(455) अबू-सईद ख़ुदरी *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा–

यदि कोई जुमा के दिन (सूरा–18) कह्फ़ पढ़ता है तो उसके लिए अगले जुमे तक एक प्रकाश रहेगा। (हदीस : बैहक़ी)

मुहम्मद *(सल्ल.)* पर दुरूद पढ़ना

(456) अब्दुल्लाह इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा–

जो मुझपर एक दुरूद भेजता है अल्लाह उस पर दस दुरूद भेजता है। (हदीस : मुस्लिम)

(457) इब्ने-मसऊद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जिन्होंने मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ा वे लोग हश्र के दिन मेरे सबसे नज़दीक होंगे। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(458) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

उसको अपमान से पीड़ा पहुँचे जिसके सामने मेरा ज़िक्र हो और वह दुरूद न पढ़े। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(459) उबई इब्ने-कअब *(रज़ि.)* से रिवायत है कि उन्होंने एक बार अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* से पूछा कि अपने ज़िक्र का कितना हिस्सा मैं आपको समर्पित करूँ जिससे आप पर रहमत नाज़िल हो? मुहम्मद *(सल्ल.)* ने जवाब दिया जितना तुम कर सकते हो। मैंने कहा एक तिहाई, फिर कहा आधा, फिर कहा तीन चौथाई। मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा कि बेहतर होगा तुम और बढ़ाओ। तब मैंने कहा मैं अपना तमाम ज़िक्र आपके लिए समर्पित करता हूँ। मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा अगर तुम ऐसा करो तो अल्लाह तुम्हारी सारी फ़िक्रें और ज़रूरतें पूरी करेगा और तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ हो जाएँगे। (हदीस : तिर्मिज़ी)

ज़िक्र की रहमतें और उसका महत्व

(460) अबू-मूसा अशअरी *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो अल्लाह को याद करते हैं और जो याद नहीं करते वे जीवित और मृत के समान हैं। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(461) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

अल्लाह कहता है कि जब कोई बंदा मेरा ज़िक्र करता है और उसके होंठ हिलते हैं तो मैं अपने बन्दे के पास होता हूँ।

(हदीस : बुख़ारी)

(462) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवाय़त है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

अल्लाह कहता है कि जब मेरा बन्दा मेरे बारे में सोचता है तो मैं उसके पास होता हूँ, और जब वह मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। जब वह अपने मन में मुझे याद करता है तो मैं भी उसे अपने मन में याद करता हूँ और मेरी महफ़िल उसकी महफ़िल से बेहतर है। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(463) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जब लोगों का एक दल इकट्ठे बैठकर मेरा ज़िक्र करता है तो फ़रिश्ते उनके चारों तरफ़ रहते हैं और उस पर अम्न व सलामती बरसती है। अल्लाह की रहमत उन्हें ढक लेती है और अल्लाह अपने फ़रिश्तों से उनके बारे में बातें करता है। (हदीस : मुस्लिम)

(464) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जब तुम जन्नत के बाग़ से गुज़रो तो वहाँ रुको। पूछा गया कि जन्नत का बाग़ क्या है? मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा कि ज़िक्र की महफ़िल। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(465) इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

हर चीज़ की अपनी चमक है। अल्लाह का ज़िक्र दिलों की चमक है। अल्लाह की सज़ाओं से बचने के लिए उसके ज़िक्र से बढ़कर पक्का और यक़ीनी रास्ता कोई नहीं। (हदीस : बैहक़ी)

(466) अब्दुल्लाह इब्ने-बोस्र से रिवायत है कि—

एक व्यक्ति ने मुहम्मद *(सल्ल.)* से पूछा कि इस्लाम की शिक्षाएँ तो बहुत हैं, मुझे बताइए कि मैं किसे मज़बूती से पकड़ूँ? मुहम्मद *(सल्ल.)* ने उत्तर दिया कि तुम अपनी ज़बान को लगातार अल्लाह के ज़िक्र में लगाए रखो। (हदीस : इब्ने-माजा, तिर्मिज़ी)

(467) उम्मे-हबीबा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

आदम की औलाद जो भी कहती है उसका हर कथन उसके ख़िलाफ़ गिना जाता है उसके पक्ष में नहीं, सिवाय अच्छे कामों की सिफ़ारिश करनें, बुरे कामों से रोकने तथा अल्लाह के ज़िक्र करने के। (हदीस : इब्ने-माजा, तिर्मिज़ी)

ज़िक्र की कुछ आयतें और उसकी बरकतें

(468) इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो लोग 'ला इला-ह इल्लल्लाह' के ज़िक्र में लगे रहते हैं उन पर न तो क़ब्र में और न ही हश्र में कोई विपत्ति आएगी। मेरे सामने उसका मंज़र है कि लोग अपनी क़ब्रों से सिर से मिट्टी झाड़ते हुए उठेंगे और कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमारे सारे तनाव और डर को निकाल दिया। (हदीस : बहक़ी, तबरानी)

(469) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

'ला-हौ-ल वला कुव्व-त इल्ला बिल्लाह' इलाज है 99 बीमारियों का जिसमें सबसे छोटी है चिन्ता और उतावलापन।

(हदीस : बैहक़ी)

(470) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

यदि कोई 'ला इला-ह इल्लल्लाहु वहदहू, ला शरी-क-लह लहुल-मुल्कु व-लहुल-हम्दु वहु-व अला कुल्लि शैइन क़दीर' को रोज़ाना 100 बार पढ़ेगा, वह 100 ग़ुलामों को आज़ाद करने का सवाब पाएगा, 100 नेकियाँ उसके खाते में लिखी जाएँगी और 100 बुराइयाँ उसके खाते से कम की जाएँगी, उस दिन शाम तक वह शैतान की ख़ुराफ़ात से महफ़ूज़ रहेगा। हश्र के दिन इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ लेकर कोई नहीं उठेगा सिवाय उसके जो इससे ज़्यादा बार पढ़े। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(471) कअब इब्ने-उजरह से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

सभी फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद 'सुब्हानल्लाह' 33 बार, 'अलहम्दुलिल्लाह' 33 बार और 'अल्लाहु-अक्बर' 34 बार जो नियमित रूप से पढ़े उसे अल्लाह कभी निराश नहीं करेगा।

(हदीस : मुस्लिम)

(472) अबू-ज़र *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

दो कलिमे अल्लाह को बहुत पसंद हैं जो बोलने में बहुत आसान पर हश्र के दिन बरकतों में बहुत भारी हैं वे कलिमे हैं— 'सुब्हानल्लाहि वबिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम'।

(हदीस : बुख़ारी)

(ध्यान रखें कि इमाम बुख़ारी ने अपनी किताब 'सहीह-बुख़ारी को इसी हदीस पर ख़त्म किया है। इस कलिमे के पहले हिस्से से सम्बन्धित हदीसें भी हैं। मुस्लिम की रिवायत है कि मुहम्मद *(सल्ल.)* से पूछा गया कि कौन सा ज़िक्र सबसे बरकतवाला है? उन्होंने जवाब दिया कि वह ज़िक्र जो अल्लाह ने अपने फ़रिश्तों को पढ़ने का आदेश दिया, 'सुब्हानल्लाहि वबिहम्दिही'। मुस्लिम ने यह हदीस अबू-ज़र *(रज़ि.)* के हवाले से लिखी है।)

दुआ

(473) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

दुआ इबादत का सार है। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(474) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

अल्लाह उनसे नाराज़ रहता है जो उससे कुछ नहीं माँगते।
(हदीस : तिर्मिज़ी)

(475) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो अपनी तकलीफ़ों के समय अपनी दुआ में अल्लाह से बदला चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वे सुख के दिनों में और ज़्यादा दुआ किया करें। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(476) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

यह जान लो कि बेदिली और लापरवाही से माँगी गई दुआ का जवाब अल्लाह नहीं देता। अगर इनाम चाहते हो तो दिल से दुआ करो। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(477) जाबिर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

दिल से दुआ माँगने पर अल्लाह द्वारा माँगी गई वस्तु दी जाती है अथवा कोई बदी उससे दूर कर दी जाती है, बशर्ते कि यह दुआ पाप कर्म करने या पारिवारिक बंधन तोड़ने के लिए न की गई हो। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(478) अबू-दरदा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जब कोई मुस्लिम अपने ग़ैरहाज़िर भाई के लिए दुआ करता है तो फ़रिश्ते कहते हैं कि तुम्हें भी अल्लाह इसके बराबर बदला दे।

(हदीस : मुस्लिम)

(479) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

तीन लोगों की दुआएँ कभी ख़ाली नहीं जातीं— एक रोज़ेदार की रोज़ा खोलते वक़्त की गई दुआ, न्याय करनेवाले शासक की दुआ और एक पीड़ित व्यक्ति की दुआ। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(480) इब्ने-अब्बास *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

पाँच दुआएँ क़बूल होतीं है— मज़लूम की दुआ जब तक कि वह बदला न ले ले, यात्री की दुआ जब तक वह लौट न आए, अल्लाह की राह में युद्ध करनेवाले की दुआ जब तक युद्ध बन्द न हो, बीमार की दुआ जब तक वह ठीक न हो और मुस्लिम की दुआ जो अपने भाई के लिए उसकी ग़ैरहाज़िरी में की गई हो। इनमें सबसे जल्दी क़बूल होनेवाली मुस्लिम की दुआ है जो अपने भाई की ग़ैरहाज़िरी में की गई हो। (हदीस : बैहक़ी)

(481) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

तीन दुआएँ ज़रूर क़बूल होती हैं—पिता की दुआ उसके बच्चों के लिए, यात्रा करनेवाले की दुआ और मज़लूम की दुआ।

(हदीस : अबू-दाऊद, इब्ने-माज़ा, तिर्मिज़ी)

मृत्यु और उसके बाद

बीमारी और रोग

(482) अबू-हुरैरा *(रज़ि॰)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल॰)* ने कहा—

अल्लाह जिसके लिए अच्छा करना चाहता है तो वह व्यक्ति किसी न किसी रोग से परेशान ज़रूर होता है।(हदीस : बुखारी, मुस्लिम)

(483) जाबिर *(रज़ि॰)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल॰)* ने कहा—

जो दुनिया में रोग ग्रस्त होते हैं उन्हें हश्र के दिन इनाम मिलेगा, और वे लोग जो स्वस्थ रहे वे सोचेंगे कि काश हमारी खाल को दुनिया में कैंची से काट डाला गया होता। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(यह इनाम उनके लिए है जिन्होंने बीमारी के वक़्त सब्र से काम लिया। ईमानवाले पर आनेवाली हर मुसीबत उसके कुछ गुनाहों को ख़त्म करती है।)

मौत के लिए तैयार रहना

(484) अबू-हुरैरा *(रज़ि॰)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल॰)* ने कहा—

किसी को अपनी मौत की दुआ नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो नेक बन्दा है वह और ज़्यादा नेकी कर सकता है और जो बुरा

बन्दा है वह शायद आगे सुधर सकता है जिससे अल्लाह ख़ुश हो जाए। (हदीस : मुस्लिम)

(485) जाबिर इब्ने-अब्दुल्लाह *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने अपने इन्तिक़ाल के तीन दिन पहले कहा—

अल्लाह से बेहतरीन की उम्मीद रखे बिना किसी की मौत न हो। (हदीस : मुस्लिम)

(486) उबादा इब्ने-सामित *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो अल्लाह से मिलना पसन्द करता है उससे अल्लाह भी मिलना पसन्द करता है और जो अल्लाह से मिलना नापसन्द करता है उससे अल्लाह भी मिलना नापसन्द करता है। इस पर आइशा *(रज़ि.)* ने कहा, 'परन्तु सभी मौत को नापसन्द करते हैं।' तो मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा कि हमेशा ऐसा नहीं है, जब ईमानवाले की मौत का वक़्त आता है तो उसके पास अल्लाह की ओर से अच्छी ख़बर और रहमतें आती हैं, उस बन्दे को जो वह देखता है उससे ज़्यादा प्रिय कुछ नहीं होता। इसी कारण वह अल्लाह से मिलना चाहता है और अल्लाह उससे। परन्तु जब काफ़िर की मौत का वक़्त आता है तो उसके पास अल्लाह की ओर से बुरी ख़बर आती है और सज़ाएँ भी दिखाई जाती हैं जिससे वह जो देखता है उसे नापसंद करता है और अल्लाह के पास जाना नहीं चाहता, अल्लाह भी उससे मिलना नापसंद करता है। (हदीस : बुख़ारी)

मरनेवाले से क्या कहना है

(487) उम्मे-सलमा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जब तुम किसीं बीमार या मरते हुए आदमी से मिलो तो अच्छे शब्द कहो ताकि फ़रिश्ते आमीन कहें। (हदीस : मुस्लिम)

(488) अबू-सईद ख़ुदरी (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल॰)* ने कहा—

मरते हुए आदमी को 'ला इला-ह इल्लल्लाह' कहने में मदद करो। (हदीस : मुस्लिम)

(489) मुआज़ इब्ने-जबल *(रज़ि॰)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल॰)* ने कहा—

जिसके अंतिम शब्द 'ला इला-ह इल्लल्लाह' हों वह जन्नत में जाएगा। (हदीस : अबू-दाऊद)

(490) मलिक इब्ने-यासर *(रज़ि॰)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल॰)* ने कहा—

ज़ो मरने के क़रीब हों उन्हें सूरा यासीन सुनाओ। (हदीस : अबू-दाऊद, इब्ने-माजा)

जनाज़े की नमाज़

(491) अबू-हुरैरा *(रज़ि॰)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल॰)* ने कहा—

जो जनाज़े के साथ जाकर जनाज़े की नमाज़ पढ़ता है उसे एक क़ीरात के बराबर नेकी मिलती है। जो दफ़नाने तक हाज़िर रहता है इसे दो क़ीरात के बराबर नेकी मिलती है। किसी ने पूछा दो क़ीरात क्या है? मुहम्मद *(सल्ल॰)* ने कहा कि दो बड़े पहाड़ के जैसा। (हदीस : बुख़ारी मुस्लिम)

(492) अबू-हुरैरा *(रज़ि॰)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल॰)* ने कहा—

जब तुम किसी की नमाज़े-जनाज़ा पढ़ो तो ख़ुशू, ख़ुज़ू और तल्लीनता से पढ़ो। (हदीस : अबू-दाऊद, इब्ने-माजा)

(493) मलिक इब्ने-हुबैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

किसी मुस्लिम की मौत पर यदि तीन सफ़ में जनाज़े की नमाज़ पढ़ी जाती है तो अल्लाह उसे माफ़ी देगा और जन्नत में जगह देगा। (हदीस : अबू-दाऊद)

जो चीज़ें मरनेवाले की मदद करती हैं

(494) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जनाज़े के साथ तीन चीज़ें जाती हैं— उसके परिवार के सदस्य, उसका सामान और उसके कर्म। इनमें से दो तो वापस आ जाते हैं और उसके कर्म ही उसके साथ रह जाते हैं।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(495) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जब आदमी की मौत होती है तो सिर्फ़ तीन चीज़ें छोड़कर उसके सभी काम बन्द हो जाते हैं — सवाबे-जारिया, ऐसा ज्ञान जिससे लोग अभी भी फ़ायदा उठा रहे हैं और उसकी नेक औलादें जो उसके हक़ में दुआ करती हैं। (हदीस : मुस्लिम)

मृत व्यक्ति के लिए दुआ

(496) अब्दुल्लाह इब्ने-अब्बास *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

क़ब्र में व्यक्ति ऐसा है जैसे डूबता हुआ आदमी, जो दूसरों की मदद चाहता है और अपने माँ-बाप, भाई और दोस्तों से दुआ की तलब करता है। जब कोई उसके लिए दुआ करता है तो वह मृत

व्यक्ति के लिए सारी दुनिया और उसकी सभी चीज़ों से ज़्यादा प्रिय हो जाता है। यक़ीनन दुनिया में सम्बन्धियों द्वारा की गई दुआ की वजह से मृत व्यक्ति को बड़े-बड़े इनामों से नवाज़ा जाता है। जीवित व्यक्ति की दुआ ही मृत व्यक्ति के लिए बड़ा इनाम है जो उसे नेकियाँ और माफ़ी दिलाती है। (हदीस : बैहक़ी)

(497) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

अल्लाह अपने नेक बन्दे का जन्नत में दर्जा बढ़ाएगा तो बन्दा उससे चकित होकर पूछेगा कि मेरे कर्मों का तो पूरा हिसाब हो चुका फिर यह इनाम किस लिए? अल्लाह कहता है यह तुम्हारी औलाद की दुआ का असर है जो उन्होंने तुम्हारे लिए की।

(हदीस : मुस्नद अहमद)

क़ब्र के बारे में

(498) जाबिर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

किसी क़ब्र को पक्का मत बनाओ और उस पर इमारत (भवन) न बनाओ। (हदीस : मुस्लिम)

रोना और दुख करना

(499) इब्ने-मसऊद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो भी अपने ऊपर मुसीबत आने पर अपने चेहरे को पीटे, अपने कपड़े फाड़े, अपनी तक़दीर को कोसे जैसा कि जहालत के समय किया जाता था, वह व्यक्ति हममें से नहीं है।

(हदीस : इब्ने-माजा, तिर्मिज़ी)

(500) अब्दुल्लाह इब्ने-मसऊद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो किसी दुखी व्यक्ति को सान्त्वना देता है और उसे सुख पहुँचाने की कोशिश करता है उसे भी दुखी व्यक्ति के बराबर इनाम है। (हदीस : मुस्लिम)

क़ब्र में रूह

(501) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जब मृत व्यक्ति दफ़नाया जाता है तब मुनकर और नकीर नाम के दो फ़रिश्ते आते हैं और पूछते हैं कि तुम मुहम्मद *(सल्ल.)* के बारे में क्या सोचते हो? यदि वह ईमानवाला है तो कहता है कि वे अल्लाह के बन्दे और रसूल हैं, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं और मुहम्मद *(सल्ल.)* उसके रसूल हैं। फ़रिश्ते कहेंगे कि हमें मालूम था तुम यही कहोगे। फिर क़ब्र को बढ़ाकर प्रकाशित कर दिया जाएगा और उसे सोने का हुक्म दिया जाएगा। वह कहता है कि मैं अपने परिवार के पास जाकर यह बात बताना चाहता हूँ परन्तु उसे दूल्हे की तरह सुला दिया जाता है जब तक कि अल्लाह उसे उसकी आराम गाह (क़ब्र) से न उठाए। यदि वह मुनाफ़िक़ है तो फ़रिश्तों से कहेगा कि 'मैंने लोगों को कुछ कहते सुना है परन्तु मैं नहीं जानता। तब फ़रिश्ते कहेंगे हमें तुमसे इसी उत्तर की आशा थी। फिर उसकी क़ब्र को यहाँ तक तंग किया जाएगा कि उसकी पसलियाँ दब जाएँगी। यह सज़ा, जब तक अल्लाह उसे उठाए, जारी रहेगी।

(हदीस : तिर्मिज़ी)

(502) इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जब तुममें से कोई मरता है तो नेक बन्दे को स्वर्ग की झलक दिखाई जाती है जिसमें उसे रहना है। यह दृश्य सुबह-शाम दिखाया जाता है। जिसे जहन्नम में जाना है उसे वहाँ की झलक सुबह-शाम दिखाई जाती है और कहा जाता है कि यह वह जगह है जहाँ तुम्हें हश्र के समय भेजा जाएगा।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

शहीद

(503) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो व्यक्ति शहादत के लिए मन की तल्लीनता से दुआ करे तो उसे शहादत का दर्जा दिया जाता है चाहे वह अल्लाह की राह में मारा न जाए। (हदीस : मुस्लिम)

(504) साद इब्ने-ज़ुबैर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* को कहते सुना—

जो व्यक्ति अपने स्वयं के बचाव में, अपनी सम्पत्ति के बचाव में, अपने ईमान के बचाव में तथा अपने परिवार के बचाव में अपनी जान दे देता है वह शहीद है। (ह़दीस : अबू-दाऊद, तिर्मिज़ी)

(505) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि एक बार अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने हम लोगों से पूछा कि तुम किसे शहीद समझते हो? उन्हें जवाब दिया गया कि जिसने अल्लाह की राह में जान दे दी वह शहीद है। मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा कि तब तो मेरी उम्मत में बहुत कम शहीद होंगे। फिर उनसे पूछा गया कि फिर और कौन लोग शहीद हैं? तब मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा जो अल्लाह की राह में मारा गया है वह, जो प्लेग से मरा है वह, जो हैज़ा से मरा है वह भी और जो पानी में डूबकर मरा है वह भी शहीद है।

(हदीस : मुस्लिम)

(506) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

शहीद जब मारा जाता है तो उसे, केवल इतना कष्ट होता है जितना तुमको चींटी के काटने से होता है उससे ज़्यादा नहीं।

(हदीस : मुस्लिम)

(507) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

शहीद के सिवाय कोई जन्नत से दोबारा इस दुनिया में नहीं आना चाहता चाहे पूरी दुनिया की हर चीज़ उसके नाम कर दी जाए। शहीद यह चाहेगा कि उसे इस दुनिया में दस बार और शहीद होने के लिए भेजा जाए ताकि शहादत का दर्जा उसे बार-बार मिले। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

कुछ अन्य निर्देश

(508) इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

मुख्य दल के साथ रहो क्योंकि इससे अलग हुए तो अलग करके जहन्नम में डाले जाओगे। (हदीस : इब्ने-माजा)

(509) यह बताया गया है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

मेरी उम्मत गुमराही पर कभी एकमत नहीं होगी।

(हदीस : इब्ने माजा)

(510) मुस्तवरिद इब्ने-शद्दाद (रज़ि.) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

आख़िरत के मुक़ाबले में यह दुनिया ऐसी है जैसे तुम महासागर में उँगली डालो और उससे तुम्हारी उँगली गीली हो जाए।

(हदीस : मुस्लिम)

(511) सहल इब्ने-साद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

यदि यह दुनिया अल्लाह के निकट मच्छर के पंख जितनी भी अहम होती तो वह काफ़िर को पानी के एक घूँट की भी इजाज़त न देता। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(512) इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

इस दुनिया में अजनबी और मुसाफ़िर की तरह रहो और ख़ुद के बारे में सोचो कि तुम क़ब्र के लोगों में से हो। (हदीस : बुख़ारी)

(513) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जहन्नम के चारों तरफ़ आकर्षक चीज़ें हैं और जन्नत के चारों तरफ़ अनाकर्षक चीज़ें हैं। (हदीस : बुख़ारी)

(इसका अर्थ है कि यदि हम अपनी इच्छाओं के अधीन चलें तो हम जहन्नम में जा सकते हैं। यदि हम जन्नत में जाना चाहते हैं तो हमें कभी-कभी अप्रिय काम भी करने पड़ सकते हैं जैसे रोज़ा रखना, अल्लाह के लिए संघर्ष करना तथा दूसरों को स्वयं पर प्राथमिकता आदि।)

(514) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

ईमानवाले के लिए यह दुनिया क़ैदख़ाना है और काफ़िरों के लिए जन्नत। (हदीस : मुस्लिम)

(ईमानवाला अल्लाह द्वारा निर्धारित मर्यादा में जीवन बिताता है और जानबूझकर मर्यादा नहीं तोड़ता अर्थात वह अपनी आज़ादी छोड़ देता है और जेलख़ाने जैसा जीवन बिताता है। एक काफ़िर अपनी इच्छा के अनुसार दुनिया में जीवन का आनंद लेता है। उसका यह आनंद आख़िरत के उस आनंद के आगे बहुत छोटा और क्षणिक है जो ईमानवाले को मिलेगा।)

(515) साद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

अल्लाह उस व्यक्ति से मुहब्बत करता है जो धनवान और धार्मिक है परन्तु ख्याति और दिखावे से दूर रहता है। (हदीस : मुस्लिम)

(516) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जब भी तुम अपने से बेहतर डील-डौल चेहरे और दौलतवाले आदमी को देखो तो फिर अपने से कम डील-डौल चेहरे और कम दौलतवाले की तरफ़ भी देखो ताकि तुम अल्लाह का उसकी रहमत के लिए शुक्र कर सको। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(517) अबू-अय्यूब अंसारी *(रज़ि.)* से रिवायत है कि एक आदमी अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* के पास आया और कहा, "मुझे कोई छोटी लेकिन अच्छी सलाह दीजिए।" मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा—

जब तुम नमाज़ के लिए खड़े हो जाओ तो समझो कि जैसे तुम दुनिया को अंतिम विदाई दे रहे हो और हर एक से छुट्टी पा रहे हो। कभी वह शब्द मत कहो जिसके लिए तुमको जवाब या सफ़ाई देना पड़े और जो कुछ दूसरों के पास देखते हो उससे बेनियाज़ रहो। (हदीस : मुस्नद अहमद)

(518) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

आदमी जब बूढ़ा और कमज़ोर होता है तब भी उसकी दो चीज़ें जवान रहतीं हैं एक दौलत की इच्छा और दूसरी ज़िन्दगी की इच्छा। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(519) अम्र इब्ने-औफ़ *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

मैं तुम्हें ग़रीबी मिलने से उतना नहीं डरता जितना तुम्हें दुनियावी सामान मिलने से डरता हूँ जैसा कि तुम्हारे पूर्वजों को मिला। तुम लोग और अधिक पाने के लिए एक दसूरे से स्पर्धा करोगे और यह बात तुम्हें बरबाद कर देगी जैसे तुम्हारे पूर्वज बर्बाद हुए।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(520) अबू-ज़र (रज़ि.) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जहाँ जिस हाल में भी हो अल्लाह से डरो, हर गुनाह के बाद एक नेकी करो क्योंकि वह तुम्हारे गुनाह को धो देगी, अल्लाह के बन्दों के साथ दया और प्रेम का व्यवहार करो।

(हदीस : मुस्नद अहमद, दारिमी, तिर्मिज़ी)

(521) शद्दाद इब्ने-औस *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

तुममें से बुद्धिमान वह है जो अपनी इच्छाओं को अपने क़ाबू में रखे और आख़िरत के लिए संघर्ष करे, मूर्ख वह है जो अपनी इच्छाओं का दास रहे और सांसारिक सुख का दास रहते हुए भी अल्लाह से बेहतरीन बदला चाहे। (इब्ने-माजा, तिर्मिज़ी)

(522) अबू-ज़र ग़िफ़ारी *(रज़ि.)* ने कहा कि मेरे दोस्त अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने मुझे सात कामों को करने का आदेश दिया—

ग़रीबों से मुहब्बत रखो और उनके पास रहो, अपने से छोटों का ध्यान रखो, अपने से बड़ों (अमीरों) का नहीं, दूर रहो तब भी पारिवारिक सम्बन्धों की रक्षा करो, किसी को कोई काम के लिए मत कहो, सच बोलो चाहे कड़वा हो, अल्लाह के काम में किसी के बुरा-भला कहने से मत डरो और हमेशा 'लाहौ-ल वला क़ुव्व-त इल्ला बिल्लाह' पढ़ते रहो क्योंकि यह दुआ अल्लाह के अर्श के नीचे के ख़ज़ाने की चाबी है।

(हदीस : मुस्नद अहमद)

(523) अबू-मूसा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो व्यक्ति इस दुनिया में अपने हिस्से से प्यार करता है वह आख़िरत के अपने हिस्से को नुक़सान पहुँचाता है और जो आख़िरत के हिस्से को चाहता है वह दुनिया के हिस्से को नुक़सान पहुँचाता हैं। अतः जो ख़त्म होनेवाला है उसे छोड़कर हमेशा रहनेवाले की चाहत करो। (हदीस : मुस्नद अहमद, बैहक़ी)

(524) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जब कोई मरता है तो फ़रिश्ते पूछते हैं कि आखिरत के लिए क्या ले जा रहे हो जबकि आदम की औलाद यहाँ यह पूछती है कि मरनेवाले ने क्या छोड़ा। (हदीस : बैहक़ी)

(525) मुआविया *(रज़ि.)* से रिवायत है कि उन्होंने आइशा *(रज़ि.)* को पत्र लिखकर कहा कि उन्हें कुछ अच्छी सलाह दें जो छोटी और परिपूर्ण हो। उन्होंने पत्र लिख कर जवाब दिया कि मैंने अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* को कहते सुना है कि—

जो अल्लाह को ख़ुश करने के लिए दूसरों को नाराज़ करे उसे अल्लाह दूसरों की मदद और पक्षपात से बेनियाज़ कर देगा और अल्लाह ही उसके लिए काफ़ी होगा। जो औरों को ख़ुश करेगा परन्तु अल्लाह को नाखुश करेगा उसे अल्लाह औरों की दया पर ही छोड़ देगा। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(526) सहल इब्ने-साद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि एक व्यक्ति ने कहा—

"ऐ अल्लाह के रसूल ! मुझे ऐसा काम बताइए जिसे करने पर मैं अल्लाह और उसके लोगों की मुहब्बत पा सकूँ।" मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा, "दुनिया की चीज़ों से बेनियाज़ रहो तो अल्लाह तुमसे मुहब्बत करेगा और जो लोगों के पास है उससे निस्पृह रहो तो लोग तुम्हें चाहेंगे।" (हदीस : इब्ने-माजा, तिर्मिज़ी)

(527) काब इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि उनके वालिद ने बताया कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

भेड़ों की रेवड़ में दो भेड़िए छोड़ने पर जो नुक़्सान होगा वह किसी व्यक्ति की सम्पत्ति के लालच और अहंकार के द्वारा उसके धर्म को हुए नुक़सान से कम होगा। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(528) सहल इब्ने-साद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो मुझे अपनी ज़बान और गुप्त इंद्रियों की गारंटी देगा उसे मैं जन्नत की गारंटी देता हूँ।

(529) इब्ने-अब्बास *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

अधिकतर लोग सेहत और फ़ुर्सत (Leisure) जैसे दो क़ुदरती वरदानों को गवाँ देते हैं। (हदीस : बुख़ारी)

(530) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

असली सब्र वही है जो मुसीबत के पहले झटके में किया जाए।

(हदीस : बुख़ारी)

(531) अम्र इब्ने-मैमून *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

पाँच बातों का फ़ायदा उठाओ इससे पहले कि दूसरी पाँच बातें हो जाएँ— अपनी जवानी का इससे पहले कि बूढ़े हो जाओ, अपने स्वास्थ्य का इससे पहले कि बीमार पड़ो, अपने पैसे का इससे पहले कि ग़रीब हो जाओ, अपनी फ़ुर्सत का इससे पहले कि व्यस्त हो जाओ और अपने जीवन का इससे पहले कि मर जाओ।

(हदीस : तिर्मिज़ी)

(यह हदीस हमें याद दिलाती है कि आख़िरत के मुक़ाबले यह दुनिया तुच्छ है। यदि हम बुद्धिमान हैं तो हमें इस अवसर का लाभ उठाकर अधिक से अधिक नेकी की अच्छी फ़सल लगानी चाहिए जिसे हम मरने के बाद काटेंगे। हसन बसरी *(रह.)* कहते थे कि इस दुनिया को एक पुल समझो जिसपर से तुम्हें सिर्फ़ पार होना है उस पर कुछ बनाना नहीं है।)

(532) अबू-सईद ख़ुदरी *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

तुम लोग निश्चय ही पूर्वजों का अनुसरण करोगे, बित्ता दर बित्ता और हाथ दर हाथ, यहाँ तक कि यदि वे गिरगिट के बिल में गए थे तो तुम भी बिल में जाओगे। लोगों ने पूछा कि क्या आपका मतलब यहूदी और ईसाइयों से है? तो मुहम्मद *(सल्ल०)* ने कहा, "और कौन?" (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(533) आइशा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल०)* ने कहा—

सही तरीक़े से, तन्मयता से और संयत तरीक़े से नेकी करो और याद रखो कि तुम अल्लाह की दया से ही जन्नत में जाओगे। यह भी याद रखो कि अल्लाह को वही नेक काम सबसे ज़्यादा पसंद हैं जो नियमित और निरंतर किए जाएँ चाहे वे छोटे हीं क्यों न हों। (हदीस : बुख़ारी)

(534) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल०)* ने कहा—

जब समय सिकुड़ चुका होगा, ज्ञान वापस ले लिया जाएगा, सामाजिक झगड़े उजागर होंगे, लोगों में कंजूसी घर कर जाएगी और हज्र प्रचलित होगा। हज्र क्या होता है पूछने पर मुहम्मद *(सल्ल०)* ने कहा कि मानव वध। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(535) अब्दुल्लाह इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल०)* ने कहा—

मुस्लिम वह है जो दूसरे मुस्लिम को नुक़्सान पहुँचाने से बचता है चाहे वह अपने हाथों से हो अथवा अपनी ज़बान से। मुहाजिर वह है जो अल्लाह के द्वारा मना किए गए कार्यों को छोड़ देता है।"

(हदीस : बुख़ारी)

(536) इब्ने-अदी *(रज़ि.)* ने कहा कि वे एक बार अनस इब्ने-मालिक के पास हज्जाज के दुर्व्यव्हार की शिकायत करने गए तो उन्होंने बताया कि धैर्य रखो, क्योंकि ऐसा समय नहीं आएगा जो इस समय से बुरा हो जब

तक कि तुम अल्लाह से मिल न लो। यह मैंने अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* से सुना है। (हदीस : बुख़ारी)

(537) आइशा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

हश्र के दिन छोटे-छोटे गुनाहों का भी हिसाब होगा अतः इस बारे में सतर्क रहो कि छोटे गुनाह भी न होने पाएँ।

(हदीस : बैहक़ी, इब्ने-माजा)

(538) अनस इब्ने-मालिक से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

हश्र के दिन के लक्षणों में से ये हैं— ज्ञान का विलोप, अज्ञान की बहुतायत, व्यभिचार का प्रचलन और शराब का सेवन।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(539) हुज़ैफ़ा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

हश्र का दिन तब तक नहीं आएगा जब तक कि तुम अपने हाकिम की हत्या न करने लगो, एक दूसरे पर तलवार न उठाने लगो और सबसे बुरा यह कि अपनी सम्पत्ति की विरासत (शरीअत के प्रतिकूल) करने लगो। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(540) अदी इब्ने-हातिम *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ चाहे वह आधा खजूर ही दान करके क्यों न हो, यदि यह भी न हो सके तो मीठे बोल ही बोलो। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(541) अम्र इब्ने-शुऐब *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

प्रारंभिक लोग आत्म त्याग और निश्चय के कारण बचे रहेंगे परंतु बाद के लोग झूठी आशाओं और लालच के कारण बरबाद होंगे।

(हदीस : मुस्नद अहमद, बैहक़ी)

(542) अब्दुल्लाह इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* के पास एक आदमी आकर बोला कि मुझे बताइए सबसे बुद्धिमान और दूरअंदेश आदमी कौन है? मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा—

वह, जो अपनी मौत को हमेशा याद रखे और उसके लिए तैयार रहे। (हदीस : तबरानी)

(543) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

जो आदमी आपका साथ दे उसका शुक्रिया अदा करने में चूकने वाला आदमी वास्तव में अल्लाह का शुक्रिया अदा करने से चूक गया। (हदीस : मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी)

(544) अनस इब्ने-मालिक से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

आसानी पैदा करो, कठिन मत बनाओ, लोगों का हौसला बढ़ाओ और उनको दूर मत हटाओ। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(545) इब्ने-मसऊद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

एक समय ऐसा आएगा जब लोग अपनी सबसे बुरी दशा में होंगे। (हदीस : मुस्लिम)

(546) इब्ने-सईद ख़ुदरी *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

यह दुनिया सुन्दर और हरी-भरी है और अल्लाह ने तुम्हें अपने ख़लीफ़ा के तौर पर यह देखने के लिए यहाँ भेजा है कि तुम यहाँ कैसा व्यवहार करते हो। अतः औरत के प्रलोभन से बचो क्योंकि बनी-इसराईल की पहली परीक्षा औरत के कारण ही हुई थी।

(हदीस : मुस्लिम)

(547) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

प्रायः व्यक्ति बोलता है तो शब्दों के प्रभाव को नहीं समझता और वह जहन्नम की आग में पूर्व से पश्चिम की दूरी से भी अधिक डूबता जाता है। (हदीस : मुस्लिम)

(548) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

मेरी उम्मत में उन लोगों को छोड़कर जो गुनाह करके उसका ढिंढोरा पीटते हैं, सभी लोगों को क्षमा मिलेगी। इसका यह अर्थ है कि बन्दा रात में जो गुनाह करता है उसे दिन में बताता फिरता है जबकि अल्लाह उसे छुपाता है, और दिन में जो गुनाह करता है उसे रात में लोगों को बताता फिरता है जबकि अल्लाह उसे छुपाता है। (हदीस : मुस्लिम)

(549) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* नें कहा—

मैंने ऐसा देखा है कि लोग जहन्नम से भागने के बजाय उसकी ओर जाने की चेष्टा करते हैं और जन्नत की चाहत होने की बाजाय उसकी उपेक्षा करते हैं। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(550) साद इब्ने-अबी वक्क़ास *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

आदम की औलाद की ख़ुशी का एक हिस्सा उसमें है जो अल्लाह ने उसे दिया और दुर्भाग्य का एक हिस्सा अल्लाह की रहमतों के लिए दुआ करने से चूकने में है। दुर्भाग्य का एक हिस्सा जो कुछ अल्लाह ने दिया उसकी नाशुक्री करने में भी है।

(551) शुऐब से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

ईमानवाले के काम निराले होते हैं। क्योंकि उसके हर काम में अच्छाई होती है और यह बात ईमानवाले को छोड़कर किसी के साथ नहीं होती। क्योंकि जब उसे ख़ुशी मिलती है तो वह अल्लाह का शुक्र अदा करता है। इस तरह उसके लिए अच्छाई है

और जब उसपर मुसीबत आती है तो वह अल्लाह के सामने शर्मिन्दा होता है और सब्र करता है। इसमें भी उसके लिए अच्छाई है। (हदीस : मुस्लिम)

(552) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

यदि आप लोग मृत व्यक्ति को दफ़नाना बन्द करनेवाले नहीं होते तो मैं यक़ीनन अल्लाह से दुआ करता कि वह तुम्हें क़ब्र की यातनाएँ ज़रूर सुनाए। (हदीस : मुस्लिम)

(553) अबू-उमामा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

हश्र के दिन वे लोग अल्लाह के सामने सबसे बुरी हालत में होंगे जिन्होंने अपनी ज़िन्दगी, दूसरों की दुनियावी ज़िन्दगी सँवारने के लिए बरबाद कर दी। (हदीस : इब्ने-माजा)

मुहम्मद *(सल्ल.)* के व्यक्तित्व की एक झलक

वह्य कैसे शुरू हुई

(554) आइशा *(रज़ि)* से रिवायत है कि हारिस इब्ने-हिशाम *(रज़ि.)* ने एक बार अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* से पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल! आप पर वह्य कैसे आती है? मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा—

"कई बार यह मेरे कानों में घण्टी की आवाज़ की तरह आती है जो मेरे लिए बड़ी सख़्त होती है। फिर वह बन्द हो जाती है और जो फ़रिश्ते ने कहा वह मैं याद कर लेता हूँ। कई बार फ़रिश्ता इनसानी शक्ल में मेरे पास आता है और जो कुछ मुझे बताता है उसे मैं याद कर लेता हूँ।"

आइशा *(रज़ि.)* बताती हैं कि सर्दियों के एक दिन में नबी *(सल्ल.)* पर वह्य आई। जब वह्य का आना बन्द हुआ तो उनके माथे से पसीना टपक रहा था। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

नबी *(सल्ल.)* की शारीरिक बनावट

(555) हिन्द बिन्ते-अबी-हाला *(रज़ि.)* ने बताया कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* औसत आदमी से लम्बे क़द के थे परन्तु बहुत ऊँचे क़द के आदमी से कम थे। उनका सिर साधारण रूप से थोड़ा बड़ा था परन्तु

सुन्दर दिखता था। उनके सिर के बाल कुछ लहरदार थे और माथा चौड़ा था। भोंहें पतली और अर्धवृत्ताकार तथा अलग-अलग थीं। भौंहों के बीच एक नस थी जो ग़ुस्से के समय फूल जाती थी। नाक ऊँची और नोक पर चमक लिए हुए थी। उनकी दाढ़ी ख़ूबसूरत थी तथा दोनों आँखें गहरी काले रंग की थीं। उनका मुँह सामान्यतः चौड़ा तथा दाँत छोटे और चमकीले थे। सामने के दो दातों के बीच हल्की दरार थी। उनकी गर्दन गोलाकार, गोरी, चाँदी के जैसी आकर्षक एवं सुन्दर थी। उनके अंग औसतन मांसल और शरीर कुछ हट्टा-कट्टा था। दोनों कंधों के बीच दूरी ज़्यादा थी सीना चौड़ा था। तथा सीना और पेट बराबर थे। उनकी हड्डियों के जोड़ मज़बूत और बड़े थे। हथेलियाँ चौड़ी तथा हाथ और पैर की उंगलियाँ लम्बी और सुघड़ थीं। दोनों पैर मांसल और बराबर थे। पैर का तला कमानीदार था। (शमाइल तिर्मिज़ी)

(556) बरा इब्ने-आज़िब का कथन है कि अल्लाह के रसूल *(सल्लं.)* औसत ऊँचाई के थे। कंधे चौड़े थे, जिनके ऊपर उनके लम्बे बाल कान की लौ तक लटकते थे। उन्हें एक बार लाल वस्त्र पहने हुए भी देखा। मैंने उनसे सुन्दर कोई दूसरा नहीं देखा। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(557) अबू-उबैदा इब्ने-मुहम्मद *(रज़ि.)* ने बताया कि उन्होंने एक बार अल् रुबयूयी, जो मुअव्विद की बेटीं थीं, से अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि यदि आपने उन्हें देखा होता तो उन्हें उगते सूरज की तरह पाते। (हदीस : दरिमी)

(558) कअब इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि जब अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* खुश होते तो उनका चेहरा चाँद जैसा चमकता था। जब वे ख़ुश होते तो बस हम सब उन्हें देखते ही रह जाते।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(559) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* के सिर पर और दाढ़ी में चौदह से ज़्यादा सफ़ेद बाल नहीं देखे। (शमाइल, तिर्मिज़ी)

(560) जाबिर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* के कंधों के बीच में पैग़म्बर होने की मुहर देखी जो कि कबूतर के अण्डे के बराबर लाल रंग की थी। (हदीस : इब्ने-माजा)

नबी *(सल्ल.)* का पसीना

(561) उम्मे-सुलैम *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* उनके घर आते थे और दोपहर की झपकी लेते थे। वे एक बड़ा चमड़ा बिछाकर उस पर लेटते थे। उन्हें काफ़ी पसीना आता था। उम्मे-सुलैम *(रज़ि.)* उस पसीने को इकट्ठा करके एक इत्र की शीशी में रख लेतीं थीं। मुहम्मद *(सल्ल.)* ने इसे देखा तो पूछा कि यह किसलिए करती हो? उम्मे-सुलैम *(रज़ि.)* ने कहा कि यह आपका पसीना है जो किसी भी इत्र से ज़्यादा ख़ुशबूदार है। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

नबी *(सल्ल.)* का चलना

(562) जाबिर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* उस राह पर नहीं चलते थे जिसपर कोई दूसरा चला हो। बल्कि दूसरा यह पहचान लेता था कि मुहम्मद *(सल्ल.)* यहाँ से चलकर गए हैं। यह उनके द्वारा छोड़ी गई महक की वजह से होता था।

(हदीस : सुनन दारमी)

(563) हिन्द बिन्ते-हाला *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* थोड़ा सामने झुककर चलते थे और अपना पैर ज़मीन पर ज़ोर से नहीं धीरे रखते थे। वे लम्बे क़दम चलते थे छोटे नहीं। चलते समय अपने साथियों को थोड़ा आगे रखते थे और स्वयं थोड़ा पीछे चलते थे। वे जब चलते थे तो ऐसा लगता था कि पहाड़ से उतर रहे हैं।

(शमाइल, तिर्मिज़ी)

हँसना और मुस्कुराना

(564) आइशा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* को कभी मुँह खोलकर खिलखिलाते नहीं देखा, वे केवल मुस्कुराते थे।

(हदीस : बुख़ारी)

(565) अब्दुल्लाह इब्ने-हारिद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* से अधिक किसी को मुस्कुराते नहीं देखा।

(हदीस : तिर्मिज़ी)

आप *(सल्ल.)* का मुसाफ़ा (हाथ मिलाना)

(566) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* जब भी किसी से हाथ मिलाते थे तो वे तब तक अपना हाथ नहीं खींचते थे जब तक कि वह व्यक्ति अपना हाथ न खींचे।

(हदीस : तिर्मिज़ी)

(567) अनस इब्ने-मालिक (रज़ि) से रिवायत है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* की हथेली से नर्म और मख़मली कोई हथेली महसूस नहीं की। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

नबी *(सल्ल.)* के खाने का ढंग

(568) कअब इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* हमेशा तीन उंगलियों से खाते थे जिन्हें खाना ख़त्म होने पर चाट लेते थे। (शमाइल, तिर्मिज़ी)

(569) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कभी भी दस्तरखान पर खाना नहीं खाया और न ही कभी बारीक आटे की रोटी खाई। (हदीस : बुख़ारी)

(570) अस्मा बिन्ते-यज़ीद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि एक बार अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* को खाना परोसा गया फिर हमको परोसा गया। हमने कहा

कि हमें खाने की इच्छा नहीं है। तब मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा कि भूख को शिष्टाचार के साथ मत मिलाओ। (हदीस : इब्ने-माजा)

नबी *(सल्ल.)* के सोने का ढंग

(571) उमर इब्ने-ख़त्ताब *(रज़ि.)* से रिवायत है कि एक बार वे अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* से मिलने गए तो देखा कि वे खजूर की पत्तियों पर सो रहे हैं और सिरहाने में खजूर की छाल से भरा तकिया है। उनके शरीर पर पत्तियों के निशान उभर आए थे। मैंने कहा कि ऐ मेरे मालिक! अल्लाह से दुआ करें कि आपके अनुयायियों को भी वैसा ही वैभव दे जैसा कि रोम और फ़ारसवालों को दे रखा है, जबकि वे ईमानवाले नहीं हैं। मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा, "ऐ उमर! क्या तुम यह पसन्द नहीं करते कि वे लोग दुनिया के मज़े में हों और हमारे लिए आखिरत का ऐशो-आराम?"

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(572) अब्दुल्लाह इब्ने-मसऊद *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* चटाई पर से सोकर उठे तो उनके जिस्म पर चटाई के निशान थे। हमने पूछा कि क्या आपके लिए एक गद्दा बनवा दें? मुहम्मद *(सल्ल.)* ने जवाब दिया कि मुझे इस दुनिया से क्या लेना देना? मैं तो एक सवार हूँ जो पेड़ के नीचे छाया के लिए थोड़ी देर रुकता है और फिर उस जगह को छोड़कर आगे चला जाता है। (हदीस : तिर्मिज़ी)

बहादुरी

(573) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* सबसे उत्तम थे, बहुत उदार और सबसे बहादुर थे। एक रात मदीना के लोगों ने एक आवाज़ सुनी। वे सब आवाज़ की

दिशा में पहुँचे। वहाँ मुहम्मद *(सल्ल.)* पहले ही पहुँच चुके थे। उन्होंने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। वे अबू-तलहा *(रज़ि.)* के घोड़े पर बिना ज़ीन लगाए चढ़े थे और उनके कंधों पर एक तलवार लटकी थी। मैंने महसूस किया कि यह घोड़ा नदी की तरह दौड़ता है। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

ज्ञान प्रेम

(574) अब्दुल्लाह इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने मस्जिदे-नबवी में दो महफ़िलें लगी देखीं और कहा— दोनों पर अल्लाह की कृपा है पर एक महफ़िल पर ज़्यादा कृपा है। पहली महफ़िल में वे लोग हैं जो अल्लाह के ज़िक्र में लगे हैं, उसे पुकार रहे हैं और उसकी मदद माँग रहे हैं। यदि अल्लाह चाहता है तो उन्हें जो माँगते हैं देता है और नहीं चाहता तो नहीं देता। दूसरी महफ़िल के लोग सीखने और दूसरों को सिखाने में लगे हैं, यह दल पहले दल से बेहतर है। "मैं यहाँ शिक्षक की हैसियत से भेजा गया हूँ।" यह कहते हुए आप *(सल्ल.)* उनके बीच बैठ गए। (हदीस : दारिमी)

शर्म व हया

(575) अबू-सईद ख़ुदरी *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* अपनी हया में और लज्जा में किसी कुँआरी लड़की, जो परदे में हो, से भी बढ़कर थे। यदि वे कोई बात नापसन्द करते थे तो यह उनके चेहरे से ज़ाहिर हो जाता था, यद्यपि वे अपनी हया के कारण नागवारी ज़ाहिर नहीं करते थे। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

नबी *(सल्ल.)* की उदारता

(576) जाबिर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने किसी चीज़ के बारे में कभी मना किया तो उस चीज़ के बारे में दोबारा कभी किसी ने नहीं पूछा। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(577) इब्ने-अब्बास *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* सभी लोगों से ज़्यादा उदार थे और रमज़ान में उनकी उदारता चरम पर होती थी। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

नमाज़ से मुहब्बत

(578) आइशा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* जब नफ़्ल नमाज़ पढ़ते तो वह इतनी लम्बी होती कि उनके पैर की चमड़ी तड़कने लगती तब मैं उनसे कहती कि ऐ अल्लाह के रसूल! जब अल्लाह ने आपकी अगली-पिछली सब ग़लतियाँ माफ़ कर रखी हैं तो इतनी लम्बी नमाज़ क्यों पढ़ते हैं? वे जवाब देते कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बन्दा न बनूँ? (हदीस : बुख़ारी)

रोज़े से मुहब्बत

(579) हफ़्सा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कभी आशूरा (मुहर्रम की 10 तारीख़) का रोज़ा, ज़िहिल्ज्ज के पहले 9 दिनों के रोज़े और हर माह की 13, 14 और 15 तारीख़ों के रोज़े (ये सभी नफ़्ल रोज़े हैं) नहीं छोड़े। (हदीस : नसई)

बीमारी के वक़्त नबी *(सल्ल.)*

(580) आइशा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि जब अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* बीमार पड़ते तो मुअव्वज़तैन (क़ुरआन की सूरा 113 और 114) पढ़ते थे और अपने हाथों पर फूँककर पूरे शरीर पर फेरते थे। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

बेटे की मौत पर

(581) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि वे अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* के साथ मृत्यु-शैया पर पड़े उनके बेटे इबराहीम को देखने गए। जब मुहम्मद *(सल्ल.)* ने बेटे को देखा तो उनकी आँखों से आँसू गिरने लगे। अब्दुर्रहमान इब्ने-औफ़ *(रज़ि.)* ने पूछा क्या आप भी रोते हैं? मुहम्मद *(सल्ल.)* ने कहा—
रोने में कोई बुराई नहीं है यह तो हमारी मुहब्बत और करुणा की वजह से है। उनकी आँखों से फिर आँसू बहने लगे। फिर उन्होंने कहा कि आँखें आँसू बहा रहीं हैं, दिल दुखी है मगर हम ज़बान से वही कहें जिससे अल्लाह ख़ुश हो। 'हम अल्लाह के ही हैं और हमें उसी के पास जाना है।' (क़ुरआन, 2:156) ऐ इबराहीम हम तुम्हारे जाने से दुखी हैं। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

नबी *(सल्ल.)* का जीवन

(582) उरवह *(रज़ि.)* से रिवायत है कि आइशा *(रज़ि.)* ने एक बार कहा कि ऐ भतीजे! हम अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* के परिवारवालों ने दो माह के अंदर तीन (बार फाके की) तकलीफ़ें देखीं। मैंने पूछा फिर आपने क्या किया? उन्होंने जवाब दिया कि खजूर और पानी पर गुज़ारा किया। कुछ अंसार पड़ोसियों के यहाँ ऊँटनी थी जो दूध दे रही थी। वे अकसर दूध भेज देते थे जिसे हम पीते थे।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(583) मुसरक़ से रिवायत है कि आइशा *(रज़ि.)* ने बताया कि मुझे रोना आता है कि मैंने भरपेट खाना कभी नहीं खाया और वे रोने लगीं। मुसरक़ ने पूछा क्यों रोती हैं तो बोलीं कि मुझे अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* की उस वक़्त की हालत पर रोना आ रहा है जब वे

हमसे विदा हो रहे थे। यह कभी नहीं हुआ कि उन्होंने कभी गोश्त या रोटी एक दिन में दो बार कभी भर पेट ख़ाया हो।

(हदीस : शमाइल तिर्मिज़ी)

(584) आइशा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि जब अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* का इन्तिक़ाल हुआ, उनकी ज़िरह एक यहूदी के पास तीस नाप बारली के लिए गिरवी रखी थी। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(585) आइशा *(रज़ि.)* बताती हैं कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* के परिवार के पास उनके इन्तिक़ाल तक दो दिन के लिए भी पर्याप्त गेहूँ की रोटी कभी नहीं रही। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(586) आइशा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि जब अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* का इन्तिक़ाल हुआ उस वक़्त घर में जौ के कुछ दानों के सिवा खाने को कुछ नहीं था जिस पर वे काफ़ी दिनों तक निर्भर रहीं। फिर देखा कि कितना बचा है तो पाया कि जौ ख़त्म हो चुका था। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(मुहम्मद *(सल्ल.)* की यह स्थिति ग़रीबी की वजह से नहीं थी। इन्तिक़ाल के समय वे अरब के निर्विवाद मुखिया थे और वे पूरे देश के सारे स्रोतों पर अधिकार रखते थे मगर जो कुछ भी उनके पास आता वे उसे तत्काल दान कर देते थे।)

अल्लाह की राह में आज़माइश

(587) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

अल्लाह की राह में जैसा मैं डराया गया हूँ वैसा कोई नहीं डराया गया है, मुझे जैसा सताया गया है वैसा किसी को नहीं सताया गया। एक बार तीस दिन तीस रातों तक मेरे और बिलाल के पास खाने को कुछ नहीं था सिवाय उसके जो बिलाल ने थोड़ा बहुत बचा रखा था। (हदीस : तिर्मिज़ी)

नबी *(सल्ल.)* के आचरण के कुछ नमूने

(588) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि मैंने अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* के साथ दस वर्ष तक काम किया परन्तु उन्होंने मुझे कभी नहीं टोका कि तुमने यह क्यों किया? अथवा तुमने यह क्यों नहीं किया? (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(589) आइशा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* अपने जूते ख़ुद सुधारते थे, अपने कपड़े सीते थे और अपने घर में साधारण आदमी की तरह काम करते थे। वे हमेशा साधारण आदमी की तरह रहते थे, अपने कपड़ों में पेवन्द लगाते थे, दूध दूहते थे और रोज़मर्रा के काम करते थे। (हदीस : तिर्मिज़ी)

(590) अबू-हुरैरा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* को एक बार कहा गया कि एक बहुदेव पूजक को डाँटें तो उन्होंने कहा— मैं किसी को डाँटने या कोसने के लिए नहीं भेजा गया हूँ, मैं तो सबके लिए दया बनाकर भेजा गया हूँ। (हदीस : मुस्लिम)

(591) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* से ज़्यादा बच्चों को प्रेम करनेवाला और उनपर दया करनेवाला नहीं देखा। (हदीस : मुस्लिम)

(592) आइशा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि उन्होंने अल्लाह की क़सम खाकर कहा कि मुहम्मद *(सल्ल.)* मेरे कमरे के दरवाज़े पर खड़े थे, कुछ हब्शी लड़के ईद की ख़ुशी में मस्जिद में अपने बरछों से खेल रहे थे। मुहम्मद *(सल्ल.)* दरवाज़े पर दोनों हाथ फैलाकर खड़े थे और मैं उनके हाथों के ऊपर से खेल देख रही थी। वे दरवाज़े पर तब तक उसी तरह खड़े रहे जब तक मैं वहाँ से हट नहीं गई।
(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

(593) जाबिर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* हमेशा लम्बी ख़ामोशी में रहते थे। (हदीस : शरहुस्सुन्ना)

(594) आइशा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि वे अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* के साथ यात्रा पर जा रही थीं तब उनके बीच दौड़ में मुक़ाबला हुआ और उन्होंने नबी *(सल्ल.)* को हरा दिया। बाद में जब वे गिर गईं और फिर उठकर दौड़ीं तब मुहम्मद *(सल्ल.)* ने उन्हें हरा दिया और कहा कि अब पहली दौड़ का हिसाब बराबर हो गया। (हदीस : अबू-दाऊद)

(595) अनस इब्ने-मालिक *(रज़ि.)* से रिवायत है कि वे अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* के साथ चल रहे थे। मुहम्मद *(सल्ल.)* एक नजरानी लबादा पहने हुए थे। एक बद्दू (देहाती) आया और उनके लबादे को पीछे से ज़ोर से खींचा जिसके कारण मुहम्मद *(सल्ल.)* पीछे खिंच गए। लबादे की धारी से उनके कंधे में खरोंच आ गई। बद्दू बोला कि ऐ मुहम्मद! साथियों से कहो कि वे अल्लाह की दी हुई दौलत में से मुझे कुछ दें। मुहम्मद *(सल्ल.)* ने पीछे घूमकर देखा, मुस्कराए और कहा कि इन्हें कुछ दे दो। (हदीस : अबू-दाऊद)

(596) आइशा *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कभी भी अनुचित, फूहड़ या अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। सड़कों पर कभी ज़ोर से बात नहीं की। उन्होंने बुराई का बदला बुराई से नहीं दिया बल्कि वे हमेशा माफ़ करते रहे।

(हदीस : तिर्मिज़ी)

मुहम्मद *(सल्ल.)* के मक़बरे के सम्बन्ध में

(597) अब्दुल्लाह इब्ने-उमर *(रज़ि.)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल.)* ने कहा—

मेरी मौत के बाद जो भी व्यक्ति हज करता है फिर मेरी क़ब्र पर हाज़िरी देता है वह ऐसा है जैसे मेरे जीवनकाल में मुझसे मिला।

(हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम, बैहक़ी)

(598) अब्दुल्लाह इब्ने-उमर *(रज़ि॰)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल॰)* ने कहा—

मेरी क़ब्र पर कोई हाज़िरी देता है तो उसके लिए मध्यस्थता करना मुझपर लाज़िम हो जाता है। (हदीस : बैहक़ी, दारक़ुतनी)

(599) अबू-हुरैरा *(रज़ि॰)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल॰)* ने कहा—

जब कोई मेरी क़ब्र पर आकर मुझ पर सलाम भेजता है तो मैं स्वयं उसको सुनता हूँ और जब कोई दूर से सलाम करता है तो उसे फ़रिश्ते मुझ तक पहुँचाते हैं। (हदीस : बैहक़ी)

(600) अबू-हुरैरा *(रज़ि॰)* से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल *(सल्ल॰)* ने कहा—

मेरे घर (जहाँ अब उनकी क़ब्र है) और मेरे मिंबर के बीच की जगह जन्नत के बग़ीचे का हिस्सा है। (हदीस : बुख़ारी, मुस्लिम)

मुहम्मद *(सल्ल.)* के समय की मुख्य घटनाएँ

53 हिजरी पूर्व	यमन के गवर्नर अबरहा का मक्का पर आक्रमण, मुहम्मद *(सल्ल.)* के पिता की मृत्यु, 22 अप्रेल सन् 571ई. को मुहम्मद *(सल्ल.)* का जन्म।
51 हिजरी पूर्व	प्रथम मुस्लिम और प्रथम ख़लीफ़ा अबू-बक्र *(रज़ि.)* का जन्म।
48 हिजरी पूर्व	मुहम्मद *(सल्ल.)* की माँ आमिना *(रज़ि.)* की मृत्यु।
47 हिजरी पूर्व	तीसरे ख़लीफ़ा उस्मान *(रज़ि.)* का जन्म।
46 हिजरी पूर्व	मुहम्मद *(सल्ल.)* के दादा अब्दुल-मुत्तलिब की मृत्यु।
41 हिजरी पूर्व	मुहम्मद *(सल्ल.)* की अपने चचा अबू-तालिब के साथ सीरिया की पहली यात्रा। उन्हें देखकर एक ईसाई पादरी का यह कहना कि यही आख़िरी पैग़म्बर है। दूसरे ख़लीफ़ा उमर फ़ारूक *(रज़ि.)* का जन्म।
39 हिजरी पूर्व	फ़िजार की लड़ाई।
28 हिजरी पूर्व	मुहम्मद *(सल्ल.)* की सीरिया की व्यापारिक यात्रा। एक विधवा व्यवसायी ख़दीजा *(रज़ि.)* से विवाह (उनकी मृत्यु तक मुहम्मद *(सल्ल.)* ने दूसरा विवाह नहीं किया।)
23 हिजरी पूर्व	मुहम्मद *(सल्ल.)* की पहली बेटी ज़ैनब *(रज़ि.)* का जन्म।
20 हिजरी पूर्व	चौथे ख़लीफ़ा अली इब्ने अबी-तालिब *(रज़ि.)* का जन्म।

19 हिजरी पूर्व	काबा का पुनर्निर्माण, मुक़द्दस पत्थर 'अस्वद' को काबा की दीवार पर लगाने का तरीक़ा सुझाने तथा कलह मिटाने के कारण मुहम्मद *(सल्ल.)* को सबसे ईमानदार और विश्वसनीय व्यक्ति कहा गया।
18 हिजरी पूर्व	मुहम्मद *(सल्ल.)* की दूसरी बेटी रुक़ैया का जन्म।
14 हिजरी पूर्व	मुहम्मद *(सल्ल.)* 40 साल के हुए। सोमवार 18 रमज़ान को (22 दिसम्बर सन् 609 ई.) को पहली वह्य (सूरा-96) उतरी। ख़दीजा *(रज़ि.)* इस्लाम क़बूल करनेवाली पहली महिला बनीं, अबू-बक्र *(रज़ि.)* पहले मुस्लिम पुरुष बने और अली *(रज़ि.)* पहले मुस्लिम बच्चे बने।
10 हिजरी पूर्व	इस्लाम की शिक्षा का पहला सार्वजनिक उद्घोष, मुहम्मद *(सल्ल.)* की पुत्री फ़ातिमा *(रज़ि.)* का जन्म।
9 हिजरी पूर्व	16 सहाबा (12 पुरुष, 4 महिला) की हब्शा की पहली हिजरत।
8 हिजरी पूर्व	हमज़ा *(रज़ि.)* ने इस्लाम क़बूल किया। हज़रत उमर ने इस्लाम क़बूल किया और मुस्लिमों को लेकर खुले तौर पर काबा गए।
7 हिजरी पूर्व	मक्का वासियों द्वारा मुहम्मद *(सल्ल.)* एवं परिवार का पूर्ण बहिष्कार, मक्का के बाहर निर्वासित जीवन का प्रारम्भ।
4 हिजरी पूर्व	निर्वासन अवधि समाप्त। अबू-तालिब की मृत्यु, जो मुहम्मद *(सल्ल.)* के चचा तथा संरक्षक थे। पत्नी ख़दीजा *(रज़ि.)* की मृत्यु। यह वर्ष मुहम्मद *(सल्ल.)* के लिए 'दुख का वर्ष' कहा गया।
3 हिज़री पूर्व	मुहम्मद *(सल्ल.)* की ताइफ़ तक इस्लाम के प्रचार के लिए पैदल यात्रा, ताइफ़ के लोगों का अत्यन्त कठोर व्यवहार। मुहम्मद *(सल्ल.)* अदी इब्ने-हातिम की सुरक्षा

के बिना मक्का में प्रवेश नहीं कर सके। मदीना के पहले दल ने इस्लाम क़बूल किया।

2 हिजरी पूर्व	मदीना के 12 लोगों के साथ पहली संधि हुई। मुहम्मद *(सल्ल.)* मेराज और पाँच नमाज़ों का फ़र्ज़ होना।
1 हिजरी पूर्व	मदीना के 73 पुरुष और 2 महिलाओं के साथ दूसरी संधि।
1 हिजरी	मुहम्मद *(सल्ल.)* 54 वर्ष के हुए। 100 सहाबा (80 पुरुष और 20 महिलाओं) की हब्शा को हिजरत। मुहम्मद *(सल्ल.)* ने अबू-बक्र *(रज़ि.)* के साथ मदीना को हिजरत की। इस्लामिक कलेंडर का प्रारम्भ। (01 मुहर्रम हिजरी जुमा के दिन 16 जुलाई सन् 662 ई॰ को इस्लामिक कलेंडर प्रारम्भ हुआ) मस्जिदे-क़ुबा की नींव रखी गई। यह पहली मस्ज़िद है जो अंसार और मुहाजिरों के बीच भाईचारे की बुनियाद बनी और सदियों पुराने देहाती जीवन को तोड़ा। मस्जिदे-नबवी की बुनियाद रखी गई जो इस्लाम की दूसरी मस्जिद है। इस्लामी इतिहास में अज़ान का प्रारम्भ एक हब्शी ग़ुलाम बिलाल *(रज़ि.)* को अज़ान देने से हुआ।
2 हिजरी	पाँच जुलाई सन् 663 ई॰ को यह वर्ष प्रारम्भ हुआ। क़िबला यूरोशलम से मक्का की ओर हुआ। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए। बद्र में पहली जंग हुई जिसमें 313 मुस्लिमों ने 1,000 मक्कावासियों को हराया। आइशा *(रज़ि.)* से मुहम्मद *(सल्ल.)* की शादी हुई जो अबू-बक्र *(रज़ि.)* की बेटी थीं। मुहम्मद *(सल्ल.)* की चौथी बेटी फ़ातिमा *(रज़ि.)* की अली *(रज़ि.)* से शादी। मदीना में ईद की पहली नमाज़ हुई। 17 रमज़ान को मुहम्मद *(सल्ल.)* की बेटी और हज़रत उस्मान की पहली पत्नी

	हज़रत रुकैया का इन्तिक़ाल। इसी साल ज़कात भी फ़र्ज़ हुई।
3 हिजरी	24 जून सन् 624 ई॰ को वर्ष प्रारम्भ। उहुद की लड़ाई हुई जिसमें मुहम्मद *(सल्ल.)* ज़ख्मी हुए तथा हमज़ा *(रज़ि.)* और 70 सहाबा शहीद हुए। मुहम्मद *(सल्ल.)* की तीसरी बेटी उम्मे-कुलसूम *(रज़ि.)* की शादी उस्मान *(रज़ि.)* से हुई। मुहम्मद *(सल्ल.)* ने उमर *(रज़ि.)* की विधवा बेटी हफ़्सा *(रज़ि.)* से शादी की। मुहम्मद *(सल्ल.)* के पहले नवासे हसन *(रज़ि.)* का जन्म।
4 हिजरी	13 जून सन् 625 ई॰ को वर्ष प्रारम्भ। अम्र इब्ने-तुफ़ैल ने अपने क़बीले को इस्लाम की शिक्षा देने के लिए 70 मुस्लिमों को बुलाया और उन सभी को धोखा देकर बेरहमी से मार डाला। अदल और क़ारा क़बीलों ने 10 मुस्लिमों को इस्लाम की शिक्षा देने के लिए बुलाया और 7 को मार डाला, खुबैल और ज़ैद को मक्का वासियों को बेच दिया जिन्हें मक्का वासियों ने मार डाला। मुहम्मद *(सल्ल.)* के दूसरे नवासे इमाम हुसैन *(रज़ि.)* का जन्म।
5 हिजरी	2 जून सन् 626 ई॰ को वर्ष प्रारम्भ। दूमतुल-जन्दल की लड़ाई। मुहम्मद *(सल्ल.)* 1,000 सिपाहियों के साथ तबूक रवाना। 750 काफ़िरों को, जो मदीना पर हमला करने का इरादा रखते थे, मुहम्मद *(सल्ल.)* ने वापस भेजा। बनी-मुस्तलक़ की लड़ाई। मुहम्मद *(सल्ल.)* मारीसिया रवाना हुए। ख़ंदक की लड़ाई। बहुदेववादियों की 10,000 की सेना का मदीना पर हमला, मदीना को ख़ंदक खोदकर बचाया गया। लड़ाई बिना कामयाबी के समाप्त हुई मुहम्मद *(सल्ल.)* ने घोषणा की कि यह

काफ़िरों के द्वारा मुसलमानों पर अंतिम हमला है। बनी-क़ुरैज़ा की लड़ाई। मदीना के यहूदियों से हुए समझौते के टूटने के कारण यह लड़ाई हुई। क़ुरआन में आदेश हुआ कि जीवन में एक बार हज फ़र्ज़ है।

6 हिजरी - 23 मई सन् 627 ई॰ को वर्ष प्रारम्भ। मुहम्मद *(सल्ल॰)* की 1,500 लोगों के साथ उमरा करने के लिए मक्का-यात्रा। मक्कावासियों ने मक्का में प्रवेश की इजाज़त नहीं दी। मक्का के काफ़िरों और मदीना के मुसलमानों के बीच हुदैबिया का समझौता हुआ। ख़ालिद इब्ने-वलीद मशहूर सैन्य कमांडर ने इस्लाम क़बूल किया। मुहम्मद *(सल्ल॰)* ने रोम, फ़ारस, मिस्र, हब्शा, सीरिया और बहरैन के शासकों को इस्लाम क़बूल करने के लिए पत्र लिखा। मिस्र के शासक ने एक ख़च्चर और एक कनीज़ तोहफ़े में भेजी। फ़ारस के शासक ने मुहम्मद *(सल्ल॰)* के पत्र को फाड़ कर फेंक दिया जिस पर मुहम्मद *(सल्ल॰)* ने कहा कि उसने अपनी सल्तनत को फाड़कर फेंका है। रोम के सम्राट के समक्ष अबू-सुफ़ियान *(रज़ि॰)* द्वारा मुहम्मद *(सल्ल॰)* के पक्ष में शपथपूर्वक बयान दिया गया।

7 हिजरी 11 मई सन् 628 ई॰ को वर्ष प्रारम्भ। यहूदियों के शक्तिशाली क़िले ख़ैबर पर जीत। हुदैबिया के समझौते के अनुसार मुहम्मद *(सल्ल॰)* और साथियों द्वारा उमरा करना। हब्शा से 10 वर्षों के बाद सहाबा की मदीना वापसी।

8 हिजरी 30 अप्रेल सन् 629 ई॰ को वर्ष प्रारम्भ। मोअत्ता की लड़ाई जहाँ 3,000 मुस्लिमों ने एक लाख ईसाइयों पर विजय पाई। मुहम्मद *(सल्ल॰)* की 10,000 मुस्लिमों के

साथ मक्का रवानगी। बिना किसी लड़ाई के मक्का पर विजय। 20 रमज़ान शुक्रवार को काबा में प्रवेश। सभी को आम माफ़ी की घोषणा। हब्शी ग़ुलाम बिलाल *(रज़ि॰)* द्वारा काबा में पहली अज़ान। 12,000 मुसलमानों के साथ हुनैन की लड़ाई में पहले पीछे हटना फिर विजय। 6000 बहुदेववादी बंदी। मुहम्मद *(सल्ल॰)* के बचपन में उनके संरक्षक रहे बनी-साद के कहने पर सभी बंदियों की बिना शर्त रिहाई। मुहम्मद *(सल्ल॰)* की बेटी ज़ैनब *(रज़ि॰)* का इन्तिक़ाल।

9 हिजरी — 19 अप्रेल सन् 630 ई॰ को वर्ष प्रारम्भ। 30,000 मुस्लिम सैनिकों के साथ अबू-बक्र *(रज़ि॰)* के नेतृत्व में रोमन सम्राट के विरुद्ध तबूक की लड़ाई हेतु रवाना। समाचार सुनकर रोमन सैनिक भागे। अबू-बक्र *(रज़ि॰)* के नेतृत्व में पहला अधिकारिक हज किया गया। क़बीलों और व्यक्तियों द्वारा सामूहिक रूप से इस्लाम स्वीकार किया गया। मुहम्मद *(सल्ल॰)* की बेटी और उस्मान *(रज़ि॰)* की पत्नी उम्मे-कुलसूम *(रज़ि॰)* की मृत्यु। हब्शा के शासक नज्जाशी की मृत्यु। मदीना में मुहम्मद *(सल्ल॰)* ने उनकी नमाज़े-जनाज़ा पढ़ाई।

10 हिजरी — 8 अप्रेल सन 631 ई॰ को वर्ष प्रारम्भ। मुहम्मद *(सल्ल॰)* ने हज किया और अपना अंतिम ख़ुतबा दिया। ख़ुतबे के समय लगभग एक लाख 24 हज़ार लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर अल्लाह ने क़ुरआन की आख़िरी आयत उतारी, 'आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया. . . .।' (क़ुरआन, 5:3) मुहम्मद *(सल्ल॰)* ने ज़कात इकट्ठा करने के लिए मदीना से

	बाहर दल भेजे। मुहम्मद *(सल्ल.)* के पुत्र इबराहीम की मृत्यु हुई।
11 हिजरी	29 मार्च सन् 632 को वर्ष प्रारम्भ। सफ़र के महीने के अंत में मुहम्मद *(सल्ल.)* बीमार पड़े। अपनी ग़ैरहाज़िरी में अबू-बक्र *(रज़ि.)* को नमाज़ की इमामत करने को कहा। 12 रबीउल-अव्वल सन् 11 हिजरी (8 जून सन् 632 ई.) सोमवार के दिन मुहम्मद *(सल्ल.)* ने आख़िरी साँस ली। अल्लाह उन पर अपनी अनगिनत रहमतें नाज़िल करे और जन्नत में उनका दर्जा लगातार बढ़ता रहे। उनकी प्रिय पत्नी आइशा *(रज़ि.)* के घर में उन्हें दूसरे दिन दफ़नाया गया। अबू-बक्र *(रज़ि.)* को मुसलमानों ने अपना पहला ख़लीफ़ा चुना।

नोट— उपरोक्त में से अधिकतर तारीख़ें गणना पर आधारित और अनुमानित हैं।